सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय–सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय 1 : सामान्य		
1.1	परिचय	1
1.2	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.3	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	6
1.4	वापसियों के लंबित प्रकरण	8
1.5	लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया	9
1.6	लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण	11
1.7	लेखापरीक्षा के परिणाम	15
1.8	इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र	15
अध्याय 2 : राज्य उत्पाद शुल्क		
2.1	परिचय	17
2.2	कर प्रशासन	17
2.3	राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति	17
2.4	आंतरिक लेखापरीक्षा	18
2.5	लेखापरीक्षा के परिणाम	18
2.6	पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	19
2.7	अनिवार्य जाँच जैसे कोषालय अभिलेखों के साथ चालान का सत्यापन/पुर्नमिलान का पालन न करने से शासन को राजस्व की हानि	19
अध्याय 3 : वाणिज्यिक कर		
3.1	कर प्रशासन	25
3.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	25
3.3	आंतरिक लेखापरीक्षा	25
3.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	26
3.5	पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	27
3.6	टर्नओवर का गलत निर्धारण	27
3.7	अस्वीकार योग्य आगत कर की छूट को लागू करना	28
3.8	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	29
3.9	कर की त्रुटिपूर्ण दर को लागू किया जाना	30

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
3.10	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कम कर का आरोपण/अनियमित रियायत का प्रदाय किया जाना	31
अध्याय 4 : खनन प्राप्तियाँ		
4.1	प्रस्तावना	33
4.2	कर प्रशासन	33
4.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	33
4.4	पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	34
4.5	''मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ'' पर लेखापरीक्षा	35
4.6	ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर एवं शास्ति प्राप्त न होना	54
4.7	व्यापारिक खदानों पर अनुबंध राशि की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना	55
4.8	अनिवार्य किराये की प्राप्ति न होना या कम प्राप्ति होना	56
4.9	विस्तारित अवधि के पूरक विलेख का निष्पादन नहीं करने के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का अप्राप्ति	57
4.10	खनन पट्टे पर रॉयल्टी की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना	57
4.11	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना	58
अध्याय 5 : मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस		
5.1	कर प्रशासन	61
5.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	61
5.3	आंतरिक लेखापरीक्षा	62
5.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	63
5.5	पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	63
5.6	उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब	64
5.7	खनन पट्टों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	64
5.8	पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	65
अध्याय 6 : भू–राजस्व		
6.1	कर प्रशासन	67
6.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	67
6.3	आंतरिक लेखापरीक्षा	68
6.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	69

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
6.5	पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	70
6.6	प्रीमियम और भू–भाटक का अवनिर्धारण तथा शास्ति का अनारोपण	70
6.7	अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने पर शास्ति की वसूली न होना	71
अध्याय 7 : वाहन कर		
7.1	कर प्रशासन	73
7.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	73
7.3	आंतरिक लेखापरीक्षा	74
7.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	74
7.5	पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	75
7.6	वाहन कर व शास्ति की प्राप्ति न होना	75
7.7	निजी सेवा वाहनों पर शैक्षणिक संस्थान बसों पर लागू दर से कर का त्रुटिपूर्ण आरोपण	78
परिशिष्ट		81
संक्षिप्त रूपों की शब्दावली		177

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है जिसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2017–18 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हे उल्लेखित नहीं किया जा सका; वर्ष 2017–18 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 'मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ' पर लेखापरीक्षा एवं राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, खनन प्राप्तियाँ एवं भू–राजस्व प्राप्तियों पर 19 कण्डिकाएँ सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में कुल ₹ 300.81 करोड़ की वित्तीय विवेचना की गई है। शासन/विभागों ने ₹ 90.15 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 4.85 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

1 सामान्य

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,23,306.79 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017–18 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,34,875.41 करोड़ रहीं। राज्य सरकार का स्वयं का राजस्व ₹ 53,872.05 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 39.94 प्रतिशत), भारत सरकार से प्राप्त प्राप्तियों का अंश ₹ 81,003.36 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 60.06 प्रतिशत) है।

(कंडिका 1.2.1)

लेखापरीक्षा में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य व्यापक भिन्नता पाई गई। वित्त विभाग ने यह दर्शाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि प्रशासनिक विभाग के दृष्टिकोण की आवश्यक जाँच या वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति पर विचार करने के बाद तैयार किये गये।

(कंडिका 1.2.3)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा विद्युत कर एवं शुल्क के 31 मार्च 2018 को बकाया राजस्व ₹ 6,057.26 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 2,553.81 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

विभागों में बकाया राजस्व वसूली या उसके संग्रहण पर निगरानी रखने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। विभागों के पास लंबित बकाया का शीर्ष स्तर पर कोई डेटाबेस नहीं है। प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी माँगे जाने पर विभागों द्वारा क्षेत्रीय इकाईयों से बकाया प्रकरणों व राशि के आँकड़े एकत्रित कर संकलित किए जाते हैं।

(कंडिका 1.3)

निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 5,477 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 25,030 कंडिकाएं, जिनमें राशि ₹ 23,884.71 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2018 के अन्त तक लम्बित थीं।

(कंडिका 1.5)

वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस एवं खनन प्राप्तियाँ की कुल 980 में से 287 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 77,886 प्रकरणों में ₹ 1,542.04 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2017–18 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 7,840 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 459.11 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 199 प्रकरणों में ₹ 42 लाख की वसूली की।

(कंडिका 1.7)

2 राज्य उत्पाद शुल्क

सहायक आबकारी आयुक्त (स.आ.आ.), इंदौर के पन्द्रह अनुज्ञप्तिधारियों ने विभाग को प्रस्तुत 1,061 चालानों, जो कोषालय के अभिलेखों से मिलान नहीं किये गये थे, में छेड़छाड़ कर, ₹ 37.42 करोड़ की जगह कोषालय में ₹ 1.20 करोड़ जमा किये। विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण की वजह से विभाग को ₹ 36.22 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। इसी प्रकार के कमजोर आंतरिक नियंत्रण के समान मुद्दे जैसे निगरानी में कमी, आंतरिक लेखा परीक्षा नही किया जाना, विभाग एवं कोषालय के प्राप्तियों में मिलान का न होना, दूसरे स.आ.आ के पाँच कार्यालयों में पाये गये, जो एक सशक्त धोखाधड़ी की संभावना को व्यक्त करते है।

(कंडिका 2.7)

3 वाणिज्यिक कर

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने एवं पूर्व की लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों (दिसम्बर 2015) का अनुपालन करने में वाणिज्यिक कर विभाग विफल रहा।

(कंडिका 3.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर योग्य टर्नओवर का ₹ 37.83 करोड़ कम निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 2.91 करोड़ का कर एवं ₹ 3.25 करोड़ शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.6)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने मान्य किये जाने योग्य राशि ₹ 45.17 करोड़ के आगत कर छूट के स्थान पर ₹ 48.07 करोड़ का आगत कर छूट मान्य किया जिसके परिणामस्वरूप 70 निर्धारित प्रकरणों में ₹ 2.20 करोड़ शास्ति सहित ₹ 5.10 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 3.7)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उनके स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर पर मशीनरी, स्टोंस, मोटर कार आटो के पुर्जे, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, तेल, शस्त्र एवं गोलाबारूद, सोयाबीन, एच.डी.पी.ई. सिले बैग, कोयला इत्यादि पर प्रवेश कर नही लगाया अथवा गलत दर से लगाया। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर राशि ₹ 1.94 करोड़ प्राप्त नही हुआ एवं ₹ 2.52 करोड़ की शास्ति अनारोपित रही।

(कंडिका 3.8)

कर निर्धारण प्राधिकारी, सामाग्रियों को सही वर्गीकृत करने एवं सही करों की दरें लगाने में मध्य प्रदेश मूल्य संर्वधन कर अधिनियम (म.प्र.वा.क.अ.) के प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय परिपत्रों को लागू करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 1.32 करोड़ का कर एवं ₹ 1.73 करोड़ शास्ति का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.9)

कर निर्धारण प्राधिकारी, सही कर आरोपण करने में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 1.43 करोड़ कर की कम प्राप्ति एवं ₹ 26.30 लाख शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.10)

4 खनन प्राप्तियाँ

"मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ" पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा उचित निरीक्षण में कमी के कारण अधीनस्थ कार्यालयों की कार्यप्रणाली की अप्रर्याप्त निगरानी हुई। परिणामस्वरूप, प्रक्रियात्मक कमियाँ एवं अधिनियम एवं नियमों की प्रावधानों का पालन न होना, जैसे मुद्दों की खोजबीन नही हो पाई।

(कंडिका 4.5.6.2)

विभाग/शासन की ओर से शिथिल/अर्कायशील खदानों के प्रकरणों की निगरानी में विफलता के कारण राजस्व में अवरोध पैदा हुआ। अगर ये खनिज पट्टे दूसरे इच्छुक निविदकर्त्ताओं को पुर्नआवंटन किये गये होते तो शासन को रॉयल्टी, अनिवार्य किराया, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में राजस्व अर्जित हुआ होता।

(कंडिका 4.5.7)

खतौनी जो खनिजों के उत्पादन एवं निस्तारण को जाँचने, पट्टेदारों से रॉयल्टी देय, भुगतान एवं बकाया रॉयल्टी को सही रूप से आकलित करने को संभव बनाती है, के रख–रखाव में ढील एक गंभीर खतरे को सूचित करता है।

(कंडिका 4.5.8)

विभाग निर्धारण को सही समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण पट्टेदारों द्वारा खनिजों के सही उत्खनन/प्रेषण एवं देय/भुगतान की गयी रॉयल्टी की जाँच करने की स्थिति में नहीं था। परिणामस्वरूप, राजस्व का रिसाव, यदि कोई हो, को रोका अथवा निर्धारित नहीं किया जा सका।

(कंडिका 4.5.9)

विभाग अवैध उत्खनन के खनन निगरानी प्रणाली (एम.एस.एस.) के प्रकरणों को खोजबीन करने मे विफल रहा जिससे इस प्रणाली के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके एवं विभाग राज्य में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन में वृद्धि को रोकने की एक प्रणाली विकसित करने में भी विफल रहा।

(कंडिका 4.5.10)

जिला खनिज अधिकारी, सिंगरौली पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण को लेखाओं से दर्शित कोयले के विक्रय का निर्धारण करने में विफल रहें। परिणामस्वरूप, रॉयल्टी के रूप में ₹ 161.80 करोड का कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.5.11)

जिला खनिज अधिकारी शिथिल खादानों के 109 प्रकरणों में ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर ₹ 5.28 करोड़ के आरोपण में विफल रहें।

(कंडिका 4.5.16)

अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

चौदह शिथिल खदानों के खनन पट्टेदारों द्वारा ग्रामीण बुनियादी संरचना और सड़क विकास कर ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान नही किया। इसके अतिरिक्त शास्ति ₹ 3.25 करोड का आरोपण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप, शास्ति सहित ₹ 4.33 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.6)

जिला खनिज अधिकारियों द्वारा छः व्यापारिक खादानों से वसूल योग्य ठेका राशि ₹ 3.22 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.95 करोड़ वसूली हुई। परिणामस्वरूप, ठेका राशि ₹ 2.27 करोड़ की अप्राप्ति/कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.7)

157 उत्खनन पट्टों एवं तीन खनि पट्टों में अनिवार्य किराया ₹ 1.51 करोड़ की वसूली करने में जिला अधिकारी विफल रहें।

(कंडिका 4.8)

जिला खनिज अधिकारी 13 पट्टों की समयसीमा में वृद्धि के कारण विभाग के साथ पूरक विलेख निष्पादित कराने एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग में पंजीकृत करने में विफल रहें। जबकि, सबंधित जिला अधिकारियों ने पट्टों की समयावधि में वृद्धि स्वीकृत की थी। परिणामस्वरूप, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस राशि ₹ 1.01 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.9)

नौ खनिज पट्टेदारों ने खनिज पट्टों पर भुगतान योग्य रॉयल्टी ₹ 2.04 करोड के विरूद्ध ₹ 1.12 करोड़ खनिजों के उपभोग/प्रेषण पर रॉयल्टी का भुगतान किया। परिणामस्वरूप, ₹ 92.63 लाख रॉयल्टी की अप्राप्ति/कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.10)

जिला खनिज अधिकारी, 72 पट्टेदारों से ठेका राशि/अनिवार्य किराया के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल करने में विफल रहें। परिणामस्वरूप, राजस्व ₹ 64 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.11)

5 मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस

जिला पंजीयक (जि.पं.) सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए 11 उप पंजीयकों (उ.पं.) द्वारा संदर्भित ₹ 3.33 करोड़ के राजस्व से संबंधित 328 प्रकरणों के निराकरण तीन महीने की निर्धारित अवधि में करने में विफल रहें।

(कंडिका 5.6)

जिला खनिज अधिकारियों एवं संबधित पट्टेदारों के बीच निष्पादित खनिज विलेखों के पंजीयन के समय उप पंजीयक 15 खनिज पट्टों के लिये मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस ₹ 2.55 करोड़ का आरोपण करने में विफल रहें।

(कंडिका 5.7)

उप पंजीयक तीन पट्टा विलेखों के पंजीयन के लिये सही भुगतान होने वाली राशि का निर्धारण करने में विफल रहें। परिणामस्वरूप, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रूप में ₹ 35.83 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.8)

6 भू–राजस्व

जिला अधिकारी एवं तहसीलदार भू–भाटक एवं प्रीमियम की सही दर का आरोपण करने में विफल रहें एवं जानबूझकर चूक करने वालों पर शास्ति का आरोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2009–17 के दौरान भू–भाटक ₹ 19.25 लाख, प्रीमियम ₹ 59.30 लाख एवं शास्ति ₹ 38.06 लाख की कम प्राप्ति हुई। शासन को कुल राजस्व हानि ₹ 1.17 करोड़ हुई।

(कंडिका 6.6)

तहसीलदार अप्राधिकृत कब्जे एवं शासकीय भूमि पर अप्राधिकृत कब्जा या दखल की जाँच के अधिनियम के प्रावधानों को लागू न कर पाने के कारण, 962 प्रकरणों में ₹ 84.06 लाख की शास्ति की वसूली करने में विफल रहें।

(कंडिका 6.7)

7 वाहन कर

3,270 वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि का वाहन कर या तो कम जमा किया या जमा नहीं किया। परिवहन प्राधिकारियों ने वसूली योग्य राशि के माँग पत्र नहीं जारी किए तथा कर न जमा करने के लिए मोटर वाहनों को जब्त एवं निरूद्ध करने की कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप, कर की लंबित राशि ₹ 11.21 करोड़ का कर एवं कर की भुगतान न की गई राशि पर ₹ 4.38 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 7.6)

क.प्रा. द्वारा कर की सही दर लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप निजी व्यक्तियों से ₹ 1.46 करोड़ वाहन कर एवं ₹ 1.07 करोड़ शास्ति की कम प्राप्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 7.7)

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

अध्याय - 1
सामान्य

अध्याय 1
सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, राजस्व के बकाया, लंबित वापसी प्रकरणों एवं लेखापरीक्षा पर शासन/विभाग की प्रतिक्रिया का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 अवधि 2013–18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समुनदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4	5	6	7
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	33,552.16	36,567.31	40,213.66	44,193.65	44,810.86
	पूर्व वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	9.71	8.99	9.97	9.90	1.40
	• कर–भिन्न राजस्व	7,704.99	10,375.23	8,568.79	9,086.51	9,061.19
	पूर्व वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	10.07	34.66	(–) 17.41	6.04	(–) 0.28
	योग (अ)	**41,257.15**	**46,942.54**	**48,782.45**	**53,280.16**	**53,872.05**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्यों का अंश	22,715.27	24,106.80	38,397.84	46,064.10	50,853.07[1]
	• सहायता अनुदान	11,776.82	17,591.44	18,330.31	23,962.53	30,150.29
	योग (ब)	**34,492.09**	**41,698.24**	**56,728.15**	**70,026.63**	**81,003.36**
3.	राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (अ+ब=स)	**75,749.24**	**88,640.78**	**1,05,510.60**	**1,23,306.79**	**1,34,875.41**
4.	अ से स का प्रतिशत	**54**	**53**	**46**	**43**	**40**

(स्रोत – मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 14 ''लघु शीर्षों से राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों के विस्तृत लेखे'' का अवलोकन करें। शीर्ष ''राज्यों को समुनदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष "0005–केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर" (₹ 716.48 करोड़), "0008–समकेत वस्तु एवं सेंवा कर (₹ 5,132.48 करोड़), ''0020–निगम कर (₹ 15,568.92 करोड़), "0021–आय पर कर–निगम कर से भिन्न (₹ 13,146.86 करोड़), "0032–सम्पत्ति कर (₹ (–) 0.47 करोड़), "0037–सीमा शुल्क (₹ 5,130.90 करोड़), "0038–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 5,363.30 करोड़), एवं "0044–सेवा कर (₹ 5,794.60 करोड़)" शामिल हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है।

वर्ष 2017–18 में राजस्व प्राप्तियों (₹ 11,568.62 करोड़; 9.38 प्रतिशत) में वर्ष 2016–17 की तुलना में बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को दिए गए सहायता अनुदान के अंश (25.82 प्रतिशत), विभाज्य संधीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्यों का अंश (10.39 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (9.46 प्रतिशत), मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस (21.99 प्रतिशत), एवं वाहनों पर कर (19.55 प्रतिशत) के अधिक संग्रहण से थी जो माल तथा यात्री कर (69.53 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (28.20 प्रतिशत), उर्जा (45.47 प्रतिशत), वृहद एवं माध्यम सिंचाई (28.73 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाऐं (31.57 प्रतिशत), एवं चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (22.78 प्रतिशत), की कम राजस्व प्राप्तियों से अंशतः प्रतिसंतुलित थी।

1.2.2 वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.2

कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2017–18 के वास्तविक की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान 2017–18	2016–17 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,500.00 16,649.85	19,500.00 18,135.96	21,300.00 19,806.15	22,000.00 22,561.12	15,187.00[2] 14,984.04	–	–
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर[3]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9,820.00 8,696.12	–	–
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	5,750.00 5,907.39	6,730.00 6,695.54	7,800.00 7,922.84	9,000.00 7,532.59	8,600.00 8,245.01	(–) 4.13	(+) 9.46
4.	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	4,000.00 3,400.00	4,000.00 3,892.77	4,700.00 3,867.69	4,500.00 3,925.43	4,300.00 4,788.51	(+) 11.36	(+) 21.99
5.	माल तथा यात्री कर	2,640.00 2,578.74	2,900.00 2,686.39	3,200.00 3,084.76	4,200.00 3,805.04	1,100.00[4] 1,159.30	(+) 5.39	(–) 69.53
6.	विद्युत कर तथा शुल्क	1,600.00 1,972.20	2,050.00 2,010.20	2,200.00 2,257.83	2,500.00 2,620.53	3,000.00 2,590.29	(–) 13.66	(–) 1.15
7.	वाहन कर	1,650.00 1,598.93	2,000.00 1,823.84	2,300.00 1,933.57	2,500.00 2,251.51	2,550.00 2,691.62	(+) 5.55	(+) 19.55

[2] वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से संशोधित बजट अनुमान।

[3] शीर्ष "राज्य वस्तू एवं सेवा कर" के लिये वर्ष 2013–14 से 2016–17 में बजट अनुमान तथा वास्तविक के कॉलम में संख्याऐं लागू नहीं दर्शाई गई है क्योंकि वस्तू एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से कियान्वित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर पूर्व अवधि 01 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 एवं वस्तु एवं सेवा कर पश्चात अवधि 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 है। औषधीय और प्रसाधन तैयारी अधिनियम के अंतर्गत आरोपणिय केंन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, (अ.सी.शु.), सीमा पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, क्रय कर, वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गये।

[4] वस्तु एवं सेवा कर लागू किये जाने के कारण संशोधित बजट अनुमान।

8.	भू–राजस्व	572.00 366.23	700.10 243.10	500.00 276.86	500.00 406.65	700.00 490.99	(–) 29.86	(+) 20.74
9.	अन्य	670.00 1,078.82	1,109.50 1,079.51	1,447.68 1,063.96	1,300.00 1,090.78	1,225.21 1,164.98[5]	(–) 4.92	(+) 6.80
योग		**33,382.00** **33,552.16**	**38,989.60** **36,567.31**	**43,447.68** **40,213.66**	**46,500.00** **44,193.65**	**46,482.21** **44,810.86**	**(–) 3.60**	**(+) 1.40**

(स्रोत – मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

वर्ष 2017–18 में स्वयं के कर राजस्व में पूर्व वर्ष की तुलना में, 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाओं पर कर क्रियान्वित किए जाने के कारण वृद्धि मात्र 1.40 प्रतिशत रही। भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर कर के लागू होने के कारण नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 2,511 करोड़ सहायता अनुदान भी प्रदाय किया गया। यदि भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति को स्वयं के कर राजस्व में सम्मिलित कर दिया जाये तो वृद्धि 7.08 प्रतिशत होगी।

कर राजस्व के अवयव **चार्ट 1.1** में दिये गये हैं:

चार्ट 1.1

वर्ष 2017–18 के दौरान कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

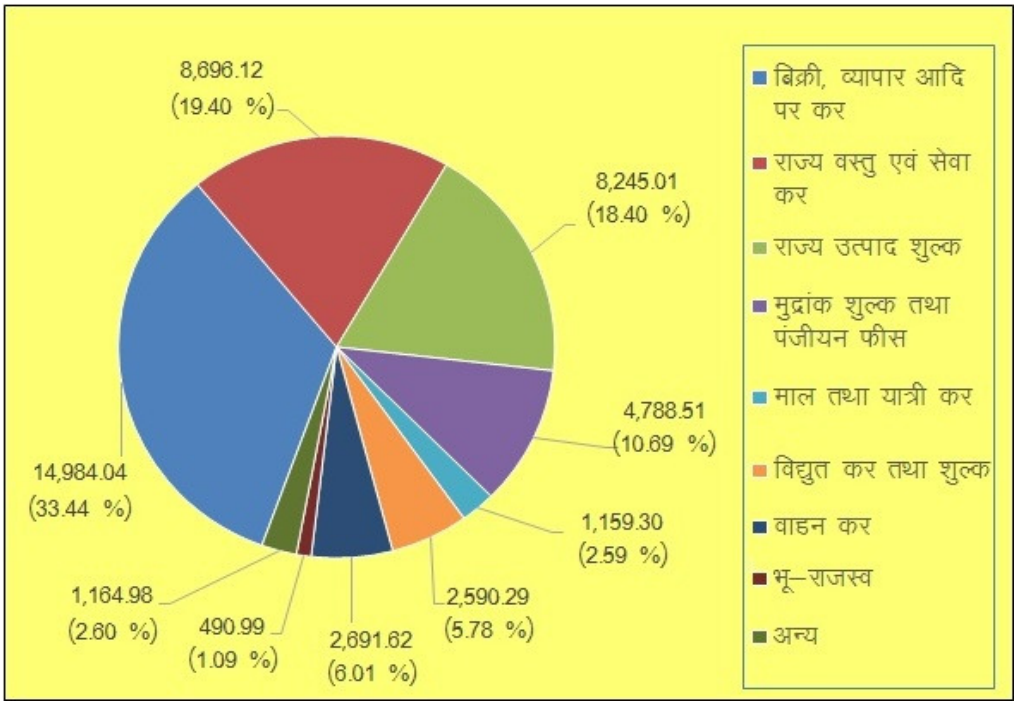

तालिका 1.2 से देखा जा सकता है कि 2017–18 के दौरान बजट अनुमान तथा वास्तविक के मध्य (–) 29.86 एवं (+) 11.36 प्रतिशत का अन्तर था। साथ ही, राजस्व के विभिन्न शीर्षो के वास्तविक में 2016–17 एवं 2017–18 के मध्य (–) 69.53 प्रतिशत से (+) 21.99 प्रतिशत का अन्तर था।

[5] 'अन्य' में वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित राजस्व शीर्षों से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ निहित हैं: होटल प्राप्ति (₹ 0.63 करोड़), आय तथा व्यय पर कर (₹ 342.23 करोड़), अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 643.72 करोड़) और वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 178.40 करोड़)।

संबंधित विभाग द्वारा अंतर के लिए निम्न कारण सूचित किये गये :

मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस : 2016–17 के वास्तविक से अधिक वृद्धि (21.99 प्रतिशत) मुख्य रूप से "मुद्रांक – न्यायिक" के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क में न्यायालयीन फीस की प्राप्ति में वृद्धि एवं पूर्व वर्ष से 1,33,663 की संख्या में अधिक (20.87 प्रतिशत) दस्तावेजों का पंजीयन होना रहा।

माल एवं यात्री कर : 2016–17 के वास्तविक से कमी (69.53 प्रतिशत) का मुख्य कारण सडकों पर टोल की प्राप्तियों मे कमी एवं प्रवेश कर का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित होना रहा।

वाहनों पर कर : 2017–18 के दौरान राजस्व में, 2016–17 के वास्तविक से अधिक वृद्धि (19.55 प्रतिशत) हेतु राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलाए गए विशेष अभियान, निरंतर निगरानी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बेहतर मार्गदर्शन को जिम्मेदार बताया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कर की दरों में ऊपर की ओर संशोधन 10 जनवरी 2017 को किया गया।

भू–राजस्व : 2017–18 के दौरान राजस्व में, 2016–17 के वास्तविक से अधिक वृद्धि (20.74 प्रतिशत) का मुख्य कारण पूर्व–जमींदारी सम्पत्ति, शासकीय सम्पत्ति का विक्रय, बेकार भूमि की बिक्री आय से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि तथा 2017–18 में भूमि कर की बहाली किया जाना था। 2017–18 के बजट अनुमान से राजस्व प्राप्ति में कमी (29.86 प्रतिशत) का कारण विभाग द्वारा उच्च बजट अनुमान होना बताया गया था।

1.2.3 2013–18 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.3

कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2017–18 के वास्तविक की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान 2017–18	2016–17 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2,220.00 2,306.17	2,500.00 2,813.66	3,200.00 3,059.64	3,450.00 3,168.28	3,700.00 3,640.73	(–) 1.60	(+) 14.91
2.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,469.61 2,008.49	157.73 3,276.10	3,192.18 1,292.41	4,143.72 1,824.03	3,310.20 1,309.69	(–) 60.43	(–) 28.20
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	1,100.00 1,036.80	1,250.23 968.77	1,250.31 1,001.71	1,250.00 917.98	1,332.00 1,112.25	(–) 16.50	(+) 21.16
4.	ब्याज प्राप्तियाँ	204.15 317.85	1,133.60 1,260.65	383.37 429.47	273.16 581.67	530.00 639.11	(+) 20.59	(+) 9.88
5.	ऊर्जा	524.85 378.66	584.12 381.23	662.14 190.09	374.49 357.87	408.05 195.15	(–) 52.17	(–) 45.47
6.	लघु सिचांई	233.53 219.37	281.54 299.77	314.25 326.74	379.94 336.24	400.44 354.20	(–) 11.55	(+) 5.34

7.	वृहद एवं माध्यम सिंचाई	116.86 138.48	120.09 137.55	186.08 156.16	120.56 238.12	201.57 169.70	(–) 15.81	(–) 28.73
8.	लाभांश एवं लाभ	41.28 378.72	42.26 80.35	32.57 129.64	108.83 231.50	288.17 622.36	(+) 115.97	(+) 168.84
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	184.40 380.22	165.50 140.21	182.14 147.01	240.59 193.87	265.55 132.66	(–) 50.04	(–) 31.57
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	46.65 57.76	56.25 120.16	101.56 121.04	130.82 167.04	222.18 128.98	(–) 41.95	(–) 22.78
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	441.67 482.47	467.57 896.78	619.38 1,714.88	1,008.36 1,069.91	1,021.57 756.36[6]	(–) 25.96	(–) 29.30
योग		**7,583.00** **7,704.99**	**6,758.89** **10,375.23**	**10,213.98** **8,568.79**	**11,480.47** **9,086.51**	**11,679.73** **9,061.19**	**(–) 22.42**	**(–) 0.28**

(स्रोत – मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

कर भिन्न राजस्व के अवयव **चार्ट 1.2** में दिये गये हैं:

चार्ट 1.2
वर्ष 2017–18 के दौरान कर भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

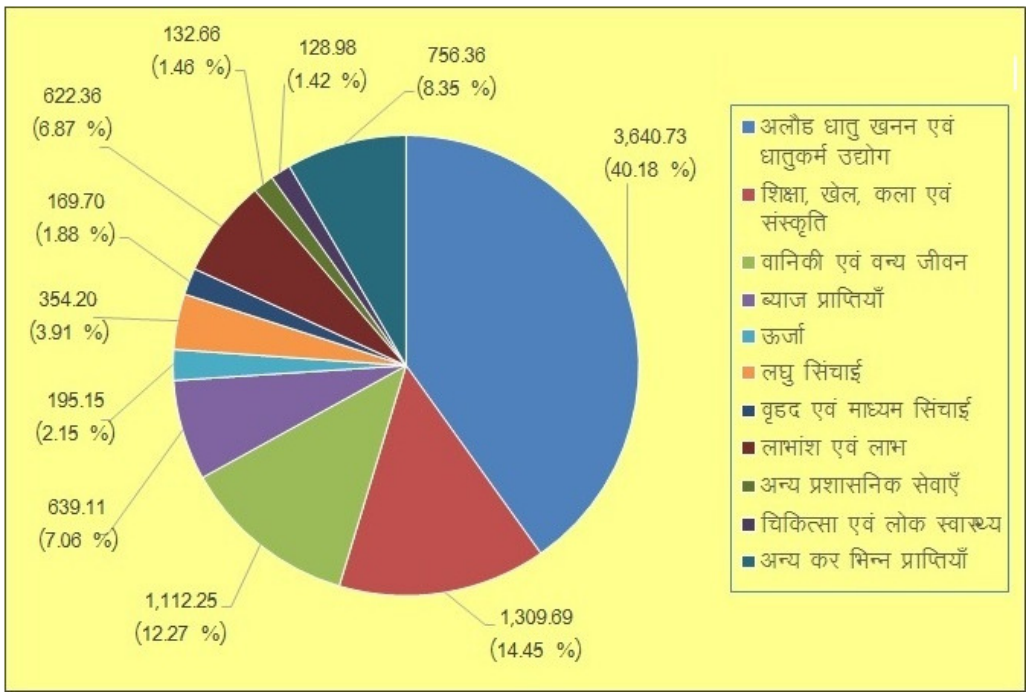

[6] 'अन्य कर भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित राजस्व शीर्षों से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में) निहित हैं : लोक सेवा आयोग (14.45), पुलिस (124.33), जेल (3.86), लोक निर्माण (124.94), लेखन सामग्री एवं मुद्रण (13.65), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली (47.93), परिवार कल्याण (0.19), जलपूर्ति तथा सफाई (17.25), आवास (26.11), शहरी विकास (18.41), सूचना तथा प्रचार (0.23), श्रम तथा रोजगार (26.63), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (24.14), अन्य सामाजिक सेवायें (56.78), फसल कृषि–कर्म (48.88), पशुपालन (4.89), डेरी विकास (0.05), मछली पालन (9.49), खाद्य भंडारण तथा भांडागार (0.12), अन्य कृषि कार्यक्रम (2.08), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (11.13), पेट्रोलियम (0.01), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (7.16), ग्राम एवं लघु उद्योग (15.08), उद्योग (4.22), अन्य उद्योग (0.05), सड़क एवं सेतु (2.76), पर्यटन (53.56), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (31.14), सहकारिता (12.73), एवं विविध सामान्य सेवाऐं (54.11)।

तालिका 1.3 से देखा जा सकता है कि 2017–18 के दौरान बजट अनुमान तथा वास्तविक के मध्य (–) 60.43 एवं (+) 115.97 प्रतिशत का अन्तर था। साथ ही, राजस्व के विभिन्न शीर्षों में 2016–17 के एवं 2017–18 के वास्तविक के मध्य (–) 45.47 प्रतिशत से (+) 168.84 प्रतिशत का अन्तर था।

आगे, लेखापरीक्षा में राजस्व प्राप्ति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अनुमानित बजट एवं वास्तविक प्राप्तियों में लगातार व्यापक भिन्नता पायी गयी है (सन्दर्भ **तालिका 1.2 एवं 1.3**)। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खंड–1 के अनुसार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर वित्त विभाग बजट अनुमान तैयार करेगा व प्रस्तुत विवरण की सत्यता हेतु प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होगा।

वित्त विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि बजट तैयार करने के लिये सभी विभागों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली[7] (ए.वि.प्र.सू.प्र.) एवं मुद्रा सॉफ्टवेयर में निश्चित समयावधि में आकड़े दर्ज करने के लिये निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् बजट अनुमानों का अंतिम निर्धारण करने के लिए वित्त विभाग द्वारा विभाग प्रमुखों से चर्चा की गयी तथा मंत्रीपरिषद के अनुमोदन पश्चात विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।

वित्त विभाग ने आगे बताया कि प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान को विभाग के राजस्व उपार्जन की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से वित्त विभाग द्वारा बढ़ाया गया। परन्तु लेखापरीक्षा के बार–बार अनुरोध करने (जनवरी 2019) पर भी वित्त विभाग ने इस तरह की चर्चाओं के कार्यवृत्त एवं बजट संबंधी नस्तियाँ लेखापरीक्षा के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया। अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इस प्रकार की कोई चर्चा हुई एवं वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान के निर्धारण में युक्तियुक्त प्रक्रिया का पालन किया गया।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2018 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 6,057.26 करोड़ में से ₹ 2,553.81 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। विवरण **तालिका 1.4** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.4
बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2018 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2018 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के प्रत्युतर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,650.58	5,219.48	2,199.76	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र (आर.आर.सी.) राशि ₹ 281.87 करोड़ के जारी कर दिए गए, ₹ 2,006.68 करोड़ विभिन्न न्यायालयों में लंबित, ₹ 183.76 करोड़ अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित, ₹ 306.71 करोड़ औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (औ. वि. पु. बो.) में सम्मिलित, ₹ 878.97 करोड़ बंद फर्मों में, ₹ 600.34 करोड़ अचल संपत्तियों के जब्ती में, ₹ 22.91 करोड़ चल संपत्तियों के जब्ती में, ₹ 14.38 करोड़ अपलेखन हेतु लंबित,

[7] ए.वि.प्र.सू.प्र. एक साफ्टवेयर है जो म.प्र. शासन को विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों के बीच विभिन्न सूचनाओं का सहज अदान–प्रदान करने तथा बजट–योजना के संबंध में सशक्त नीति बनाता है।

					₹ 0.13 करोड़ किस्तों में एवं शेष ₹ 923.73 करोड़ सामान्य वसूली थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	182.19	220.72	73.21	₹ 149.13 करोड़ की आर.आर.सी. जारी कर दी गयी, ₹ 23.09 करोड़ न्यायालय में लंबित, ₹ 48.50 करोड़ के वसूली अयोग्य प्रकरण अपलेखन हेतु कार्यवाही जारी थी।
3.	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	243.34	343.61	141.96	विभागीय स्तर पर बकाया का कोई डेटाबेस संधारित नहीं किया गया है।
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	24.52	48.38	यह आंकड़े विभाग द्वारा संधारित नही किये जाते।	सम्पूर्ण राशि की आर.आर.सी. जारी कर दी गई।
5.	विद्युत कर तथा शुल्क	209.55	225.07	138.88	₹ 26.83 करोड़ की आर.आर.सी. जारी कर दी गई, ₹ 119.90 करोड़ की वसूली न्यायालयों में लंबित है, ₹ 64.08 करोड़ की राशि का आवेदन शासन स्तर पर विद्युत शुल्क/उपकर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज की अधिरोपित राशि को माफ करने हेतु विचाराधीन हैं, ₹ 3.67 करोड़ बीमार कपड़ा मिलों पर बकाया हैं एवं ₹ 10.59 करोड़ अन्य स्तरों पर लंबित हैं।
योग		**5,310.18**	**6,057.26**	**2,553.81**	

लेखापरीक्षा ने बकाया राजस्व की वसूली विलंबित रहने के कारण जानने हेतु पाँच विभागों[8] की नस्तियों एवं अभिलेखों का परीक्षण (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019) किया एवं ₹ 306.04 करोड़ बकाया के 8,097 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि हालांकि सभी मामलों में आर.आर.सी. जारी कर दी गयी थी, फिर भी वसूली लंबित थी जिसका कारण प्रकरणों का न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित रहना, बकायादारों की चल/अचल सम्पत्ति बेचकर वसूली के प्रयास प्रारंभ ना करना, बकायादारों का पता ठिकाना ना मालूम होना, वसूली अयोग्य राशि के अपलेखन ना करना आदि पाया गया।

आगे यह पाया गया कि विभागों में बकाया राजस्व वसूली की प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखने अथवा बकाया के संग्रहित होने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई प्रणाली नहीं है। विभागों के पास लंबित बकाया का कोई डाटाबेस शीर्ष स्तर पर नहीं है। प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी माँगे जाने पर विभागों द्वारा फील्ड इकाईयों से बकाया प्रकरणों व राशि के आँकड़े एकत्रित कर संकलित किए जाते हैं।

अनुशंसा :

विभागों को लंबित बकाया का स्वयं का डाटाबेस तैयार करने में गति लानी चाहिए तथा वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने की प्रणाली विकसित करना चाहिए तथा विभाग बकाया राजस्व की वसूली हेतु प्रत्येक निर्धारण अधिकारी के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। विभाग ने अभी तक लेखापरीक्षा

[8] आबकारी विभाग (जिला आबकारी आयुक्त – गुना, रायसेन एवं सहायक आबकारी अधिकारी होशंगाबाद), खनिज संसाधन विभाग (जिला खनिज अधिकारी – अनूपपुर, भोपाल, धार, होशंगाबाद, रायसेन, सतना, सिहोर और शाजापुर), पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग (जिला पंजीयक – रायसेन, रीवा एवं सिहोर), वाणिज्यिक कर विभाग (वृत्त 1 से 6 भोपाल, वाणिज्यिक कर अधिकारी – बैतूल, भोपाल 2 तथा मंडीदीप), और ऊर्जा विभाग (कार्य.यंत्री (ई एण्ड एस) भोपाल, होशंगाबाद, सिहोर तथा सहा. यंत्री (ई एंड एस) हरदा और अधिक्षण यंत्री (ई एंड एस) इंदौर)।

प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 में इस संबंध में दिये गये समान अनुशंसाओं का पालन नहीं किया है।

1.4 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2017–18 के अंत में लंबित वापसी प्रकरणों की जानकारी का उल्लेख **तालिका 1.5** में किया गया है:

तालिका 1.5
वापसियों के लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर		मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क		विद्युत कर तथा शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे **(अ)**	1,166	169.01	1,884	3.92	4	0.08	174	7.36
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे **(ब)**	5,310	715.03	6,155	17.65	377	109.76	0	0
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ **(स)**	5,438	738.46	6,012	15.50	350	108.35	21[9]	5.94
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष **(अ+ब–स=द)**	1,038	145.58	2,027	5.91	31	1.49	153	1.42
5.	वापसी का प्रतिशत **(स से {अ+ब})**	–	83.53	–	71.86	–	98.64	–	–

लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.), ऊर्जा विभाग एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभागों के अभिलेखों का परीक्षण किया एवं निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

- वाणिज्यिक कर विभाग ने अप्रैल 2017 की स्थिति में वापसियों के बकाया आकड़ो को ₹ 254.93 करोड़ (1,187 प्रकरण) से संशोधित कर ₹ 169.01 करोड (1,166 प्रकरण) कर दिया। आंकड़ों में संशोधन का कारण विभाग ने संभागीय कार्यालयों द्वारा लिपीकीय त्रुटि की वजह से आकड़ों को लाख के बजाय करोड़ में लिया जाना बताया। यह बकाया वापसियों के प्रकरणों के डाटाबेस का अपर्याप्त समेकन/रख–रखाव को दर्शाता है।
- ऊर्जा विभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसंबर 2018) कि विद्युत कर एवं शुल्क के वर्ष 1989–90 से 2017–18 के वापसी प्रकरण जिनमें राशि ₹ 1.42 करोड़ (153 प्रकरण) की वापसी के कार्यालय मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल, वृत्त एवं संभाग इंदौर एवं वृत्त उज्जैन में लंबित हैं। ऊर्जा विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2018) कि संबधित अधिकारियों को बकाया प्रकरणों को एक महीने के अंदर निस्तारण के लिये निर्देश दिये गये (मई 2018), तत्पश्चात, विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि बकाया

[9] विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि वर्ष 2005 से 2015 से संबधित ₹ 5.94 करोड़ के 21 वापसियों के प्रकरण लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान अनुसार तीन वर्ष की समाप्ति पश्चात नस्तीबद्ध किये गये।

वापसियों के सभी 153 प्रकरण लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान अनुसार तीन वर्ष की समाप्ति पश्चात अब वैध नहीं है। विभाग ने इन प्रकरणों को नस्तीबद्ध कर दिया है। आगे, ऊर्जा विभाग ने अप्रैल 2017 की स्थिति में वापसियों के बकाया आकड़ो को ₹ 7.40 करोड़ (175 प्रकरण) से संशोधित कर (जनवरी 2019) ₹ 7.36 करोड़ (174 प्रकरण) कर दिया जो बकाया वापसियों के प्रकरणों के अभिलेखों के अपर्याप्त रख–रखाव को दर्शाता है।

- लेखापरीक्षा ने पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग में पंजीयक भोपाल एवं होशंगाबाद के वर्ष 2013–14 से 2017–18 से संबधित ₹ 19.42 लाख के वापसियों के प्रकरणों का परीक्षण किया (दिसंबर 2018) एवं पाया कि आवेदकों के अनुपस्थिति एवं बैक खाता नम्बर अप्राप्त होने के कारण वापसियाँ नहीं की जा सकी।

अनुशंसा :

विभाग को संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन तथा वापसियों के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये। विभाग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 में इस संबंध में दिये गये अनुशंसाओं का पालन नहीं किया है।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

शासकीय विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात्, लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालय प्रमुख को भेजते हुए उनकी प्रतियाँ उच्च अधिकारियों को सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी हेतु भेजी जाती हैं। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया कि 5,477 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 25,030 कंडिकाएँ, जिनमें राशि ₹ 23,884.71 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2018 के अंत तक लम्बित थीं। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार विवरण **तालिका 1.6** में नीचे दर्शाया गया है :

तालिका 1.6
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	मौद्रिक मूल्य
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,738	9,759	4,093.59
2.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	114	353	1,886.68
3.	राज्य आबकारी	राज्य उत्पाद शुल्क	416	1,724	8,245.90
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1,530	5,012	5,428.63
5.	परिवहन	वाहन कर	566	3,665	601.95
6.	पंजीयन तथा मुद्रांक	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	753	2,571	749.75
7.	खनिज संसाधन	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	360	1,946	2,878.21
योग			**5,477**	**25,030**	**23,884.71**

वर्ष 2017–18 के दौरान जारी 309 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर, निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थें।

अनुशंसा :

शासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र बनाया जाए कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित कार्यवाही, सुधारात्मक कार्यवाही की जाए एवं लेखापरीक्षा से तारतम्य बनाते हुए निरीक्षण प्रतिवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा सके। वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी प्रकार की लेखापरीक्षा द्वारा की अनुशंसा दी गई थी। यद्यपि, अभी तक शासन ने कोई कार्यवाही नही की।

1.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन का संक्षिप्त विवरण

उच्चाधिकार प्राप्त समिति[10] द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन माह[11] के भीतर सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित उनसे संबंधित सभी कंडिकाओं पर उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों पर व्याख्यात्मक टीप स्वतः ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को, महालेखाकार से विधिवत जाँच कराने के पश्चात, प्रस्तुत कर देना चाहिए।

राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा मुद्रांक, तथा खनिज संसाधन) एवं जल संसाधन विभाग की वर्ष 2013–14 से 2016–17 की अवधि की 112 कंडिकाओं[12] पर व्याख्यात्मक टीप प्राप्त (अप्रैल 2019) नहीं हुई थी।

राज्य के विधायी मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लो.ले.स. द्वारा अनुशंसा किये जाने की तिथि के छह माह के भीतर लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर विस्तृत कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिये। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

लो.ले.स. की अनुशंसाओं[13] के बाद भी राज्य के राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन, भू–राजस्व, पंजीयन तथा मुद्रांक, तथा खनिज संसाधन) के वर्ष 1995–96 से 2011–12 की अवधि (वर्ष 2012–13 से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिफारिश प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है) के लोक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 143 कंडिकाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन मार्च 2018 तक नहीं प्राप्त हुए थें।

अनुशंसा :

शासन राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों एवं विभाग की कार्यप्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए कार्य आरंभ कर सकता है। शासन सुनिश्चित कर सकता है कि लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार किया जाए।

---

10 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समीक्षा एवं प्रतिक्रिया हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की गई (शकधर समिति प्रतिवेदन)।

11 ऐसी स्थिति में जब लेखापरीक्षा कंडिकाऐं लो.ले.स./सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा इस अवधि में चयनित नहीं किये गये हों, स्वतः ही प्रत्युत्तर तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

12 2013–14 (07), 2014–15 (03), 2015–16 (48), 2016–17 (54)।

13 दिसम्बर 2004 से फरवरी 2018 के मध्य इस कार्यालय में प्राप्त।

1.5.2 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

विभागों/शासन ने वर्ष 2012–13 से 2016–17 के मध्य लेखापरीक्षा प्रेक्षणों जिनमें ₹ 3,078.13 करोड़ राशि सन्निहित थी, की आपत्ति स्वीकार की, जिसमें से मार्च 2018 तक केवल ₹ 67.37 करोड़ वसूल किये गये, जिसका विवरण **तालिका 1.8** मे दर्शाया गया है:

तालिका 1.8
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत मौद्रिक मूल्य	वसूल की गई राशि	स्वीकृत धन राशि से वसूल की गयी राशि का प्रतिशत
1	वाणिज्यिक कर	700.05	1.49	0.21
2	भू–राजस्व	129.52	18.43	14.22
3	पंजीयन तथा मुद्रांक	212.26	10.56	4.97
4	खनिज संसाधन	211.70	17.54	8.28
5	परिवहन	86.03	4.48	5.20
6	राज्य उत्पाद शुल्क	48.09	11.80	24.53
7	वन	12.23	0.63	5.15
8	जल संसाधन	1,626.24	0.00	0.00
9	ऊर्जा	52.01	2.44	4.69
योग		**3,078.13**	**67.37**	**2.19**

1.6 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभाग/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित खनिज संसाधन विभाग से सम्बन्धित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

उत्तरवर्ती कंडिकायें 1.6.1 से 1.6.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2007–08 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में राजस्व मुख्य शीर्ष 0853 खनिज संसाधन विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है।

1.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, उनमें सम्मिलित कंडिकाओं तथा 31 मार्च 2018 को इनकी संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.9** में दर्शायी गई है :

तालिका 1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			31 मार्च 2018 को अंतिम शेष		
	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य
2008–09	285	797	803.17	32	179	368.14	05	39	161.19	312	937	1,010.12
2009–10	312	937	1,010.12	41	268	1,824.35	61	211	181.12	292	994	2,653.35
2010–11	292	994	2,653.35	37	208	282.36	130	313	193.73	199	889	2,741.98
2011–12	199	889	2,741.98	33	234	174.66	30	148	1,302.50	202	975	1,614.14
2012–13	202	975	1,614.14	35	254	147.18	04	09	0.06	233	1,220	1,761.26
2013–14	233	1,220	1,761.26	37	280	638.55	06	155	589.95	264	1,345	1,809.86
2014–15	264	1,345	1,809.86	33	200	243.90	01	20	1.53	296	1,525	2,052.23
2015–16	296	1,525	2,052.23	32	177	107.51	14	151	105.26	314	1,551	2,054.48
2016–17	314	1,551	2,054.48	33	197	502.31	16	112	115.69	331	1,636	2,441.10
2017–18	331	1,636	2,441.10	26	289	434.22	0	01	0.01	357	1,924	2,875.31

लंबित कंडिकाओं की संख्या की बढ़ोत्तरी इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.6.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा मार्च 2018 तक वसूल की गयी राशि की स्थिति **तालिका 1.10** में दर्शाई गई है :

तालिका 1.10
स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (2017–18)	31 मार्च 2018 तक वसूल की गई राशि की संचयी स्थिति
2007–08	1[14]	395.76	1	0.11	0	63.53
2008–09	8	102.93	1	1.53	0	2.92
2009–10	11	447.89	3	138.24	0	4.71
2010–11	11	115.46	8	83.67	0	125.22
2011–12	12	80.34	3	23.92	0	39.11
2012–13	1[15]	46.43	1	9.44	0.02	0.02
2013–14	8	26.29	3	7.80	0	0
2014–15	8	15.38	6	2.46	0.10	0.10
2015–16	10	43.91	8	25.17	0	0
2016–17	7[16]	318.03	7	166.58	3.34	3.34
योग	**77**	**1,592.42**	**41**	**458.92**	**3.46**	**238.95**

[14] "खनिज प्राप्तियाँ" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिका।
[15] "मध्य प्रदेश में खनिज प्राप्तियाँ" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिका।
[16] "रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम" पर एक लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित।

यह स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में पुरानी कंडिकाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग का प्रयास असंतोषजनक था। स्वीकृत प्रकरणों में संबंधित पक्ष से बकाया राजस्व की वसूली की प्रक्रिया के अनुसार करनी थी। यद्यपि, स्वीकृत प्रकरणों में अनुसरण के लिए विभाग/शासन के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

शासन ने वसूली प्रकरणों में वसूली हेतु न तो अधिनियम में विशेष प्रावधान किए हैं और न ही विभागों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे प्रकरणों में निश्चित समय सीमा में वसूली पूर्ण की जाए तथा यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि ऐसी अनियमिताएँ भविष्य में न हों। अतः, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप न केवल रॉयल्टी एवं अन्य खनन प्राप्तियों की कम आरोपित राशि की वसूली नहीं हो सकी बल्कि उसी प्रकार की अनियमितताएँ बाद के सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पायी गईं। उनमें से कुछ वर्ष 2017–18 के दौरान भी लेखापरीक्षा में पाई गईं, जिन्हें इस प्रतिवेदन के अध्याय चार में शामिल किया गया है।

अनुशंसा :

शासन द्वारा कम से कम स्वीकार किये प्रकरणों में जो न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वसूली सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये जा सकते हैं।

1.6.3 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को संबंधित विभाग/शासन के पास उनकी जानकारी व उत्तरों के लिए अग्रेषित किया गया। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर निर्गम सम्मेलनों में चर्चा की गई तथा इन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए अंतिम रूप देने के दौरान विभाग/शासन के विचार भी सम्मिलित किये गए।

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित खनिज संसाधन विभाग पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं, उन में शामिल कुल अनुशंसाएँ, विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाएँ तथा स्वीकृत अनुशंसाओं की अद्यतन स्थिति **तालिका 1.11** में दी गई है :

तालिका 1.11

स्वीकृत अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की कुल संख्या	स्वीकृत अनुशंसाओं का विवरण
2012–13	"मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियाँ"	13	शासन द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है : • शासन द्वारा खनिज प्राप्तियों के निर्धारण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पट्टेधारियों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति पर निगरानी रखने हेतु उपयुक्त पंजियों का संधारण निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए। शासन द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शास्ति प्रावधान भी लागू किया जाना चाहिये। • शासन द्वारा राजस्व के हित में तथा खनिजों के अवैध परिवहन और भण्डारण की संभावना को न्यूनतम करने के लिए व्यवसायी अनुज्ञप्ति आवेदनों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए। • निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खनन निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राधिकारियों को खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु एक आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी निर्धारित

			किये जाने के सम्बंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है। • पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी दरें पाने हेतु व्यापारिक खदानों की ई–नीलामी हेतु शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए। • पट्टेदार को वार्षिक उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करते समय खनिज संसाधन विभाग तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परस्पर हानि तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर उचित रूप से ध्यान दिया जा सके। • राजस्व की वसूली में विलंब से बचने के लिए लंबित रासायनिक विश्लेषण/परीक्षण, समय पर किये जाने चाहिए। • विभाग में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थापना करने तथा आरोपण एवं संग्रहण को सशक्त बनाने के लिए कार्योलयों की नियमित लेखापरीक्षा सुनिश्चित किया जा सके। • पूर्वेक्षण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारकों से प्रतिवेदनों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए उपयुक्त अभिलेखों का संधारण निर्धारित करना चाहिये। • खतौनी के उचित संधारण के प्रभावी परिवीक्षण हेतु निर्धरित समयांतरालों पर उच्चतर प्राधिकारियों को इसके प्रस्तुतीकरण को निर्धारित करना चाहिये। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि खदानों का कार्य संचालन पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार है, प्रणाली निर्धारित करना चाहिये। • खनिजों के अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण को पहुँचाई गई क्षति तथा क्षेत्रा के सुधार पर की वसूली हेतु उपायों को लागू करना चाहिये। • शासकीय राजस्व की त्वरित प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु सड़क विकास कर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण के लिए प्रावधान निर्धारित करना तथा • एक ऐसी प्रणाली निर्धारित करना जिसमें पारगमन पत्रों में दिये गये विवरणों को पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों से प्रतिमाह प्रतिसत्यापित किया जा सके।
2016–17	**''रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम''**	**7**	• विभाग खनिज अधिकारियों और खनिज निरीक्षकों को विद्यमान स्वीकृत पदों की समीक्षा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि सभी मौजूदा रिक्तियों को भरा जाए। • विभाग को या तो सुरक्षा जमा आरक्षित मूल्य के बराबर बढ़ाना चाहिए या भविष्य में बोली प्रक्रिया में भाग लेने से इस तरह की प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए ऐसे दोषियों को काली सूची में डालना चाहिए। • विभाग को मध्य प्रदेष राज्य खनिज निगम लिमिटेड के साथ अनुबंध में संशोधन करना चाहिए जिससे म.प्र.रा.ख.नि.लि. से अनुबंधित मात्रा या वास्तव में खपत हुई और प्रेषित रेत की मात्रा, जो भी अधिक हो, उस पर रॉयल्टी संग्रह किया जाए, जिससे शासन को राजस्व हानि वहन न करना पड़े। • विभाग रेत खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र विकसित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मुद्दों की बारीकी से निगरानी करने के लिए आवधिक विवरणी निर्धारित कर सकता है। • विभाग मॉड्यूल विकसित कर सकता है और ऑनलाइन त्रैमासिक विवरणी जमा करने एवं उन्हें

			सुविधाजनक बनाने के लिए खनिज वाहकों को लॉग–इन एक्सेस प्रदान कर सकता है। • अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए विभाग प्रत्येक जिलों में पर्याप्त संख्या में जाँच चौकियाँ स्थापित कर सकता है। • विभाग को विभागीय मैनुअल तैयार करना चाहिए तथा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करना चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर उपरोक्त सभी अनुशंसाएँ, संबधित निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गई। यद्यपि, विभाग द्वारा इन कमियों को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अनुशंसा :

शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग को निर्देश जारी किये जावें कि वे पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर उचित कार्यवाही करें।

1.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा मुद्रांक, एवं खनिज संसाधन विभागों की 962 इकाईयों में से 287 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 77,886 प्रकरणों में ₹ 1,542.04 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि पाई गई। संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 7,840 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 459.11 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 50,674 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 393.28 करोड़ अंतर्निहित थी, की समीक्षा किया जाना स्वीकार किया गया। शेष 19,372 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 689.65 करोड़ समाहित थी, विभागों के भिन्न मत थे। यद्यपि, इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा उचित प्रतिउत्तर दिए गये थे। विभाग द्वारा 199 प्रकरणों में ₹ 42 लाख की वसूली सूचित (सितंबर 2019) की गई।

1.8 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 19 कंडिकाएँ, (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों में पाई गईं लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित किन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं की गई आपत्तियों में से चयनित) एवं **"मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनिज प्राप्तियाँ"** पर लेखापरीक्षा जिनमें, ₹ 207.07 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित हैं, सम्मिलित हैं।

शासन/विभागों ने ₹ 90.15 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें ₹ 4.85 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर तथा की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु दस्तावेज विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना उत्तरवर्ती अध्यायों 2 से 7 में की गई है।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

अध्याय - 2
राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय 2
राज्य उत्पाद शुल्क

2.1 परिचय

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र. आबकारी अधिनियम) और इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत राज्य उत्पाद शुल्क में मदिरा, भांग तथा डोडाचूरा के उत्पादन, उपार्जन एवं विक्रय से प्राप्त राजस्व शामिल रहते हैं। म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत ''मदिरा'' का अर्थ नशीला द्रव्य है जिसमें स्पिरिट, वाइन, ताड़ी[17], बीयर, सभी द्रव्य जिनमें अल्कोहल है या ऐसा कोई भी अन्य पदार्थ जिसे राज्य शासन ने अधिसूचना द्वारा मदिरा घोषित किया है, शामिल है।

2.2 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर राज्य आबकारी विभाग के प्रशासकीय प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त (आब.आयु.) विभाग प्रमुख हैं एवं जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय, ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, तीन उपायुक्त आबकारी (उप.आब.), संभागों में सात उप.आब., सभांगीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आबकारी आयुक्त (सहा.आब.आयु.) तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी (जिला आब.अधि.) हैं। जिला कलेक्टर जिले में आबकारी प्रशासन का नेतृत्व करता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए अधिकृत होता है और आबकारी राजस्व की वसूली के लिए भी जिम्मेदार होता है।

2.3 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

राज्य आबकारी शुल्क कर प्राप्तियों के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है और मध्य प्रदेश की कुल कर प्राप्तियों का 18.40 प्रतिशत है। विगत पाँच वर्षों की राज्य आबकारी शुल्क से प्राप्तियों की प्रवृति **तालिका 2.1** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 2.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियों की भिन्नता (प्रतिशत में)
2013–14	5,750.00	5,907.39	(+) 2.74
2014–15	6,730.00	6,695.54	(–) 0.51
2015–16	7,800.00	7,922.84	(+) 1.57
2016–17	7,700.00	7,532.59	(–) 2.17
2017–18	8,600.00	8,245.01	(–) 4.12
योग	**36,580.00**	**36,303.37**	

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट प्राक्कलन)

उपरोक्त तालिका से संकेत मिलता है कि वर्ष 2017–18 के लिए विभाग द्वारा तैयार बजट अनुमानों को प्राप्त नहीं किया गया था जो 4.12 प्रतिशत कम रहा। विभाग ने उक्त कमी का कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के किनारे शराब की दुकानों को बंद करना बताया।

[17] ताड़ी का अर्थ है किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया किण्वित या अकिण्वित रस।

2.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

संयुक्त संचालक (वित्त) के नेतृत्व में छह सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारियों (स.आ.ले.प.अ.) की सहायता से एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (आं.ले.प्र.), विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। स.आ.ले.प.अ. के पद मध्य प्रदेश कोष एवं लेखा विभाग के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। आं.ले.प्र. प्रत्येक वर्ष अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा के लिए रोस्टर तैयार करता है। विभाग द्वारा यह सूचित किया गया था कि 2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए कुल 43 कार्यालयों की योजना बनाई गई थी, जिसमें से केवल 25 कार्यालयों की लेखापरीक्षा आं.ले.प्र. द्वारा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 42 प्रतिशत की कमी हुई।

लेखापरीक्षा में 15 जिला कार्यालयों[18] के आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2017–18) की समीक्षा (नवंबर 2018) की और पाया कि अधिकतर इकाईयों में आं.ले.प्र., कोषालय अभिलेखों के साथ चालान के मिलान के मुद्दे, मासिक मिलान पत्रक को कोषालय अधिकारी और आब.आयु. को भेजने में विलंब और निर्धारित प्रारूप में तौजी को न भरना, को उजागर करने में विफल रहा।

2.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 61 लेखापरीक्षा इकाईयों (एक आब. आयु. कार्यालय एवं 60 आबकारी इकाईयाँ) में से 41[19] की लेखापरीक्षा की गयी। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा सृजित राजस्व ₹ 7,532.59 करोड़ था, जिसमें लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 5,039.20 करोड़ (67 प्रतिशत) संग्रहित किए।

वर्ष 2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 7,448 प्रकरणों में आबकारी शुल्क की हानि और अन्य आपत्तियाँ, जिनमे में 342.87 करोड़ की राशि सन्निहित थी, अवलोकित की गयी, जो कि लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा एकत्र राजस्व का सात प्रतिशत है। विवरण **तालिका 2.2** में उल्लिखित हैं।

तालिका 2.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनुज्ञा अनुबंध के उल्लंघन के लिये शास्ति का अनारोपण	3,685	92.39
2.	लायसेंसियों द्वारा कूट रचित चालान प्रस्तुत करने के कारण राजस्व हानि	1,426	45.26
3.	आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर निविदा को जारी करना	2	43.10
4.	आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन न भेजने वाले लाइसेंसियों पर शास्ति का अनारोपण	166	41.03
5.	मदिरा की दुकानों पर लायसेंस फीस का अनारोपण	53	10.49
6.	बकाया आबकारी राजस्व की वसूली न होना	5	5.49
7.	ठेकेदारों को अनुचित लाभ	2	2.49
8.	काँच की बोतल का न्यूनतम स्कंध न रखने पर शास्ति का अनारोपण	90	1.83
9.	देशी/विदेशी मदिरा का अनियमित प्रदाय	66	1.27
10.	अन्य आपत्तियाँ (बॉटलिंग फीस का कम आरोपण, बैंक गारण्टी कम/न दिया जाना, न्यूनतम स्कंध का न रखा जाना, अधिक अपव्यय इत्यादि)	1,953	99.52
योग		**7,448**	**342.87**

[18] **सहा.आब.आयु.** अलीराजपुर, छतरपुर, धार, ग्वालियर, जबलपुर एवं खरगौन।
जि.आब.आयु. अशोकनगर, देवास, गुना, मंदसौर, नीमच, नरसिंहपुर, शाजापुर, टिकमगढ़, एवं विदिशा।

[19] एक उपा.आब., 14 सहा.आब.आयु. और 26 जि.आब.आयु. के कार्यालय।

इन आपत्तियों से शासन और विभाग को मई 2017 से फरवरी 2018 के मध्य अवगत कराया गया था। विभाग ने इनमें ₹ 222.14 करोड़ के 3,295 प्रकरणों से संबंधित आपत्तियों को स्वीकार किया एवं ₹ 66.76 करोड़ के 2,565 प्रकरणों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया। यद्यपि, विभाग ने 160 प्रकरणों में ₹ 10.71 लाख की वसूली सूचित (सितम्बर 2019) की।

2.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लेखापरीक्षा ने 2012–13 से 2016–17 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 54 कण्डिकाओं में ₹ 2145.31 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया था, जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा मात्र ₹ 7.42 करोड़ की वसूली की गयी। इन 54 कंडिकाओं में से, 15 कंडिकायें लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिए चुनी गयी थी एवं एक कंडिका पर मात्र चर्चा की गयी (अगस्त 2019)। वर्ष 2017–18 के दौरान कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई।

एक प्रकरण जिसमें ₹ 36.22 करोड़ के शासकीय राजस्व की हानि समाहित थी, का उल्लेख निम्नलिखित कण्डिका में किया गया है:

2.7 अनिवार्य जाँच जैसे कोषालय अभिलेखों के साथ चालान का सत्यापन/पुर्नमिलान का पालन न करने से शासन को राजस्व की हानि

सहा.आब.आयु. इंदौर के 15 लाइसेंसधारियों ने, विभाग को प्रस्तुत 1,061 चालान के साथ छेड़छाड़ करके देय उत्पाद शुल्क एवं लायसेंस फीस ₹ 37.42 करोड़ के स्थान पर कोषालय में ₹ 1.20 करोड़ जमा किए तथा जिनका कोषालय के अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया गया। विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण से ₹ 36.22 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के अनुसार, संबंधित विभाग के नियंत्रण अधिकारी को यह देखना अनिवार्य है कि शासन के बकाये का सही निर्धारण, संग्रह और नियमित रूप से कोषालय में भुगतान किया गया है। इसके लिए, नियंत्रण प्राधिकारी को एक पृथक विभागीय खाता संधारित करना है और महीने के अंत में, पंजी से महीने के कुल प्राप्तियों को उनके राजस्व शीर्षों के अनुसार एक तौजी या विभागीय विवरणी तैयार करना चाहिए। इसे कोषालय अधिकारी द्वारा कोषालय पंजियों के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को प्रत्येक विवरणी के पाद में उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि विभागीय विवरणी की तुलना में कोषालय पंजियों में यदि कोई त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जमा पाया जाता है, तो कोषालय अधिकारियों को विभागीय विवरणी के गलत वर्गीकरण और/या त्रुटिपूर्ण जमा होने पर तुरंत नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। नियंत्रण प्राधिकारी विभागीय और कोषालय खातों के बीच विसंगतियों का समाधान करेगा।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के निर्देशों[20] के अनुसार, कोषालय अधिकारी को कोषालय के अंतर्गत आने वाले सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) को संबंधित राजस्व शीर्ष में माह के दौरान जमा किए गए सभी चालानों की एक सूची प्रदान करना आवश्यक है। संबंधित आ.सं.अ. कोषालय/बैंक के साथ जमा किए गए सभी चालानों को अनिवार्य रूप से सत्यापित करेगा और यदि कोई अंतर हो, तो कोषालय के साथ हल करेगा। कोषालय अधिकारी सत्यापन प्रमाण पत्र के अभाव में कार्यालय प्रमुख के वेतन बिल को पारित नहीं करेगा।

[20] वित्त विभाग मध्य प्रदेश का पत्र क्र. 1889/1843/2001/सी/4, दिनांक 05 अक्टूबर 2001।

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 तक अवधि के लिए सहा.आब.आयु., इंदौर के कार्यालय के अभिलेखों (चालानों की प्रतिलिपि, कोषालय अभिलेख मिलान हेतु जिला कोषालय अधिकारी द्वारा प्रमाणित चालान की सूची, विभागीय जाँच प्रतिवेदन) की समीक्षा (जनवरी 2018 और दिसंबर 2018 के बीच) की गयी एवं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रेषण किये गये 87,000 चालानों में से 47,792 चालानों (55 प्रतिशत) का नमूना परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि, 15 लाइसेंसधारियों[21] ने ₹ 25.13 करोड़ के देय आबकारी शुल्क और ₹12.29 करोड़ के लाइसेंस फीस के रूप मे देशी शराब (सीएल) और भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के लिए लाइसेंस फीस के विरुद्ध केवल ₹ 0.98 करोड़ आबकारी शुल्क और ₹ 0.22 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस कोषालय में जमा की, परिणामस्वरूप शासन को आबकारी शुल्क ₹ 24.15 करोड़ और लाइसेंस फीस ₹ 12.07 करोड़ के रूप में राजस्व की हानि हुई। शासन को सीएल और आईएमएफएल के लिए आबकारी शुल्क और लाइसेंस फीस की कुल हानि ₹ 36.22 करोड़ रही **(परिशिष्ट I)**। यह विभाग को प्रस्तुत 1,061 चालानों के साथ छेड़छाड़ करके किया गया था, जिनका कोषालय अभिलेख के साथ मिलान नहीं किया गया था। कार्यप्रणाली में कोषालय में कम राशि जमा करना और बाद में चालान को प्राप्त कर और चालान पर लिखित राशि से पहले कुछ अंकों एवं शब्दों को बढ़ाना शामिल था। इन बढ़ाए गये चालानों को बाद में आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और अनियमित उच्च लाभ प्राप्त किया गया।

इसके अतिरिक्त, नमूना परीक्षण किए गए चालान की जाँच के दौरान, यह भी देखा गया कि 87 चालानों की विभागीय प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई, 67 चालानों की कोषालय प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई, एवं 28 प्रकरणों में चालानों की न तो विभागीय और न ही कोषालय प्रतिलिपि को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त चालानों की एक या दोनों विभागीय और कोषालय प्रतिलिपि की अनुपस्थिति के कारण, लेखापरीक्षा उनकी एक दूसरे के विरूद्ध तुलना नहीं कर सका जैसा कि उपरोक्त 47610 (47,792–182) चालान के साथ किया गया था। इसलिए, इन चालानों में शामिल कपटपूर्ण राशि, यदि कोई हो, का परीक्षण एवं निर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अप्रैल 2015 से जून 2017 की अवधि के दौरान, विभागीय आंकड़ों और कोषालय के आंकड़ों की राजस्व प्राप्तियों में मासिक अंतर थे, जिन्हें न तो विभाग द्वारा मिलान किया गया था और न ही अंतर का कोई कारण दर्ज किया गया था। यदि अंतर के कारणों का विश्लेषण किया गया होता और समय पर कार्रवाई की गई होती, तो उपरोक्त कपट से बचा जा सकता था। आपत्ति अवधि के दौरान विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा भी नहीं की गयी थी।

इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (सितंबर 2019) कि विभाग द्वारा गठित एक जाँच समिति द्वारा एक अन्वेषण किया गया (अगस्त 2017) जिसने उक्त अनियमितताओं और राजकोष को हानि की पुष्टि की थी। उक्त जाँच रिपोर्ट पर, प्रथम दृष्टया, आठ दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच शुरू की गई थी, जो प्रगति पर है। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2019) कि इसमें सम्मिलित लाइसेंसधारियों से ₹ 21.89 करोड़ की वसूली की गई थी और शेष वसूली प्रगति पर थी। उपलब्ध न

[21] अभिषेक शर्मा, असप्रीत सिंह लुबाना, अविनाश सिंह मंडलोई, बलराम माली, भारतीदेव बिल्ड, दीपक जायसवाल, जितेंद्र शिवराम, लव कुश पांडे, मिलियन ट्रेडर्स, प्रदीप जायसवाल, राहुल चौकसे, राकेश जायसवाल, विजय कुमार श्रीवास्तव, विरेन्द्र सिंह ठाकुर और योगेन्द्र जायसवाल।

कराये गए 182 चालानों के संबंध में, विभाग ने सूचित किया कि विभाग द्वारा चूककर्ता लाइसेंसधारियों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरणों (अगस्त 2017) के कारण उपर्युक्त चालान पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए थे और न्यायिक कब्जे में थे। विभाग ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह उनकी छायाप्रतियाँ प्रदान करें और बताया कि जैसे ही वह प्राप्त होगी, उन्हें लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2015 से जून 2017 की अवधि के मध्य राजस्व प्राप्तियों के विभागीय आंकड़ों और कोषालय के आंकड़ों में मासिक अंतर के संबंध में, विभाग ने कहा कि जिले में तीन कोषालय – जिला कोषालय, नगर कोषालय और साइबर कोषालय थे, तथा लेखापरीक्षा द्वारा मात्र जिला कोषालय की प्राप्तियों को ही ध्यान में रखा गया।

विभाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में, लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा सुझाए अनुसार नगर कोषालय और साइबर कोषालय की प्राप्तियों को जोड़ा गया और पाया कि विभागीय आंकड़ों और कोषालय के आंकड़ों के बीच का मासिक अंतर कम हो गया, लेकिन विभिन्न महीनों में ₹ 100 से ₹ 23.58 करोड़ के मध्य फिर भी रहा, जैसा **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है।

प्रेषित कुल 87,000 चालान में से, लेखापरीक्षा ने केवल 47,792 चालान की नमूना जाँच की। इस प्रकरण में राजस्व की हानि की सही मात्रा निकाले जाने के लिए विभाग द्वारा अपने स्तर पर शेष चालान आंतरिक रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं।

सहा.आब.आयु., इंदौर में पायी गयी उपर्युक्त अनियमितताओं के आलोक में, लेखापरीक्षा द्वारा आगे, यह विश्लेषण के लिए कि क्या विभाग के अन्य कार्यालयों में ऐसी और अन्य अनियमितताएँ विद्यमान है, सात कार्यालयों[22] के अभिलेखो की जाँच (अप्रैल 2019 से मई 2019 के मध्य) की गई। निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- पाँच सहा.आब.आयु[23] द्वारा मासिक समाधान विवरण कोषालय को 1 से 569 दिनों की देरी के साथ भेजे गए थे। यह भी देखा गया कि सहा.आब.आयु. देवास, धार और उज्जैन द्वारा मासिक समाधान विवरण 2 से 621 दिनों के विलंब से आबकारी आयुक्त को भेजे गए थे। विलंब की श्रेणी को नीचे दी गई **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3
कोषालय और आबकारी आयुक्त को मासिक समाधान विवरण भेजने में विलंब की अवधि दर्शाने वाला विवरण

सहा.आब. आयु. का नाम	कोषालय को					आबकारी आयुक्त को				
	विलंब की अवधि की संख्या (श्रेणी दिनों मे)					विलंब की अवधि की संख्या (श्रेणी दिनों मे)				
	<30	≥30<90	≥90<180	≥180<365	≥365	<30	≥30<90	≥90<180	≥180<365	≥365
देवास (अप्रैल 2017 से दिसंबर 2017)	7	0	0	0	0	5	4	0	0	0
धार (अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक)	5	3	3	9	2	2	3	3	0	0
उज्जैन (अप्रैल 2017 से मार्च 2018)	7	3	1	0	0	0	2	0	1	9

[22] देवास, धार, ग्वालियर, रायसेन, सागर, सिहोर एवं उज्जैन।
[23] देवास, धार, ग्वालियर, सागर एवं उज्जैन।

सागर (दिसंबर 2016 से मार्च 2018)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ग्वालियर (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0

सहा.आब.आयु. इंदौर के पूर्वोक्त दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में, जहां निगरानी की कमी एवं विभाग और कोषालय के मध्य मिलान की अनुपस्थिति की वजह से राज्य के राजकोष पर प्रत्यक्ष कपट हुआ, मिलान मे यह निरंतर विलंब कभी–कभी तीन, छः या 12 महीने से भी अधिक समय तक है, यह गंभीर चिंता का कारण है।

- यद्यपि, मासिक समाधान विवरण सहा.आब.आयु. सागर द्वारा तैयार किए गए थे, परन्तु कुछ निश्चित स्तंभ जैसे कि वार्षिक माँग और विभागीय आंकड़ों और कोषालय के बीच मासिक अंतर को नहीं भरा गया था। सहा.आब.आयु. ग्वालियर के संबंध में, तौजी में वार्षिक माँग और विभागीय और कोषालय के आंकड़े के मासिक अंतर के स्तंभ नहीं पाया गया है। इस तरह के अंतर के कारणों को भी दर्ज नहीं किया गया था।
- सहा.आब.आयु. ग्वालियर कोषालय अभिलेख के अनुसार जमा किए गए 131 चालानों राशि ₹ 2.70 लाख तक की विभागीय प्रतियों को प्रस्तुत करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा इन लेनदेनों की वास्तविकता का पता लगाने में असमर्थ है। जैसा कि पूर्व में इंगित किया गया है, इंदौर में 1,061 चालानों पर धोखाधड़ी करके, लाइसेंसधारक केवल ₹ 1.20 करोड़ राजस्व के रूप में जमा करने के बाद ₹ 36.22 करोड़ के राजस्व से राज्य के राजकोष को वंचित कर सकते हैं। जहाँ 131 चालान लेखापरीक्षा को प्रस्तुत भी नहीं किए जा सकते हैं, यह न केवल बल्कि बेहद संदिग्ध है की उन चालानों के साथ क्या हुआ है, लेकिन सहा.आब.आयु. इंदौर के पैमाने पर धोखाधड़ी या गबन जैसी संभावनाओं से लेखापरीक्षा द्वारा इंकार नही किया जा सकता है।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013–14 और 2017–18 के मध्य, विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में 42 प्रतिशत से 86 प्रतिशत तक की कमी रही। विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.4

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा इकाईयों की योजना और की गई लेखापरीक्षा

वर्ष	रोस्टर अनुसार इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	रोस्टर के संदर्भ में कमी	कमी का प्रतिशत
2013–14	35	05	30	85.71
2014–15	25	14	11	44.00
2015–16	37	15	22	59.46
2016–17	24	11	13	54.17
2017–18	43	25	18	41.86

आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं करने से विभाग आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने में विफल रहा। नमूना जाँच किए गए सात सहा.आब.आयु. में से दो सहा. आब.आयु. सागर और उज्जैन में, आंतरिक लेखापरीक्षा 2014 से नहीं की गयी थी, तथा एक सहा.आब.आयु. रायसेन में 2015 से आयोजित नहीं की गयी थी। इंदौर के प्रकरण

में, जहाँ आपत्ति अवधि में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, उपरोक्त इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नही करने के कारण संभाव्य कपट के लिए यह एक खतरे का संकेत हो सकता है।

विभाग ने सूचित किया कि–

- सहा.आब.आयु. देवास में, कार्यालयीन व्यस्तताओं के कारण मासिक समाधान विवरण कोषालय भेजने में तीन महीने की देरी हुई। यद्यपि, अन्य मामलों में देरी के संबंध में कोई कारण नहीं दिए गए थे। आबकारी आयुक्त को विवरण भेजने में देरी के लिए, कोई विशेष कारण नहीं दिया गया और यह कहा गया कि उन्हें कोषालय से प्राप्त होने के तुरंत बाद भेजा गया था।
- सहा.आब.आयु. धार में, कोषालय को विवरण भेजने में देरी के लिए शराब की दुकानों के निष्पादन और अन्य व्यस्तताओं को बताया गया, एवं फलस्वरूप उन्हें देरी के साथ आबकारी आयुक्त को भेजा गया था।
- सहा.आब.आयु., उज्जैन में, दिसंबर 2017 एवं मार्च 2018 के बीच कोषालय को भेजने में देरी वार्षिक नीलामी प्रक्रिया में व्यस्तता के कारण हुई थी। यद्यपि, शेष मामलों में देरी के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2017 से मार्च 2018 के सत्यापित विवरण एक बैच में कोषालय से मार्च 2018 में प्राप्त होना, आबकारी आयुक्त को भेजने में देरी का कारण बताया गया था।
- सहा.आब.आयु., सागर में, कोषालय को विवरण भेजने में देरी के लिये शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में व्यस्त होना बताया गया था।
- सहा.आब.आयु. ग्वालियर द्वारा 131 चालानों का प्रस्तुत न करने के संबंध में, सहा.आब.आयु ने कहा कि ये चालान उन लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किए गए थे जो ग्वालियर जिले से बाहर हैं एवं उनकी प्रतियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। यद्यपि, जिले की कोषालय पत्रक में उनके प्रतिबिंबित होने के कारण उन्हें प्राप्तियों में लिया गया था। सहा.आब.आयु ग्वालियर का उत्तर, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राप्तियों को मूल चालान, प्राप्तियों के प्रकार के सत्यापन के बिना हिसाब में लिया गया था एवं बिना टिप्पणी के कि क्या वे तौजी में भी पाए गए थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोषालय अभिलेखों के साथ चालान के सत्यापन में कमियाँ हैं। कोषालय के अभिलेखों के साथ चालान का मिलान न किए जाने और आयुक्त और उपायुक्त, आबकारी द्वारा निगरानी की कमी के कारण, शासन को राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, संबंधित सहा.आब.आयु. के कोषालय अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी, जो कोषालय और विभाग के बीच प्राप्तियों के मिलान के संबंध में संहिता प्रावधानों का पालन करने से संबंधित थी। यदि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ सक्रिय रहता और आवधिक लेखापरीक्षा की गयी होती तो उपरोक्त अनियमितताओं को रोका जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण आबकारी आयुक्त और शासन को प्रतिवेदित (जनवरी 2019 और मार्च 2019 के बीच) किया। शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितंबर 2019)।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

अध्याय - 3
वाणिज्यिक कर

अध्याय 3
वाणिज्यिक कर

3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) के सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है। वाणिज्यिक कर विभाग, आयुक्त वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) के समग्र नियंत्रण में एक निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त के सहयोग से कार्य करता है। विभाग को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र एक अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त के अधीन होता है। इन क्षेत्रों में संभागीय उप आयुक्तों (उप.आयु.) के अधीन 16 संभागीय कार्यालय सम्मिलित हैं। इन संभागों में वाणिज्यिक कर अधिकारियों (वा.क.अधि.)/ सहायक आयुक्तों (सहा.आयु.) के नियंत्रण में 84 वृत्त कार्यालय एवं 19 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय हैं। 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू किया गया था और करों को निम्न प्रावधानों के तहत प्रशासित किया गया था:

- मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं
- मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वाणिज्यिक कर विभाग के राजस्व शीर्ष बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर एवं माल और यात्री कर के राजस्व बजट अनुमान के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों के प्रवृत्ति को **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर का प्रतिशत
2013–14	19,140.00	19,228.59	(+) 0.46
2014–15	22,400.00	20,822.35	(+) 7.04
2015–16	24,500.00	22,890.91	(–) 6.57
2016–17	26,200.00	26,366.16	(+) 0.63
2017–18	26,107.00[24]	24,839.46[25]	(–) 4.86

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2017–18 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ विभाग द्वारा तैयार संशोधित बजट अनुमान से 4.86 प्रतिशत कम हुईं। लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार से वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त जी.एस.टी. पर क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 2,511 करोड़ शामिल करने के कारण वास्तव में वास्तविक प्राप्ति 4.76 प्रतिशत बढ़ी।

3.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपने 65वें प्रतिवेदन (दिसम्बर 2015) में विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने एवं उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देशित किया था।

---

[24] 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के कारण संशोधित बजट अनुमान के आंकड़े लिए गए हैं।

[25] जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक ₹ 24,839.46 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति में ₹ 16,143.34 करोड़ वैट एवं ₹ 8,696.12 करोड़ जी.एस.टी. शामिल है। उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार से वर्ष 2017–18 के दौरान जी.एस.टी. कर क्षतिपूर्ति राशि ₹ 2,511 करोड़ अनुदान के रूप में भी प्राप्त हुई।

विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि सीमित संसाधनों के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की जा सकी, तथापि मंडल उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों द्वारा वृत्त कार्यालयों का रोस्टर निरीक्षण वार्षिक रूप से किया जाता है। संभागीय उपायुक्त कार्यालयों का निरीक्षण अतिरिक्त आयुक्तों द्वारा किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कर निर्धारण के प्रकरणों की भी जाँच की जाती है। इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कोई आवश्यकता नहीं है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने यह सूचित किया कि मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग सभी शासकीय विभागों का एक मात्र आंतरिक लेखापरीक्षक था। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव वित विभाग को भेजा जाएगा।

यद्यपि, विभाग के द्वारा लो.ले.स. के आदेशों का अभी (मई 2019) पालन करना शेष है।

अनुशंसाः

विभाग को अपनी आंतरिक नियंत्रण वातावरण को बेहतर बनाने के लिए लो.ले.स. की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और पूरी तरह कार्यात्मक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करना चाहिए।

3.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि) में 132 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ हैं। जिनमें से नमूना जाँच हेतु 94 इकाईयों[26] का चयन किया गया। विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग ₹ 26,366.16 करोड़ सकल राजस्व प्राप्त किया गया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 20,590.54 करोड़ (78.09 प्रतिशत) संग्रहित किया। चयनित इकाईयों में 76,797 कर निर्धारण किए गए जिनमें से वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 76,233 कर निर्धारणों (लगभग 99 प्रतिशत) की नमूना जाँच की गई एवं 1,170 प्रकरणों (लेखापरीक्षा हेतु चयन का लगभग 1.5 प्रतिशत) में कर/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण, आगत कर छूट की अनियमित प्रदाय, कर को त्रुटिपूर्ण दर लागू करना और अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना, जैसे प्रकरण ध्यान में आये जिसमें ₹ 220.46 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। ये प्रकरण केवल उदाहरणात्मक हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है। लेखापरीक्षा ने पूर्व के वर्षों में भी कुछ इसी तरह की कमियों को इंगित किया था लेकिन अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा में परिलक्षित होने तक अनदेखी रहीं। देखी गई अनियमितताएँ निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत विस्तृत रूप से आती है जैसा **तालिका 3.2** में दर्षाया गया है:

तालिका 3.2

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर का कम अनारोपण/आरोपण नहीं किया जाना	232	29.77
2.	कर की त्रुटिपूर्ण दर का आरोपण	148	43.17
3.	कर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	326	77.42
4.	त्रुटिपूर्ण छूट/कटौती प्रदान किया जाना	177	39.21
5.	अन्य	287	30.89
कुल		**1,170**	**220.46**

[26] प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर का कार्यालय, 22 संभागीय कार्यालय, 30 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 41 वृत्त कार्यालय।

इन लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को शासन एवं विभाग को जून 2017 और मई 2018 के मध्य संप्रेषित किया गया था। विभाग ने इनमें से, 734 प्रकरणों में ₹ 169.48 करोड़ के कर का कम निर्धारण और अन्य अनियमिताओं की समीक्षा करना स्वीकार किया। इस संबंध में आगामी प्रगति वसूली सहित लेखापरीक्षा में ध्यान में रखी जायेगी।

विभाग ने यह भी सूचित किया कि वर्ष 2017–18 के दौरान एक प्रकरण में ₹ 0.52 लाख का राजस्व वसूल किया गया (सितम्बर 2019)।

3.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा ने 123 कण्डिकाओं में ₹ 1,181.30 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया गया था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा आज दिनांक तक केवल ₹ 0.88 करोड़ की वसूली की गई।

लो.ले.स. ने वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समान कण्डिकाओं के लिए पहले ही अपनी अनुशंसाएं एवं निर्देश दिये (384 वें प्रतिवेदन, 2016–17) थे। उनमें से कुछ निर्देश इस प्रकार थेः (1) विभाग को गंभीर अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए; (2) समिति को प्रवेश कर की वसूली और संबंधित व्यवसायिओं से जुर्माने की कानूनी कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए; (3) विभाग को संबंधित व्यवसायी से जल्द से जल्द बकाया कर वसूल करना चाहिए और वित विभाग और महालेखाकार को सूचित करना चाहिए; भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए आवश्यक निर्देश/आदेश जारी किए जाए।

विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि लो.ले.स. के निर्देशों के अनुपालन में उपयुक्त कार्रवाई की गई थी, आवश्यक विस्तृत निर्देश जारी किए गए और आपत्ति लिए गए प्रकरणों में वसूली की गई थी। दोषी अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाही के संदर्भ में, विभाग ने कहा कि कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए थे और शेष अधिकारियों को राजस्व हानि का दोषी नहीं पाया गया क्योंकि इन अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध कोई कर की माँग बकाया नहीं थी।

तथापि, विभाग समान प्रकार की अनियमितताओं के जारी रहने को रोकने में विफल रहा।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें ₹ 20.46 करोड़ की शासकीय राजस्व की हानि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है:

3.6 टर्नओवर का गलत निर्धारण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 37.83 करोड़ कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप कर ₹ 2.91 करोड़ एवं शास्ति ₹ 3.25 करोड़ का आरोपण नहीं हो सका।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में यह प्रावधान है कि कम कर के निर्धारण के लिए यदि करदाता उत्तरदायी है तो निर्धारित किये गये कर के 3 से 3.5 गुना के मध्य शास्ति आरोपित किया जाना है।

पाँच संभागीय कार्यालयों[27], 10 क्षेत्रीय कार्यालयों[28] और 24 वृत्त कार्यालयों[29] के 2011–12 और 2015–16 के अवधि के 76 प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण जुलाई 2014

[27] **उप.आयु.**– भोपाल (कर लेखापरीक्षा शाखा), छिंदवाड़ा, ग्वालियर–2, इंदौर (कर ले.प. शाखा–1) और सतना।

[28] **सहा.आयु.**– भोपाल–2, ग्वालियर–2, ग्वालियर–3, इंदौर–11, जबलपुर–1, खंडवा–2, मुरैना, नीमच, पीथमपुर (धार) और उज्जैन–1।

[29] **वा.क.अधि.**– अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भोपाल (ए. एंड एल.), बुरहानपुर, छिंदवाड़ा–1, छिंदवाड़ा–2, धार, गुना–2, गुना, होशंगाबाद, इंदौर–1, इंदौर–2, इंदौर–4 इंदौर–13, इंदौर–14, इंदौर–15, इटारसी, मंडला, राजगढ़. सतना–2, शाजापुर, उज्जैन–2 और उज्जैन–3।

और जनवरी 2017 के मध्य किया गया था, के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2017 तथा जनवरी 2018 के मध्य) में देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 37.83 करोड़ के कम टर्नओवर अवधारित किये गये थे। इन 76 प्रकरणों में से, 55 प्रकरणों में विक्रय मूल्य, लाभ एवं अन्य प्राप्ति को लेखे में नहीं/कम दर्शाने के कारण, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कम टर्नओवर अवधारित किया गया था। टर्नओवर अवधारित करते समय छः प्रकरणों में अंकेक्षित लेखे के आँकड़ों को नहीं लिया गया। आगे 11 प्रकरणों में वैट तथा उत्पाद शुल्क की निम्न दरों को लागू किया गया था जबकि चार प्रकरणों में आधिक्य/त्रुटिपूर्ण कटौतियाँ प्रदाय की गई थी। इस प्रकार, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण के समय सही कर योग्य टर्नओवर का अवधारण करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 2.91 करोड़ का कर और ₹ 3.25 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकी। कर निर्धारण अधिकारियों के उत्तर एवं उन पर हमारे अभिमत का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट III** में दर्शाया गया है।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में बताया कि प्रकरणों का पुनः कर निर्धारण कर विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समान प्रकार की आपत्तियों का उल्लेख किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में कर निर्धारण अधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, लेकिन ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

अंतिम कार्यवाही और वसूली की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (नवंबर 2017 और जुलाई 2018 के मध्य) था, लेकिन अब तक (सितंबर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.7 अस्वीकार योग्य आगत कर की छूट को लागू करना

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मान्य ₹ 45.17 करोड़ के विरूद्ध ₹ 48.07 करोड़ की आगत कर छूट प्रदाय की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.90 करोड़ के कर का कम संग्रहण हुआ। ₹ 2.20 करोड़ की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।

म.प्र. वैट अधिनियम (2002) में प्रावधान है कि जब एक पंजीकृत व्यवसायी किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से कुछ विशिष्ट सामग्रियों को क्रय करता है व उसके लिए आगत कर चुकाता है तो उसे आगत कर छूट की पात्रता होगी। आगत कर की यह छूट वास्तव में भुगतान किये गये आगत कर से अधिक नहीं होगी। यदि आगत कर में त्रुटीपूर्ण छूट के प्रदाय के लिए व्यवसायी उत्तरदायी पाया जाता है तो शास्ति भी आरोपित की जावेगी।

अधिनियम में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि विक्रेता पंजीकृत व्यवसायी के द्वारा संग्रहित किये गये कर को देयक, बीजक अथवा नगद पर्ची में पृथक से नहीं दर्शाया जाता है तो आगत कर में छूट के लिए न तो कोई दावा किया जावेगा और न ही उसे स्वीकृत किया जावेगा।

लेखापरीक्षा ने चार संभागीय कार्यालयों[30], आठ क्षेत्रीय कार्यालयों[31] और 22 वृत्त कार्यालयों[32] के कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखे, विवरणियाँ, विक्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जाँच की (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) और पाया कि 70

[30] **उप.आयु.**– भोपाल–2, इंदौर–3, इंदौर (कर ले.प. शाखा–1) और सतना।
[31] **सहा आयु.**– भोपाल–3, भोपाल–2, ग्वालियर–2, इंदौर– 2, इंदौर–11, जबलपुर–1, नीमच और उज्जैन–1।
[32] **वा.क.अधि.**– अनुपपूर, अशोकनगर, बालाघाट, भोपाल–2, भोपाल–4, भोपाल–5, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा–1, छिंदवाड़ा–2, देवास, गुना, होशंगाबाद, इंदौर–1, इंदौर–4, इंदौर–13, इंदौर–14, इंदौर–15, मंडला, रायगढ़, सतना–1, सीहोर और शहडोल।

प्रकरणों, जो 2011–12 से 2014–15 की अवधि में अप्रैल 2015 और अप्रैल 2017 के मध्य निर्धारित किये गये थे, में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रय सूची एवं अंकेक्षित लेखों को ध्यान में लिए बिना व्यवसायियों के द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर अधिक आगत कर छूट प्रदाय की गई।

28 प्रकरणों में व्यवसायियों के द्वारा जो आगत कर का भुगतान किया गया था वह उनके विवरणियों में छूट के लिए किये गये दावे से कम था, और 21 प्रकरणों में अमान्य होने के बाद भी आगत कर में छूट प्रदान कर दी गई थी। अन्य प्रकरणों में या तो कर मुक्त मालों पर आगत कर छूट दी गई या दोहरी छूट दी गई। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सही आगत कर छूट निर्धारण में विफल होने के परिणामस्वरूप स्वीकार नहीं करने योग्य आगतकर छूट ₹ 2.90 करोड़ दी गई और शास्ति ₹ 2.20 करोड़ आरोपित नहीं की गयी। कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर एवं उस पर हमारे अभिमत **परिशिष्ट IV** में दर्शाए गये हैं।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार किया और सूचित किया कि प्रकरणों का पुनःनिर्धारण करने के पश्चात् विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जावेगा जो कि अब तक (मई 2019) अप्राप्त थे।

वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान प्रकार की आपत्तियों को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2017 और जुलाई 2018 के मध्य) था, लेकिन अब तक (सितंबर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मशीनरी, पत्थर, मोटर कार के ऑटो पार्ट्स, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, तेल, विस्फोटक, सोयाबीन, एच.डी.पी.ई. से बुना बस्ता, कोयला, इत्यादि वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया था या फिर त्रुटिपूर्ण आरोपित किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 1.94 करोड़ के प्रवेश कर की प्राप्ति नहीं हो सकी और इसके फलस्वरूप शास्ति ₹ 2.52 करोड़ अनारोपित रही।

प्रवेश कर अधिनियम में प्रावधान है कि यदि प्रवेश कर के कम निर्धारण के लिए व्यवसायी उत्तरदायी होता है तो निर्धारित कर के ऊपर कम से कम तीन गुना शास्ति आरोपित की जावेगी।

सात संभागीय कार्यालयों[33], 11 क्षेत्रीय कार्यालयों[34] और 17 वृत्त कार्यालयों[35] के 2012–13 और 2014–15 के मध्य 52 प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण दिसंबर 2014 एवं अक्टूबर 2017 के मध्य किया गया था, के अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखे, विवरणियाँ, विक्रय सूचि आदि अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2017 एवं मई 2018 के मध्य) में पाया गया कि स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर माल जैसे मशीनरी, पत्थर, मोटर कार के ऑटो पार्ट्स, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, तेल, विस्फोटक, सोयाबीन, एच.डी.पी.ई. से बुना बस्ता, कोयला, इत्यादि पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया था या फिर त्रुटिपूर्ण आरोपित किया गया था।

---

[33] **उप.आयु.**– भोपाल–1, भोपाल–2, छिंदवाडा, ग्वालियर (कर ले.प. शाखा) और ग्वालियर–2।

[34] **सहा आयु.**– भोपाल–2, छिंदवाडा–1, ग्वालियर–2, इंदौर–1, इंदौर–2, जबलपुर–1, जबलपुर–2 खंडवा–2, मुरैना, पीथमपुर (धार) और उज्जैन–1।

[35] **वा.क.अधि.**– अशोकनगर, अनूपपुर, बालाघाट, भोपाल–5, छिंदवाड़ा–1, धार, गुना, गुना–2 इंदौर–1, इंदौर–2, इंदौर–14, इटारसी, मंडला, सतना–1, सीहोर, शहडोल और उज्जैन–3।

इन 52 प्रकरणों में से 22 प्रकरणों में प्रवेश कर, लागू होने वाले दर की तुलना में निम्न दर से आरोपित किया गया, 24 प्रकरणों में आरोपणीय प्रवेश कर को आरोपित नहीं किया गया, पाँच प्रकरणों में कम क्रय पर प्रवेश कर की छूट दी गयी एवं एक प्रकरण में जिस माल पर प्रवेश कर आरोपणीय था वह कर योग्य सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया। संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी कर की सही गणना करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप ₹ 1.94 करोड़ प्रवेश कर की प्राप्ति नहीं हो सकी एवं ₹ 2.52 करोड़ शास्ति आरोपित नहीं की गई।

इसके इंगित किये जाने पर (मई 2017 और मई 2018 के मध्य) कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर एवं उन पर हमारे अभिमत को **परिशिष्ट V** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में विभाग ने सूचित किया कि विस्तृत उत्तर प्रकरणों के पुनर्निधारण आदेशों एवं माँग पत्र की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान प्रकार की आपत्तियों को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

अंतिम कार्यवाही एवं वसूली की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2017 और जुलाई 2018 के मध्य) था, लेकिन अब (सितंबर 2019) तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

3.9 कर की त्रुटिपूर्ण दर को लागू किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों के कर की सही दर को लागू करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ के कर के अतिरिक्त ₹ 1.73 करोड़ की शास्ति का भी कम आरोपण हुआ।

म.प्र. वैट अधिनियम 2002, में प्रावधान है कि कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यवसायी के कर योग्य टर्न ओवर पर अधिनियम की अनुसूची–दो मे संबंधित सामग्री के समक्ष कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के अनुसार कर का आरोपण किया जायेगा।

दो संभागीय कार्यालयों[36], नौ क्षेत्रीय कार्यालयों[37] और 13 वृत्त कार्यालयों[38] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 2012–13 और 2015–16 अवधि के मध्य निर्धारित किये गये 44 व्यवसायियों के 43 प्रकरणों में जिनका कर निर्धारण दिसंबर 2014 और जनवरी 2017 के मध्य किया गया था, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने, ट्रैक्टर एसेसरीज, सीमेंट पोल, ऑटो पार्टस, कोटा स्टोन, पेट्रोल, डीजल और ल्यूब्रिकेन्ट, पैकिंग सामग्री, प्लाण्ट एवं मशीनरी आदि जो उच्च दर से कर योग्य थे, पर त्रुटिपूर्ण कर दर लागू किया गया जैसा नीचे **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

[36] **उप.आयु.**– ग्वालियर (टी.ए.डब्ल्यू) और छिंदवाड़ा।
[37] **सहा आयु.**– ग्वालियर–2, ग्वालियर–3, इंदौर–2, खंडवा–2, मुरैना, नीमच, पीथमपुर, सागर और उज्जैन–1।
[38] **वा.क.अधि.**– बालाघाट, भोपाल–2, भोपाल–5, भोपाल (ए. एण्ड एल.), धार, गुना, होशंगाबाद, इंदौर–1, इंदौर–4, इंदौर–13, इंदौर–14, सीहोर और शहडोल।

तालिका 3.3
त्रुटिपूर्ण कर दर लगाया जाना

क्र. स.	त्रुटिपूर्ण दर लगाने की संख्या	कर दर जो लगाया जाना था (प्रतिशत)	लगाया गया कर दर (प्रतिशत)
1.	36	13	3 या 5
2.	5	5 या 13	निरंक
3.	4	31	23 या 27
4.	3	27	23
5.	1	5	4
6.	3	13	@ ₹ 1 प्रति वर्ग फिट की दर से
7.	1	14	5

इसप्रकार, कर निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों नियमों और विभागीय परिपत्रों को लागू कर वस्तुओं को सही रूप में वर्गीकृत करने एवं कर की उपयुक्त दर लागू करने में विफल रहे। उसके परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ कर तथा उस पर ₹ 1.73 करोड़ शास्ति का कम आरोपण किया गया।

राजस्व की कम वसूली, लेखापरीक्षा आपत्ति, कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर और उस पर हमारे अभिमत का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट VI** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में विभाग ने बताया कि इन प्रकरणों को पुनः खोला जायेगा और पुनर्निधारण किया जायेगा।

वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान प्रकार की आपत्तियों को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

अन्तिम कार्यवाही एवं वसूली की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2017 और अप्रैल 2018 के मध्य) था, लेकिन अब तक (सितंबर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.10 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कम कर का आरोपण/अनियमित रियायत का प्रदाय किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों के अन्तर्राज्यीय विकय के प्रावधानों को लागू करने में विफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ कर की कम प्राप्ति हुई तथा ₹ 26.30 करोड़ की शास्ति भी अनारोपित रही।

केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम 1956 में प्रावधान है कि यदि व्यवसायी अन्तर्राज्यीय विक्रय का दावा करता है (जो उसे टर्नओवर पर दो प्रतिशत के कर भुगतान का पात्र बनाता है) और क्रय करने वाले व्यवसायी का प्रपत्र 'ग' में हस्ताक्षरयुक्त घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह उपयुक्त राज्य के अन्दर विक्रय या क्रय पर लगने वाले दर से कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, और इसके अतिरिक्त इस प्रकार निर्धारित कर का तीन गुना शास्ति का भुगतान भी करेगा।

दो संभागीय कार्यालयों[39], तीन क्षेत्रिय कार्यालयों[40] और पाँच वृत्त कार्यालयों[41] के अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जाँच (मई 2017 और नवम्बर 2017 के मध्य) में प्रकट

[39] **उप.आयु.**– ग्वालियर–2 और इंदौर–2।
[40] **सहा आयु.**– इंदौर–1, खंडवा एवं बैढ़न।
[41] **वा.क.अधि.**– भोपाल–1, ग्वालियर–3, इंदौर–10, सतना–2 और उज्जैन–2।

हुआ कि 10 व्यवसाईयों के 10 प्रकरणों में वर्ष 2014–15 कर निर्धारण के लिए जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2016 और जनवरी 2017 के मध्य किया गया था, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम के अन्तर्गत अनियमित रियायत प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, छः प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अन्तर्राज्यीय विक्रय पर रियायती दर से कर प्रपत्र 'ग' समर्थित घोषणा–पत्र के बिना स्वीकार किया, इसी प्रकार एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय में कटौती प्रपत्र ई–1 के न होने पर भी छूट स्वीकार की। कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक प्रकरण में छूट प्रपत्र 'ग' पर बिना हस्ताक्षर के मान्य किया। एक प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने अन्तर्राज्यीय विक्रय में छूट को प्रपत्र ई–1 एवं प्रपत्र 'ग' के सर्मथन के बिना त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार किया जबकि प्रपत्र ई–1 समर्थित विक्रय कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से संबंधित था। एक अन्य प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने समान प्रकृति के प्रपत्र 'ग' समर्थित विक्रय के संबंध में त्रुटिपूर्ण रूप से छूट को स्वीकार किया। पुनः दो प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रय में छूट को, प्रपत्र 'ग' को TINXSYS पर सत्यापन के बिना मान्य किया। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने चार प्रकरणों में पाँच प्रतिशत लागू होने वाले कर के स्थान पर दो प्रतिषत कर लागू किया और तीन प्रकरणों में 13 प्रतिषत लागू होने वाले कर के स्थान पर दो प्रतिशत कर लागू किया।

संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने, अधिनियम में उपयुक्त दर से कर लगाने के स्पष्ट प्रावधानों की उपेक्षा करके उपयुक्त कर निर्धारण में त्रुटि की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ कर कम प्राप्त हुआ तथा ₹ 26.30 लाख की शास्ति भी अनारोपित रही **(परिशिष्ट VII)**।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, विभाग ने बताया कि प्रपत्र 'ग' का सत्यापन किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो, प्रकरणों को पुनः खोलकर पुनः कर निर्धारण किया जायेगा।

वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान प्रकार की आपत्तियों को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों की ऐसी चूक का उल्लेख किया गया था, परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बनी रही, बल्कि लेखापरीक्षा होने तक अनदेखी रही।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2017 और जनवरी 2018 के मध्य) था, लेकिन अब तक (सितंबर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

अध्याय - 4
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय 4
खनन प्राप्तियाँ

4.1 प्रस्तावना

खनिजों को मुख्य खनिज (लौह अयस्क, मैग्नीज़, सोना इत्यादि) और गौण खनिज (रेत, ग्रेनाईट, कंकड़, इमारती पत्थर इत्यादि) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खनिजों की खुदाई के लिए खनन पट्टे[42] / उत्खनन पट्टे[43] एवं व्यापारिक खदान[44] के रूप में खदानों को आवंटित / स्वीकृत किया जाता है। राज्य में खनिजों पर रॉयल्टी का करारोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, खनिज रियायत नियम 1960, म.प्र. गौण खनिज नियम 1996, मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006 इत्यादि द्वारा निर्धारित होता है।

4.2 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश शासन के पूर्णतः अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग का प्रमुख होता हैं जिसकी सहायता मुख्यालय और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के उपसंचालकों द्वारा की जाती है। कलेक्टर जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है और जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं खनिज निरीक्षक (ख.नि.) उनके राजस्व संग्रहण संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करते हैं। जि.ख.अ. / स.ख.अ और ख.नि. रॉयल्टी और अन्य खनन प्राप्तियों के निर्धारण, अधिरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। जि.ख.अ एवं ख.नि. खदानों का निरीक्षण तथा खनिजों के उत्पादन व प्रेषण की समीक्षा के लिए अधिकृत हैं। सभी 51 जिलों में, खनिज शाखा, कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करती है।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017–18 के दौरान खनिज संसाधन विभाग की 54 लेखापरीक्षा योग्य चिन्हित इकाईयों में से 27 (50 प्रतिशत) इकाईयाँ (कार्यालय प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, कार्यालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म और 25 जिला खनिज कार्यालय) लेखापरीक्षा के लिये शामिल किये गये। वर्ष 2017–18 के दौरान विभाग द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व ₹ 3,640.73 करोड़ था जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 1,052.81 करोड़ (लगभग 29 प्रतिशत) संग्रहित किये। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा में 2,711 प्रकरणों में ₹ 561.39 करोड़ के राजस्व की कम वसूली होने / वसूली नहीं होने एवं अन्य अनियमिताओं के प्रकरण संज्ञान में आए, जो निम्नानुसार **तालिका 4.1** में उल्लेखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

---

42 खनन पट्टा से आशय खनन संचालन के उद्देश्य से दिया गया पट्टा है और इसमें उक्त उद्देश्य हेतु स्वीकृत उप–पट्टा सम्मिलित है। यह मुख्य खनिजों के लिए दिया जाता है।

43 उत्खनन पट्टे से आशय गौण खनिजों के लिए खनन पट्टा है।

44 व्यापारिक खदान से आशय एक खदान से है, जिसके लिए 'कार्य का अधिकार' नीलाम किया जाता है।

तालिका 4.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	''मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से राजस्व प्राप्तियाँ'' पर लेखापरीक्षा	252	207.07
2	वसूल न किया गया बकाया राजस्व	33	86.64
3	अनिवार्य किराया/रॉयल्टी का अनारोपण/कम आरोपण	295	24.29
4	ठेका राशि की अवसूली/कम वसूली	132	6.39
5	खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर का अनारोपण/कम आरोपण	142	5.88
6	जिला खनिज फाउंडेशन (जि.ख.फा.) अभिदान की अवसूली/कम वसूली	01	2.70
7	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज़ की अवसूली/कम वसूली	134	2.61
8	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) निधि का वसूल न होना	16	0.49
9	अन्य (शास्ति का अनारोपण, पट्टा अनुबंधों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का अनारोपण आदि)	1,665	220.72
योग		**2,670**	**556.79**

इन प्रेक्षणों को मई 2017 से मई 2019 की अवधि के दौरान शासन तथा विभाग को प्रेषित किया गया। इन प्रकरणों में से विभाग ने 658 प्रकरण स्वीकार किए जिनमें ₹ 189.50 करोड़ की राशि निहित थी तथा ऐसे 549 प्रकरणों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया जिनमें ₹ 80.26 करोड़ की राशि निहित थी। यद्यपि, विभाग द्वारा 37 प्रकरणों में राशि ₹ 27.87 लाख की वसूली की सूचना (सितम्बर 2019) दी गई।

4.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 63 कंडिकाओं में ₹ 450.03 करोड़ के विभिन्न प्रेक्षणों को दर्शाया गया था, जिनमें से विभाग द्वारा केवल ₹ 3.46 करोड़ की वसूली की गई थी। इन 63 कंडिकाओं में से सितम्बर 2016 और जुलाई 2018 के मध्य 20 कंडिकायें[45] चर्चा हेतु लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चुनी गईं। लो.ले.स. ने वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 20 कंडिकाओं पर चर्चा की। वर्ष 2012–13 से 2015–16 अवधि के सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सभी कंडिकाओं के संबंध में विभाग का उत्तर लो.ले.स. के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

लो.ले.स. ने वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समान कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा एवं दिशा–निर्देश (27वाँ प्रतिवेदन, 2014–15; 390वाँ प्रतिवेदन, 2016–17; 393वाँ प्रतिवेदन, 2016–17 और 386वाँ प्रतिवेदन, 2016–17) भी दिए जो इस प्रकार थे–

- प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के उल्लंघन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने के बाद समिति को सूचित किया जाए।
- वसूली न करने अथवा समय पर उपयुक्त कार्यवाही न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभाग द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करने के बाद समिति को सूचित किया जाए।

[45] 2012–13 (09), 2013–14 (03), 2014–15 (04), और 2015–16 (04)।

- सभी प्रकरणों में विभाग को अनुशंसा की तारीख से तीन माह के भीतर वसूली करना था।
- भविष्य में समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकना और आवश्यक आदेश जारी करना, जिसमें उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त अनुशंसाएँ थीं कि–

- लंबित बकाया राशि और ब्याज़ की वसूली के लिए विभाग द्वारा समय–सीमा निर्धारित की जानी थी।
- विभाग को लंबित राशि की वसूली के साथ–साथ लेखे से संभावित अवसूलनीय राशि के अपलेखन की कार्यवाही करनी थी।
- अवसूली के संबंध में सख्त निर्देश जारी किये जाने थे जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति न हो तथा वित्तीय हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त उपाय सुनिश्चित हो सके।

तथापि, विभाग ने अनुशंसाओं का पालन नहीं किया है। शकधर समिति की अनुशंसाओं, जिन्हें म.प्र. शासन द्वारा स्वीकार किया गया था, के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रेक्षणों पर विभाग के उत्तर, प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने हैं और लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर कार्यवाही छः महीने के भीतर की जानी है। यद्यपि, विभाग द्वारा इनका अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

"मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ" विषय पर आधारित लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिसमें राशि ₹ 207.07 करोड़ निहित हैं तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हुए कुछ व्याख्यात्मक प्रकरण जिनमें ₹ 10.69 करोड़ की राशि निहित है, को आगामी परिच्छेदों में वर्णित किया गया है। सभी प्रेक्षण शासन तथा विभाग को प्रेषित किये गये थे।

4.5 "मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ" पर लेखापरीक्षा

4.5.1 परिचय

मध्य प्रदेश राज्य खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। राज्य में बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज अयस्क, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, रॉक फास्फेट, हीरा आदि महत्वपूर्ण मुख्य खनिज भंडार हैं। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर.अधिनियम) और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, खानों के विनियमन और मुख्य खनिजों के विकास को नियंत्रित करते है। एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार सभी खनन पट्टों को 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जायेगा। संशोधन अधिनियम 2015 के प्रारंभ होने से पूर्व अनुदत्त सभी खनन पट्टों को भी 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत माना जाएगा। पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टे को अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।

4.5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से संपादित की गयी कि:

- नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में थी एवं राजस्व की हानि को प्रभावी ढंग से रोक रही थी; तथा
- अधिनियम, नियमों एवं विभागीय निर्देशों के प्रावधानों का शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए यथोचित रुप से अनुपालन किया गया था।

4.5.3 लेखापरीक्षा मानदंड

विषयगत लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गये:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (एम.एम.डी.आर. अधिनियम) एवं इसका संशोधन अधिनियम, 2015 (एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम);
- खनिज रियायत नियम, 1960 (एम.सी. नियम 1960);
- खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (एम.सी.नियम 2016);
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर);
- मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम;
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899;
- मध्य प्रदेश खनिज नीति, 2010 (खनिज नीति); और
- केंद्र/राज्य शासन एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी अधिसूचनाएँ तथा परिपत्र।

4.5.4 कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के मध्य की गई थी। राज्य में 51 जिला खनिज इकाईयाँ हैं, जिनमें से 21 जिलों में मुख्य खनिज पाए जाते हैं। राशि ₹ 7,055.50 करोड़ की राजस्व प्राप्ति वाली इन 21 इकाईयों में से राशि ₹ 6,461.30 करोड़ की राजस्व प्राप्ति वाली 13 इकाईयों[46] का स्ट्रेटीफाईड रेण्डम सेम्पलिंग विधि द्वारा चयन किया गया। उपरोक्त के अलावा, समग्र मूल्यांकन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा दो शीर्ष इकाइयों[47] का भी चयन किया गया। मुख्य खनिजों से प्राप्त राजस्व के निर्धारण, करारोपण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की जाँच हेतु लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक तीन वर्ष की अवधि को सम्मिलित किया गया।

दिनांक 22 नवम्बर 2018 को आयोजित एक आगम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विभाग के प्रमुख सचिव समक्ष व्याख्या की गई। लेखापरीक्षा के समापन पर शासन एवं विभाग को 23 मई 2019 को एक प्रारूप प्रतिवेदन प्रेषित किया गया एवं दिनांक 20 अगस्त 2019 को विभाग के प्रमुख सचिव के साथ निर्गम सम्मेलन में इस पर चर्चा भी की गई। विभाग से प्राप्त (सितम्बर 2019) उत्तरों को समुचित रुप से संबंधित अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। यद्यपि, प्रारूप प्रतिवेदन पर शासन का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

4.5.5 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मुख्य खनिजों की प्राप्तियों में प्रमुख रुप से राज्यांश एवं अन्य प्राप्तियाँ जैसे आवेदन शुल्क, भू–भाटक, ब्याज, अनुज्ञप्ति शुल्क, शास्ति, सतह किराया आदि है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 की अवधि की कुल प्राप्तियाँ **चार्ट 4.1** में दर्शायी गई हैं :

---

46 **जिला खनिज कार्यालय** अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली एवं हीरा अधिकारी पन्ना।

47 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म एवं प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग।

चार्ट 4.1

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान खनन प्राप्तियाँ

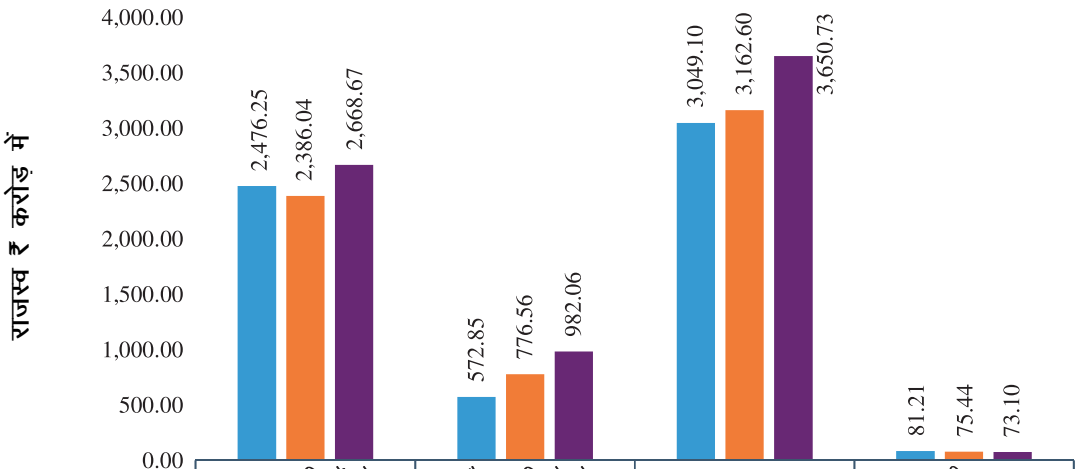

	मुख्य खनिजों से प्राप्त राजस्व	गौण खनिजो से प्राप्त राजस्व	कल राजस्व	मुख्य खनिज का कुल राजस्व में प्रतिशत
2015-16	2,476.25	572.85	3,049.10	81.21
2016-17	2,386.04	776.56	3,162.60	75.44
2017-18	2,668.67	982.06	3,650.73	73.10

मुख्य खनिजों की प्राप्तियों का खनिजवार अंश

मुख्य खनिजों से वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान शुद्ध खनन प्राप्तियाँ[48] ₹ 6,908.15 करोड़[49] के विरूद्ध मुख्य खनिजों की प्राप्तियों का खनिजवार अंश **चार्ट 4.2** में दर्शाया है:

चार्ट 4.2

2015–16 से 2017–18 के दौरान मुख्य खनिज–वार प्राप्तियाँ

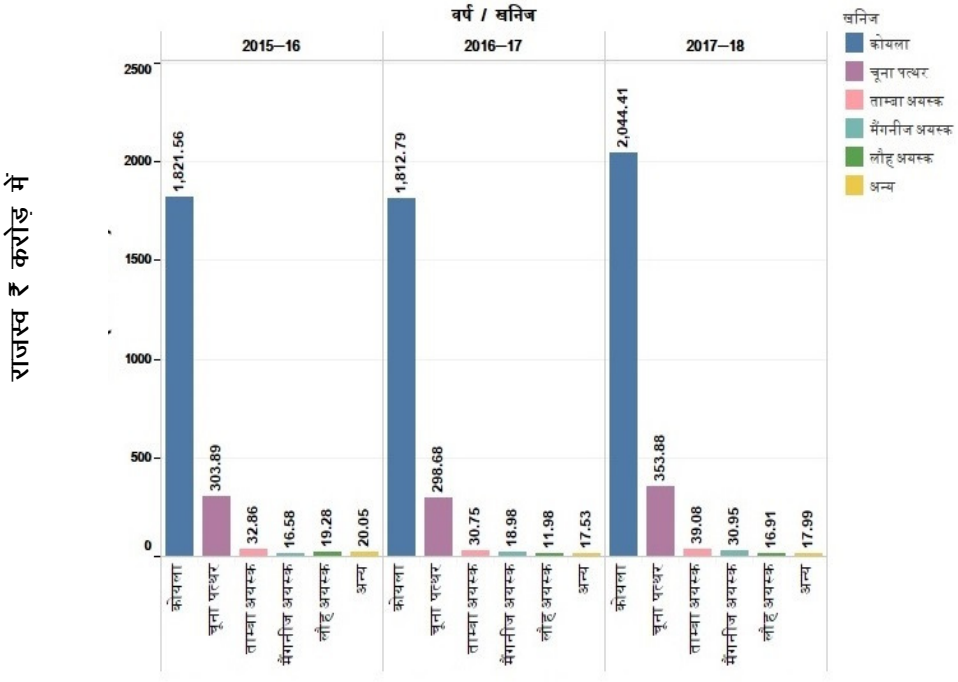

[48] 'शुद्ध खनन प्राप्तियों' में आवेदन शुल्क, ब्याज, अनुज्ञप्ति शुल्क, शास्ति, सतह किराया इत्यादि शामिल नहीं है।

[49] संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा प्रदत्त जानकारी।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि शासन ने मुख्य खनिजों की खनन प्राप्तियों का 82 प्रतिशत कोयले से अर्जित किया जबकि अन्य मुख्य खनिजों से मात्र 18 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई ।

राजस्व संग्रह की प्रक्रिया

विभाग में राजस्व के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण का प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है :

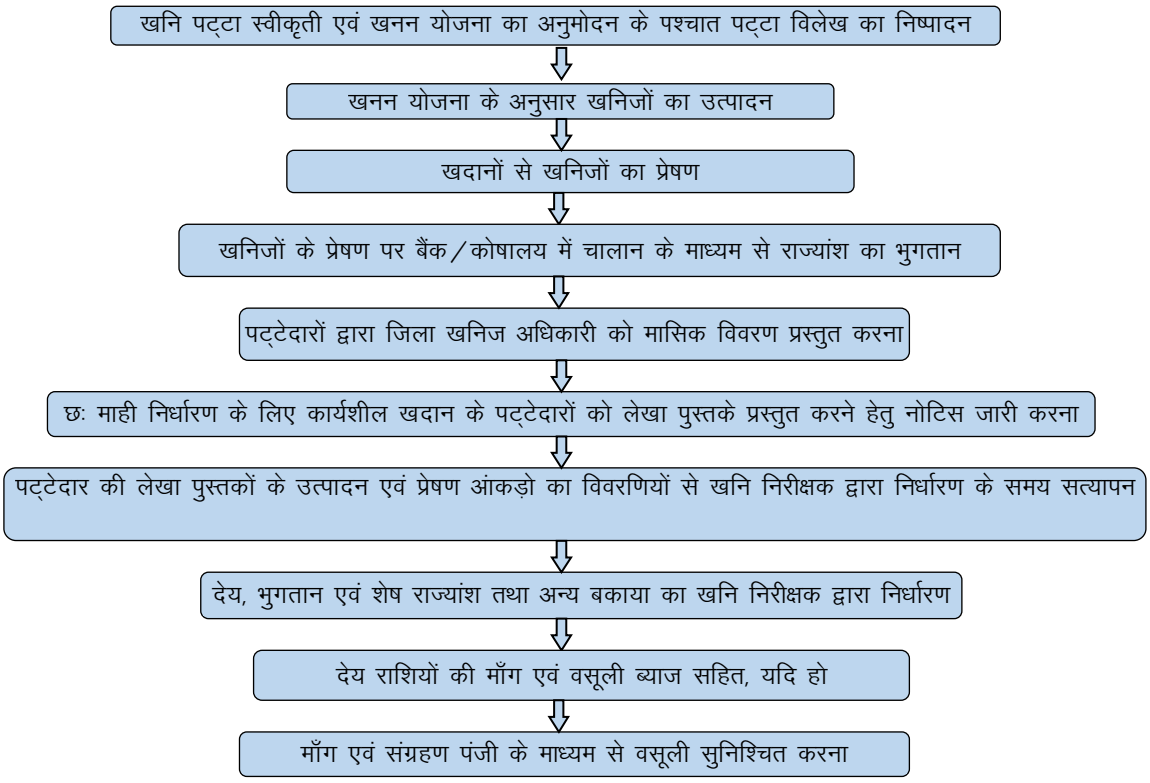

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित प्रणाली एवं अनुपालन की कमियों को आगामी परिच्छेदों में दिया गया है:

4.5.6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र सुरक्षा के उपाय हैं जो विभाग द्वारा यह आश्वासन प्रदान करने के लिए लिये रखे जाते है कि इसकी गतिविधियों को कुशलता से कार्यान्वित किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व के असंग्रहण/कम संग्रहण या राजस्व के अपवंचन के विरूद्ध पर्याप्त सावधानी बरती गई। इस तरह के आंतरिक नियंत्रण द्वारा प्रदान किया गया यथोचित आश्वासन शासकीय प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व को प्रबल करता है और राजस्व की हानि की रोकथाम सुनिश्चित करता है।

खनन प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं निगरानी तंत्र निम्न प्रकार से अपर्याप्त थे।

4.5.6.1 विभागीय मैनुअल का अभाव

किसी भी संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह एक विभागीय मैनुअल रखे, जो उसके कार्यों के निर्वहन करते समय लागू होने वाली विधियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट

रुप से दर्शाये। एक संगठन की दक्षता काफी हद तक पर्याप्त कार्यविधि और कार्यप्रणाली के मूल्यांकन और इनका अनुसरण करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करती है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग के पास विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण देने वाला कोई विभागीय मैनुअल नहीं है। विभागीय मैनुअल के अभाव में, विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान विभाग ने बताया कि विभागीय मैनुअल बनाने की प्रक्रिया प्रचलन में था।

अपर्याप्त निरीक्षण

विभागीय निरीक्षण संगठन की यथोचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अवलोकित कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.5.6.2 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर, 2018) कि यद्यपि विभाग ने सभी 51 जिला खनिज इकाईयों और एक हीरा कार्यालय के लिए वर्ष 2015–16 और 2017–18 के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले वार्षिक निरीक्षण के लिए एक रोस्टर तैयार किया गया था, लेकिन संचालक ने सूचित किया (दिसंबर, 2018) कि विभाग ने रोस्टर के अनुसार होने वाले निरीक्षणों के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं रखा था। इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विभाग ने वास्तव में रोस्टर के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया था या नहीं। यह जाँच भी नही की जा सकी कि कोई निरीक्षण प्रतिवेदन जारी हुआ या नहीं, क्योंकि निरीक्षण होने या न होने के बारे में ही कोई निश्चितता नहीं थी।

इसके अलावा, यह अवलोकित किया गया (दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के मध्य) कि 13 नमूना जाँच की गई इकाईयों में, केवल एक इकाई जिला खनिज कार्यालय, बैतूल को छोड़कर, लेखापरीक्षा अवधि में उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना नहीं पाया गया, लेकिन इस निरीक्षण का भी निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था।

विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उचित निरीक्षण के अभाव में अधीनस्थ कार्यालयों की कार्यप्रणाली की अपर्याप्त निगरानी रही। परिणामस्वरूप, प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ और अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का अपालन जैसे मुद्दे यथावत बने रहे, जिनकी आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई।

निर्गम सम्मलेन (अगस्त 2019) में विभाग ने स्वीकार किया कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के अभाव में निरीक्षणों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा संबंधित अधिकारियों से निरीक्षण प्रतिवेदन मँगाये जाने का आश्वासन दिया। तथापि, विभाग ने विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में बताया कि अधिकारियों की कमी एवं विद्यमान अधिकारियों की अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्नता के कारण रोस्टर के अनुसार निरीक्षण पूर्ण नहीं किये जा सके और आगे बताया कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

4.5.6.3 खनि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश द्वारा जून 1977 में जारी निर्देश के अनुसार, खनि निरीक्षकों को प्रत्येक वर्ष के हर छः माह में एक बार अपने क्षेत्र की खदानों का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाना आवश्यक है कि:

- खनि पट्टों में निर्धारित नियम व शर्तों का पट्टेदार द्वारा पालन किया जा रहा है;
- पट्टा क्षेत्र का समुचित रुप से सीमा स्तम्भों (मुनारों) द्वारा सीमांकन किया गया है;
- पट्टेदार सभी आवश्यक अभिलेख अद्यतन रखता है तथा आवधिक विवरणियों को प्रस्तुत करता है; तथा
- अवैध उत्खनन की जाँच की जाती है, इत्यादि।

यह भी निर्देशित किया गया था कि खनि निरीक्षक को निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करना है। खनि निरीक्षक का निरीक्षण तब तक पूर्ण नहीं माना जायेगा जब तक कि निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के मध्य) कि 13 नमूना जाँच की गई इकाईयों में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 736 खदानों में खनि निरीक्षकों के 3,935 (89 प्रतिशत) निरीक्षणों की कमी थी जिसे आगे **तालिका 4.2** में दर्शाया है:

तालिका 4.2

खनि निरीक्षकों के निरीक्षण में कमी

वर्ष	नमूना जाँच की गई इकाईयों में खदानों की कुल संख्या	मानदंडों के अनुसार किये जाने वाले कुल निरीक्षण	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार किये गये निरीक्षणों की संख्या	उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	निरीक्षणों की संख्या में कमी
2015–16	736	1,472	185	6	1,287
2016–17	736	1,472	146	3	1,326
2017–18	736	1,472	150	11	1,322
योग		**4,416**	**481**	**20**	**3,935**

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि 12 जिला खनि अधिकारियों और एक हीरा अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार केवल 481 निरीक्षण उक्त अवधि के दौरान किए गए थे। यद्यपि, इन 481 निरीक्षणों के विरूद्ध चार जिला खनिज कार्यालयों[50] में केवल 20 निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध पाये गये। आगे, यह देखा गया कि इन 20 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 17 निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया।

संचालनालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, खनि निरीक्षकों के 112 स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 101, 98 एवं 98 खनि निरीक्षक कार्यरत थे। स्वीकृत पदों के विरूद्ध खनि निरीक्षकों की कमी केवल 12.5 प्रतिशत है जबकि मौजूदा खनि निरीक्षकों द्वारा किए गए खदानों के निरीक्षणों में 89 प्रतिशत की कमी है। यह दर्शाता है कि उपलब्ध खनि निरीक्षक भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार निरीक्षण नहीं कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, खनि निरीक्षकों के उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पायी गई कुछ कमियाँ नीचे दर्शायी गयी हैं:

[50] धार, कटनी, रीवा और सतना।

- पट्टा क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन नहीं किया गया था। अतः खनन संक्रियाएँ पट्टा क्षेत्र के अन्दर की जा रही थीं या बाहर, यह स्पष्ट नहीं था।
- उत्पादन और प्रेषण/बिक्री रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया;
- खनन योजना/नियमों के अनुसार खनन संक्रियाएँ नहीं की गई थीं;
- आवधिक विवरणियाँ आईबीएम और विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थीं; तथा
- पट्टा क्षेत्र में नापतौल मशीन स्थापित नहीं की गई थी।

उपर्युक्त अनियमिताओं का अन्य खदानों में भी होने की संभावना है। यदि सभी खदानों का निरीक्षण किया जाता तो पूर्ण कमियों की मात्रा विभाग के ध्यान में आती जिससे अनियमित खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने या राजस्व का उचित निर्धारण और संग्रहण सुनिश्चित करने में विभाग समर्थ बनता। निर्धारित मानदंडों के विरूद्ध खनि निरीक्षकों के निरीक्षण में कमी निम्न प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं:

- खनन और अन्वेषण गतिविधियाँ अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार वैध तरीके से नहीं की जा रही हैं;
- खनिजों के उत्खनन और प्रेषण की मात्रा का उत्पादन/प्रेषण रजिस्टर के साथ–साथ खतौनी में ठीक से इन्द्राज नहीं किया जा रहा है, जो राज्यांश की हानि का कारण है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके कारण विभाग को राज्यांश की सही स्थिति भी ज्ञात नहीं है; एवम्
- अवैध उत्खनन की गतिविधियों का समय से पता नहीं चल पाया और इसकी रोकथाम नहीं जा सकी, जिसके कारण पर्यावरण और आसपास के रहवासियों की जीविका को नुकसान पहुंचने के साथ–साथ राज्यांश की हानि भी हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन ने बताया कि खदानों की संख्या के अनुपात में खनि निरीक्षकों के पदों की कम संख्या के कारण खदानों के अपर्याप्त निरीक्षण हुए। यद्यपि, विभाग ने विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में बताया कि खनि निरीक्षकों को निरीक्षण न किये जाने पर चेतावनी दी गई है और जिला खनि अधिकारियों को संबंधित खनि निरीक्षकों द्वारा कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओं ज्ञापन जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहले से ही इकाईयों में कार्यरत खनि निरीक्षकों ने न तो निर्धारित मानदंड अनुसार खदानों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किये और न ही संबंधित कलेक्टर/जिला खनिज अधिकारियों ने निरीक्षण न किये जाने पर खनि निरीक्षकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की। विभागीय अधिकारी भी नमूना जाँच किये गये जिला खनिज कार्यालयों का वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान उनकी कार्यप्रणाली और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण करने में विफल रहे। तथ्य यह है कि विभागीय प्रक्रियाओं/मापदंड का पालन किसी स्तर पर नही किया गया, दर्शाता हैं कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण पूर्णतः विफल हैं।

4.5.6.4 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (आं.ले.प्र.) नहीं था और इसलिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नमूना जाँच की गई 13 इकाईयों में से किसी भी इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग ने कहा कि अमले की कमी के कारण विभाग में आं.ले.प्र. का गठन नहीं किया गया। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इस मुद्दे को इंगित किया था, लेकिन विभाग द्वारा इस पर कोई अद्यतन कार्यवाही नहीं की गई।

आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव में, विभाग के पदाधिकारियों द्वारा राजस्व के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, मूलभूत अभिलेखों का संधारण, पर्यवेक्षण, खनन गतिविधियों पर निगरानी आदि के संबंध में की जाने वाली विभिन्न जाँच विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि विभागीय पुनर्गठन में प्रस्ताव को शामिल किया गया है।

निगरानी का अभाव

4.5.6.5 आवधिक विवरणियों का दाखिल करना

खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 45 के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार को मासिक एवं वार्षिक विवरणी (अप्रैल 2016 से ऑनलाइन) भारतीय खान ब्यूरो को दाखिल करना आवश्यक है, जिसमें खनिज–वार प्रारम्भिक स्कन्ध, उत्पादन, प्रेषण, अंतिम स्कन्ध, राज्यांश आदि को दर्शाया जायेगा और इन विवरणियों की प्रतियाँ राज्य शासन को भी प्रस्तुत की जायेंगी।

लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नमूना जाँच की गई किसी भी इकाई में पट्टेदारों से विवरणियों की प्राप्ति पर निगरानी के लिए कोई पंजी संधारित नहीं की गई थी। आगे, 10 जिला खनि कार्यालयों[51] में 371 खनि पट्टों में से 295 पट्टा नस्तियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 173 खनि पट्टों के पट्टेदारों द्वारा इन पट्टों में आवश्यक 5,923 मासिक एवं 494 वार्षिक विवरणियों के विरूद्ध केवल 2,569 मासिक एवं 78 वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी पायी गईं। इस प्रकार, 3,354 [52] (57 प्रतिशत) मासिक विवरणियाँ और 416 [53] (84 प्रतिशत) वार्षिक विवरणियाँ विभाग को प्रस्तुत की जाना नहीं पायी गई, जैसा **परिशिष्ट VIII** में दर्शाया गया है।

चूंकि जिला खनिज अधिकारियों ने विवरणियों की प्राप्ति की आवधिक जाँच नहीं की, इसलिए वे आवधिक विवरणियों की अप्रस्तुति के बारे में अनभिज्ञ रहे तथा इस कृत्य के लिए ऐसे पट्टाधारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहे। मूल अभिलेखों जैसे खतौनी[54] और पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निर्धारित विवरणियों के अभाव में पट्टेदार द्वारा उत्खनित खनिज की मात्रा का सत्यापन करना संभव नहीं था और जिला खनिज अधिकारी इन पट्टेदारों के देय एवं बकाया राज्यांश का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं थे।

यद्यपि, लेखापरीक्षा को लगता है कि आवधिक विवरणियों के अभाव के अलावा, खतौनी के असंधारित रहने और निर्धारणों के लंबित रहने के कारण सही राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ/कम हुआ जैसा कि पैरा 4.5.8 एवं 4.5.9 में चर्चा की गयी है। इसके अलावा खनि निरीक्षकों के निरीक्षण का अभाव विवरणियों की आवधिक जाँच भी संदेह की श्रेणी में आती है क्योंकि ये दोनों बारीकी से परस्पर संबंध रखती हैं। सभी स्तरों पर इस तरह की सम्पूर्ण निगरानी की कमी गंभीर संदेह उत्पन्न करती है कि ऐसा क्यों है? शिथिल निगरानी की ऐसी स्थिति में, अवैध खनन के गंभीर मामलों एवं रॉयल्टी के नुकसान को नकारा नहीं जा सकता।

---

51 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, झाबुआ, रीवा और सतना।

52 986, 1,153 एवं 1,215 मासिक विवरणियाँ क्रमशः वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के लिए।

53 120, 146 एवं 150 वार्षिक विवरणियाँ क्रमशः वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के लिए।

54 माँग एवं संग्रहण पंजी को 'खतौनी' के रूप में जाना जाता है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि विवरणियों को ई–खनिज पोर्टल के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। यद्यपि, अपने विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में विभाग ने बताया कि खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषणों के संबंध में पट्टेदारों द्वारा जानकारी ई–खनिज पोर्टल पर अप्रैल 2017 से दर्ज की जा रही है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2017–18 के लिए मासिक एवं वार्षिक विवरणियाँ पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी हैं।

4.5.7 शिथिल एवं असंचालित खदानों के प्रकरणों की समीक्षा

खनि रियायत नियम 1960 के नियम 28(1) और खनि रियायत नियम 2016 के नियम 20(1) के अनुसार यदि कोई पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से दो साल के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ नहीं करता है या ऐसी संक्रियाएँ प्रारम्भ करने के बाद लगातार दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए परिचालन बंद कर देता है तो राज्य शासन, एक आदेश द्वारा ऐसे खनन पट्टों को व्यपगत घोषित करेगी। आगे, मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति को पट्टे की स्वीकृति के बाद दोहन के लिए आवश्यक अनिवार्य अनुमतियाँ न्यूनतम अवधि में जारी किये जाने की निगरानी और समीक्षा करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2018) कि संचालनालय में कुल 809 खनि पट्टों में से 459 खनि पट्टे (57 प्रतिशत) शिथिल प्रतिवेदित (2017–18) किये गये थे। परन्तु इन खदानों के शिथिल होने के कारणों दर्शाने वाला कोई अभिलेख संधारित किया जाना नहीं पाया गया और न ही ऐसे पट्टों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई। लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुसार निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया। निगरानी समिति के अभाव में विभाग पट्टेदारों को संबंधित प्राधिकारियों से पर्यावरणीय मंजूरी/संचालन की स्वीकृति/खनन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए शिथिल खदानों के प्रकरणों की समीक्षा और निगरानी करने में विफल रहा। यह मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

आगे, जिला खनिज कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2018 और जनवरी 2019) कि पाँच जिला खनिज कार्यालयों[55] में 316 असंचालित खनि पट्टों में से 183 खनि पट्टों के निरस्तीकरण के प्रस्ताव खनन संक्रियाएँ कार्य बंद होने के कारण वर्ष 2006 से 2017 के मध्य शासन/संचालनालय को भेजे गये थे। ये प्रकरण शासन/संचालनालय स्तर पर एक से 12 वर्ष की अवधि से निपटान हेतु लंबित थे। शेष सात जिला खनिज कार्यालयों[56] एवं हीरा कार्यालय, पन्ना में लेखापरीक्षा ने देखा कि उन्होंने शिथिल/कार्यशील खदानों की जानकारी संधारित की थी परन्तु खदानों के शिथिल रहने के कारण और अवधि दर्शाने वाला कोई अभिलेख इन जिला खनिज अधिकारियों के पास संधारित नहीं था।

शासन/विभाग स्तर पर शिथिल/असंचालित खदानों की निगरानी में विफलता के कारण राजस्व अवरूद्ध रहा। यदि इन पट्टों को अन्य इच्छुक बोलीदाताओं को पुनः आवंटित किया जाता तो शासन राज्यांश, अनिवार्य किराया, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रुप में राजस्व अर्जित कर सकता था। यद्यपि, अभिलेखों के अभाव में अवरूद्ध राजस्व की राशि का आंकलन लेखापरीक्षा में भी नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त, 2019) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि अब विभाग इन पट्टों को तत्परता से निरस्त करेगा और नीलामी नियम 2015 के अनुसार नीलामी के लिए इन्हें प्रस्तावित करेगा। तथापि विभाग ने विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में बताया कि ऐसी असंचालित खदानों को

[55] बैतूल, धार, कटनी, रीवा और सतना।
[56] अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, झाबुआ और सिंगरौली।

पहले ही निरस्त कर दिया गया है जहाँ खनन संक्रियाएँ बिना कोई वैध कारण के बंद थीं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को शिथिल/असंचालित खदानों के पट्टे निरस्त करने के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.5.8 माँग एवं संग्रहण पंजी का संधारण

संचालनालय के निर्देश (सितम्बर 2005) के अनुसार जिला खनिज अधिकारियों द्वारा माँग एवं संग्रहण पंजी (खतौनी) का संधारण करना आवश्यक है जिसमें प्रत्येक खनि पट्टे का सतह किराया, अनिवार्य किराया, भुगतान की गई राशि, उत्खनित एवं प्रेषित खनिज की मात्रा, देय राज्यांश, भुगतान राज्यांश, ब्याज, चालान क्रमांक, भुगतान की दिनांक इत्यादि का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए। इसलिए खतौनी किसी पट्टेदार की बकाया एवं भुगतान की गई राशि का पता लगाने और राजस्व की माँग, संग्रहण और बकाया की दैनिक प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। जिला खनिज अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक सप्ताह खतौनी की जाँच कर इसमें प्रतिदिन की सही और उचित प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चयनित 13 इकाईयों में 10 जिला खनिज कार्यालयों/हीरा कार्यालय[57] में खतौनी संधारित नहीं की गई थी और तीन जिला खनिज कायालयों[58] में यह अद्यतन नहीं की गई थी। खतौनी के उचित संधारण की निगरानी एवं नियंत्रण/जाँच के परिप्रेक्ष्य में इसके उच्च प्राधिकारियों को समय से प्रस्तुति की कोई प्रणाली नहीं थी। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा अभिलेखों का संधारण न किया जाना भी उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किए जाने का एक परिणाम है।

खतौनी का संधारण न किये जाने से देय खनि राजस्व के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया तदर्थ रही। परिणामस्वरूप, खनिज के उत्खनन एवं प्रेषण के विवरण की सत्यता, पट्टेदार द्वारा देय और भुगतान राज्यांश का सत्यापन तथा विभिन्न खनि देयताओं के लिए पट्टेदार को माँग–पत्र जारी करने संबंधी स्थिति की जाँच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी। विभाग को भी खतौनी के अभाव में वसूली योग्य बकाया का निर्धारण करने में समान समस्या का सामना करना पड़ा और यह अवैध उत्खनन साथ–साथ राज्यांश के अपवंचन के लिए भी काफी गुंजाइश छोड़ता है।

खतौनी के संधारण में शिथिलता एक गंभीर जोखिम को दर्शाती है, जो खनिजों के उत्पादन और प्रेषण की सत्यता, पट्टेदार द्वारा भुगतान योग्य एवं भुगतान किये गये राज्यांश तथा बकाया राजस्व के सही निर्धारण को सत्यापित करना असंभव बनाती है। खतौनी का अभाव एक प्रमुख नियंत्रण विफलता है जो कि न केवल विभाग की राजस्व की संभावनाओं से गंभीर समझौता करती है बल्कि विभाग की जानकारी या नियंत्रण की स्थिति में आये बिना खनिजों के अधिक उत्खनन का परिणाम भी हो सकती है। विभिन्न उदाहरण जहाँ प्रारंभिक रुप से खतौनी का संधारण न किये जाने के कारण विभाग को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ा, उनकी चर्चा पैरा 4.5.11, 4.5.12, 4.5.13, 4.5.14 और 4.5.15 में नीचे की गई है :

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि स्थायी निर्देशों के संदर्भ में खतौनी का संधारण महत्वपूर्ण है, अतः इसे संधारित किया जायेगा। हालांकि, विभाग ने अपने विस्तृत उत्तर (सितबंर 2019) में

---

[57] **जिला खनिज कार्यालय** अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, झाबुआ, सिंगरौली और **हीरा कार्यालय** पन्ना।

[58] कटनी, रीवा और सतना।

बताया कि अप्रैल 2017 से खनिजों के प्रेषण के पूर्व इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास (ईटीपी) के माध्यम से पट्टेदारों को अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान करना है और इस प्रकार देय और भुगतान किये गये राज्यांश की जानकारी ई–खनिज पोर्टल पर उपलब्ध है।

खतौनी के संधारण के लिए स्थायी निर्देशों के संदर्भ में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान ऑनलाइन प्रणाली (ई–खनिज) पट्टेदारों की देय बकाया की सम्पूर्ण स्थिति उपलब्ध नहीं कराती है। इसके अतिरिक्त विभाग ने खनिजों के केप्टिव उपयोग करने वाली खदानों के लिए अभी तक ईटीपी प्रारम्भ नहीं किया है।

4.5.9 राजस्व निर्धारण न किया जाना

संचालनालय द्वारा सितम्बर 2005 में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार के राज्यांश का निर्धारण प्रत्येक छः माह में एक बार अर्थात जुलाई में (जनवरी से जून के लिए) और जनवरी में (जुलाई से दिसंबर के लिए) किया जायेगा। निर्धारण की प्रक्रिया छः माही अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश खनन नीति, 2010 का पैरा 3.8 यह निर्धारित करता है कि ₹ पाँच करोड़ या अधिक का राजस्व देने वाली खदानों की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों से कराये जाने की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारम्भ की जायेगी।

चयनित जिला खनिज कार्यालयों में, लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के मध्य) कि पट्टेदारों के समय पर निर्धारण संबंधी निगरानी के लिए कोई पंजी संधारित नही की गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षा जिला खनिज अधिकारियों द्वारा पट्टेदारों के निर्धारण की स्थिति एवं जिला खनिज अधिकारियों द्वारा पट्टेदारों को निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने संबंधी जारी सूचना की स्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा में 12 जिला खनिज कार्यालयों/हीरा कार्यालय[59] की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार जिला खनिज अधिकारियों द्वारा राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राजस्व निर्धारण में 39 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक की कमी थी जिसे **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है :

तालिका 4.3

आवधिक निर्धारण में कमी

निर्धारण वर्ष	12 जिला खनिज कार्यालयों/हीरा कार्यालय में खनि पट्टों की संख्या	किये जाने वाले निर्धारणों की संख्या	किये गये निर्धारणों की संख्या	न किये गये निर्धारणों की संख्या	कमी का प्रतिशत
2015	262	524	321	203	39
2016	263	526	313	213	40
2017	263	526	157	369	70
योग		**1,576**	**791**	**785**	

राजस्व निर्धारण की कमी के साथ–साथ खनि निरीक्षकों और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण में कमी, आवधिक विवरणियों की अप्रस्तुति और खतौनी के असंधारण (पूर्व पैरा 4.5.6.2, 4.5.6.3, 4.5.6.5 और 4.5.8 के संदर्भ में) के कारण खनिज अधिकारी/हीरा अधिकारी, खनिज के उत्खनन/प्रेषण के आँकड़ों की शुद्धता तथा

[59] **जिला खनिज कार्यालय** अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली और **हीरा कार्यालय** पन्ना।

पट्टेदार द्वारा भुगतान किये गये राज्यांश को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं थे। फलस्वरुप, जिला खनिज अधिकारियों/हीरा अधिकारी द्वारा कोई यथोचित निर्धारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त प्रावधानों के अनुसार, विभाग ने ₹ पाँच करोड़ या अधिक का राजस्व देने वाली खदानों की लेखापरीक्षा सनदी लेखकारों से कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की थी। विभाग के पास ₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक का राजस्व देने वाली खदानों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं थी।

समय पर कर निर्धारण पूरा नहीं होने के कारण विभाग खनिजों के उत्खनन/प्रेषण की शुद्धता तथा पट्टेदार द्वारा देय/भुगतान राज्यांश की राशि को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था। परिणामस्वरूप, राजस्व का नुकसान, यदि कोई हुआ हो तो, न रोका जा सका और न ही इसका निर्धारण किया जा सका।

निर्गम सम्मलेन (अगस्त 2019) के दौरान शासन ने ₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक का राजस्व देने वाली खदानों की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों से कराये जाने का आश्वासन दिया। हालाँकि, विभाग ने विस्तृत उत्तर (अगस्त 2019) में बताया कि जिला खनिज अधिकारियों/सहायक खनिज अधिकारियों/खनि निरीक्षकों की विभाग में कमी के कारण निर्धारण समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं और लंबित निर्धारण प्रकरणों को विशेष अभियान के द्वारा एक माह के भीतर पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे।

4.5.10 अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह डाटा का प्रयोग न किया जाना

मध्य प्रदेश खनन नीति, 2010 के अनुसार अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह डाटा का प्रयोग किया जाना चाहिये। खनन क्षेत्रों की सटीक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए खनन पट्टों की स्वीकृति/नवीनीकरण के समय ग्रिड आधारित मानचित्रों को अनिवार्य किया जाएगा। आगे, अक्टूबर 2016 में भारत सरकार, खान मंत्रालय ने मुख्य खनिजों के अवैध खनन का पता लगाने के लिए देश में खनन निगरानी प्रणाली (एम.एस.एस.) का शुभारंभ किया। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भी दिसंबर 2016 तक सभी गौण खनिज के पट्टों को डिजिटलाईज करके गौण खनिजों के लिए एम.एस.एस. का कियान्वयन करने के लिए कहा था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2018) कि संचालनालय में मुख्य खनिजों के अवैध उत्खनन के कुल 97 प्रकरण जिसमें शास्ति की राशि ₹ 1.47 करोड़ अन्तर्निहित थी, अक्टूबर 2016 से मार्च 2018 के दौरान विभाग द्वारा दर्ज किये गये थे। आगे, विभाग ने सूचित किया गया कि एम.एस.एस., जिसे राज्य में 15 अक्टूबर 2016 से प्रारम्भ किया गया था, में संदेहास्पद अवैध उत्खनन गतिविधियों के मात्र 50 ट्रिगर्स (2016–17 में 46 और 2018–19 में 4) प्राप्त हुए थे। विभाग द्वारा इन 50 ट्रिगर्स के सत्यापन पर केवल एक मामले में विचलन की पुष्टि की गई थी और वह भी निजी भूमि पर फायरक्ले के अवैध भंडारण का प्रकरण होने से अवैध उत्खनन से संबंधित मामला नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा वास्तव में दर्ज 97 प्रकरणों के ट्रिगर्स एमएसएस में प्राप्त नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, एम.एस.एस. में प्राप्त हुए 50 ट्रिगर्स में से 49 ट्रिगर्स जिला खनिज अधिकारियों के भौतिक सत्यापन पर गलत पाये गये। यह इंगित करता है कि या तो खनन निगरानी प्रणाली जिला खनिज अधिकारीयों द्वारा दर्ज वास्तविक अवैध खनन के मामलों का पता लगाने में विफल रही है या स्थानीय स्तर पर निरीक्षणों में खामियाँ रहीं। उपर्युक्त कथन इस तथ्य से और अधिक प्रमाणित होता है कि भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार से प्राप्त एम.एस.एस. द्वारा उत्पादित ट्रिगर्स की राज्यवार जानकारी यह प्रदर्शित करती है कि एम.एस.एस. आधारित 296 ट्रिगर्स (2016) में से

केवल 47 ट्रिगर्स और 52 ट्रिगर्स (2018) में से चार ट्रिगर्स में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए मैदानी सत्यापनों में अवैध उत्खनन का पता चला।

आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में गौण खनिज के अवैध खनन के क्रमशः 673, 878 और 1,005 प्रकरण, जिनमें शास्ति की राशि ₹ 8.30 करोड़ अन्तर्निहित थी, पंजीकृत किए गए थे। यह गौण खनिजों के अवैध खनन के प्रकरणों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि, विभाग ने गौण खनिजों के लिए राज्य में एम.एस.एस. लागू नहीं किया है जबकि इसे दिसंबर 2016 से लागू किया जाना चाहिए था।

एम.एस.एस. के द्वारा अवैध उत्खनन के वास्तविक प्रकरणों का पता न लगाये जाने के कारण इस प्रणाली का उद्देश्य सफल नहीं हुआ और विभाग भी राज्य में गौण खनिजों के मामलों में अवैध उत्खनन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए इस प्रणाली को लागू करने में विफल रहा।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एम.एस.एस. अभी पूर्ण विकसित नहीं है और इसमें आगे और सुधार की आवश्यकता है। आगे, विभाग ने विस्तृत उत्तर (अगस्त 2019) में बताया कि गौण खनिजों के लिए एम.एस.एस के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

अन्य अनुपालन संबंधी मुद्दे

चयनित 13 जिला खनिज कार्यालयों/हीरा कार्यालय में 736 खनि पट्टों में से 390 (53 प्रतिशत) खनि पट्टों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 252 प्रकरणों में, जिनमें लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित राशि ₹ 207.07 करोड़ की वित्तीय संभावनाएँ निहित थीं, अनियमितताएँ पायी गयी। यह कई इकाईयों में पायी गयी आवर्ती अनियमिताएँ हैं और इनकी चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई हैं।

4.5.11 रॉयल्टी की वसूली न होना/कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खनि पट्टे का प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये या उपयोग में लाये गये किसी खनिज के संबंध में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित दर से रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

- लेखापरीक्षा ने नौ जिला खनिज कार्यालयों[60] में मासिक विवरणियों, कर निर्धारणों एवं प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कि 38 खनि पट्टों में पट्टेदारों ने वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि के लिए देय रॉयल्टी राशि ₹ 83.31 करोड़ के विरूद्ध ₹ 67.83 करोड़ का भुगतान किया। संबंधित जिला खनिज अधिकारी विवरणियों का सत्यापन अन्य संगत अभिलेखों से करने में तथा पट्टेदारों से बकाया राजस्व की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप रॉयल्टी राशि ₹ 15.48 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट IX** में दर्शित है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार लौह अयस्क, मैंगनीज एवं बाक्साईट के लिए रॉयल्टी की दर यथामूल्य आधार पर आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य का क्रमशः 15 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत प्रभार्य है।

[60] **जिला खनिज अधिकारी** अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना और **हीरा अधिकारी** पन्ना।

➢ दो जि.ख.अ. कार्यालयों[61] में हमने देखा कि सात खनि पट्टों में जि.ख.अ. ने खनिजों पर आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य के आधार पर प्रभार्य रॉयल्टी राशि ₹ 82.44 लाख के बजाय ₹ 53.90 लाख प्रभारित की। विवरण **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4
रॉयल्टी की कम वसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला खनिज अधिकारी/प्रकरणों की संख्या	खनिज	मात्रा (मीट्रिक टन)	प्रभार्य रॉयल्टी	प्रभारित रॉयल्टी	कम वसूली
1	छिंदवाड़ा/02	मैंगनीज	7,425.16	49.51	31.86	17.65
2	जबलपुर/05	आयरन ओर	19,926,.395	22.72	18.16	4.56
		बाक्साईट	1,717.025	10.21	3.88	6.33
योग	**07 प्रकरण**			**82.44**	**53.90**	**28.54**

जि.ख.अ. कर निर्धारण करते समय आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य का सत्यापन करने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 28.54 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना (मई 2012) के अनुसार कोयला पर रॉयल्टी की दर कोयले के विक्रय मूल्य के यथामूल्य आधार पर जैसा कि विक्रय बीजकों में करों, वसूलियों एवं अन्य प्रभारों को कम करते हुए परिलक्षित होता है, 14 प्रतिशत होगी।

➢ लेखापरीक्षा द्वारा जिला खनिज कार्यालय सिंगरौली के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (दिसंबर 2018) कि मेसर्स नार्दर्न कोल लिमिटेड (एन.सी.एल.) ने आठ खनि पट्टों के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान कोयले के 6,58,27,208.44 मीट्रिक टन प्रेषण पर राशि ₹ 1,007.22 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया। कोयले के विक्रय मूल्य का वाणिज्यिक कर विभाग से प्रतिसत्यापन में लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टेदार द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को प्रस्तुत अंकेक्षित खाता अनुसार कोयले का विक्रय मूल्य ₹ 8,350.13 करोड़ था, जिस पर 14 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी ₹ 1,169.02 करोड़ प्रभार्य थी। लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि जिला खनिज अधिकारी द्वारा पट्टेदार का कर निर्धारण जनवरी 2015 से नहीं किया गया। इस प्रकार जिला खनिज अधिकारी द्वारा कोयले के विक्रय मूल्य का आँकलन लेखा पुस्तकों और पट्टेदार द्वारा दाखिल मासिक विवरणियों के साथ करने में विफल रहने के कारण रॉयल्टी राशि ₹ 161.80 करोड़ की कम वसूली हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान विभाग का बिन्दुवार अभिमत निम्नानुसार है–

(1) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया तथा यह बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित बकाया रॉयल्टी ₹ 15.48 करोड़ के विरूद्ध 91 प्रतिशत की वसूली कर ली गई है। यह भी बताया गया कि शेष अन्य प्रकरणों में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(2) यह बताया गया कि संबंधित प्रकरणों में वास्तविक औसत विक्रय मूल्य के आधार पर पुनः कर निर्धारण करते हुए बकाया रॉयल्टी की वसूली की जायेगी।

[61] छिंदवाड़ा और जबलपुर।

(3) यह बताया गया कि प्रकरण के परीक्षण उपरांत माँग जारी करने संबंधी अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर में बताया गया (सितंबर 2019) कि बकाया रॉयल्टी ₹ 15.48 करोड़ के विरूद्ध ₹ 68.89 लाख की वसूली कर ली गई। यद्यपि उपर्युक्त वसूली गई राशि के समर्थन में चालान लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने के बावजूद विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। यह भी बताया गया कि अन्य प्रकरण के परीक्षण उपरांत माँग जारी करने संबंधी अंतिम निर्णय लिया जायेगा। रॉयल्टी ₹ 161.80 करोड़ की कम वसूली के संबंध में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि लेखापरीक्षा ने कोयले के विक्रय मूल्य से क्रशिंग प्रभार एवं प्रोत्साहन की राशि को कम नहीं किया है।

उत्तर लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने कोयले का निवल मूल्य, जैसा कि पट्टेदार के अंकेक्षित लेखा में उत्पाद शुल्क, कर, रॉयल्टी एवं अन्य प्रभार को कम करते हुए दर्शाया गया है, गणना में लिया है।

4.5.12 खनि पट्टों में अनिवार्य भाटक की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खनि पट्टे के धारक द्वारा खनि पट्टे में निहित सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ष अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निर्धारित दर से अनिवार्य भाटक राज्य सरकार को देय है। खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र (सितंबर 1995) के अनुसार सम्पूर्ण वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक का भुगतान अग्रिम रूप से प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी को या उसके पूर्व किया जाना चाहिए।

- लेखापरीक्षा ने नौ जिला खनिज कार्यालयों[62] में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कि नमूना जाँच किये गये 240 खनि पट्टों में से 116 खनि पट्टों में पट्टेदारों ने वर्ष 2014 और 2018 के मध्य अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 6.70 करोड़ का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, **परिशिष्ट X** में दर्शाये अनुसार अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 6.70 करोड़ की वसूली नहीं हुई। खतौनी असंधारित रहने (पूर्व कंडिका 4.5.8 में उल्लेखित) के कारण जिला खनिज अधिकारी इन पट्टेदारों द्वारा देय अनिवार्य भाटक की निगरानी में विफल रहे तथा अनिवार्य भाटक की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि शिथिल खदानों की स्थिति संबंधित जिला खनिज अधिकारियों के पास उपलब्ध थी।

- लेखापरीक्षा ने जिला खनिज कार्यालय छिंदवाड़ा में अवलोकित किया कि पट्टेदार मे. वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा 46 शिथिल खनि पट्टों के लिए 9,874.934 हेक्टेयर क्षेत्र धारित था। जिला खनिज अधिकारी द्वारा इन पट्टों में जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016 की अवधि के लिए अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 2.96 करोड़ का निर्धारण किया था। इस निर्धारित अनिवार्य भाटक की राशि के विरूद्ध पट्टेदार द्वारा मात्र ₹ 1.94 करोड़ का भुगतान किया था जबकि सितम्बर 2014 से लागू संशोधित दरों[63] के अनुसार अनिवार्य भाटक की वास्तविक वसूली योग्य राशि ₹ 5.26 करोड़ थी। जिला खनिज अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय अनिवार्य भाटक की संशोधित दरों का सत्यापन न किये जाने के फलस्वरूप अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 3.32 करोड़ की कम वसूली हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया तथा बकाया अनिवार्य भाटक की वसूली हेतु सहमति दी गई।

---

[62] बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना।

[63] सितम्बर 2014 के पूर्व दर ₹ 1,000 प्रति हेक्टेयर तथा सितम्बर 2014 से संशोधित दर ₹ 2,000 प्रति हेक्टयर।

विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर में बताया गया (सितंबर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित बकाया अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 6.70 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 2.34 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। यद्यपि वसूली गई राशि के समर्थन में चालान लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने के बावजूद विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराये गये। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि शेष प्रकरणों में उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

4.5.13 विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली न होना

खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64(क) सहपठित खनिज रियायत नियम 2016 के नियम 49 के अनुसार राज्य सरकार किसी किराए, रॉयल्टी या फीस के विलंबित भुगतान पर, उसके भुगतान की नियत तारीख की समाप्ति के साठवें दिन से, जब तक कि ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, 24 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज अधिरोपित कर सकेगी ।

हमने सात जिला खनिज कार्यालयों में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कि नमूना जाँच किये गये 163 खनि पट्टों में से 52 खनि पट्टों में पट्टेदारों ने वर्ष 2008 से वर्ष 2017 के लिए देय रॉयल्टी राशि ₹ 40.45 करोड़ का भुगतान नौ दिन से लेकर आठ वर्ष तक के विलंब से किया, जिसके फलस्वरूप **तालिका 4.5** में दर्शाये अनुसार ब्याज राशि ₹ 6.33 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

तालिका 4.5

देय खनि राजस्व के विलंबित भुगतानों पर ब्याज प्रभारित न किया जाना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	अवधि	प्रकरणों की संख्या	जमा राशि	विलंबित अवधि के दिवस	प्रभार्य ब्याज राशि
1	जिला खनिज अधिकारी रीवा	2017–18	5	958.17	71 से 187	86.32
2	जिला खनिज अधिकारी सतना	2017–18	4	807.98	89 से 558	80.21
3	जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा	2014–15 से 2016–17	31	283.71	11 से 429	28.48
4	जिला खनिज अधिकारी अनुपपूर	2015–16 से 2017–18	3	81.84	88 से 145	7.03
5	जिला खनिज अधिकारी जबलपुर	2008–09 से 2016–17	2	14.63	323 से 2,879	7.90
6	जिला खनिज अधिकारी कटनी	2016–17	6	1,883.25	341	422.26
7	हीरा अधिकारी पन्ना	2014–15 से 2015–16	1	15.57	9 से 137	0.64
योग			**52**	**4,045.15**		**632.84**

संबंधित जिला खनिज अधिकारी पट्टेदार द्वारा रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार ब्याज आरोपित करने में विफल रहे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अगस्त 2019) विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया गया तथा देय ब्याज की वसूली करने हेतु सहमति दी गई।

4.5.14 राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एन.एम.ई.टी.) निधि की वसूली न होना/कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम निर्धारित करता है कि खनिपट्टे का धारक भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि राष्ट्रीय

खनिज खोज न्यास निधि में संदाय करेगा। आगे, खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र (जनवरी 2016) के अनुसार राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि का अंशदान 12 जनवरी 2015 से संदेय है।

- लेखापरीक्षा ने आठ जिला खनिज कार्यालयों[64] में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कि 162 खनि पट्टों में से 90 खनि पट्टों में पट्टेदार ने लेखापरीक्षा अवधि में राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि के अंशदान की देय राशि ₹ 25.97 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 22.72 करोड़ का भुगतान किया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि के अंशदान की राशि ₹ 3.25 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट XI** में दर्शाया गया है।
- आगे, पूर्व लेखापरीक्षा[65] में यह भी अवलोकित किया (मई 2017) गया था कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के नमूना जाँच किये गये 70 खनि पट्टों में से 24 खनि पट्टों में पट्टेदार द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि की देय राशि ₹ 45.59 लाख के विरूद्ध मात्र राशि ₹ 15 लाख का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 30.59 लाख की अवसूली/कम वसूली हुई।

संबंधित जिला खनिज अधिकारियों के स्तर पर कर निर्धारण प्रकरणों के निपटान एवं खतौनी के संधारण में विफलता (पूर्व कंडिका 4.5.8 एवं 4.5.9 में उल्लेखित) के कारण जिला खनिज अधिकारी, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि की अवसूली/कम वसूली होने की स्थिति का पता नहीं लगा सके।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2019) कि राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि की देय राशि की वसूली की जाएगी। विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में विभाग द्वारा पुनः वही आश्वासन दिया गया।

4.5.15 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनारोपण/कम वसूली

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर अधिनियम एवं मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना (सितंबर 2005) के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर ''खनिजधारी भूमि के वार्षिक मूल्य'' जहाँ मुख्य खनिज का उत्पादन किया जा रहा है, की पाँच प्रतिशत की दर से तथा ऐसी खनिजधारी भूमि जहाँ लगातार दो या अधिक वर्षों में मुख्य खनिज का उत्पादन नहीं हुआ है, वहां ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर की दर से आरोपणीय है। आगे, अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार जिला खनिज अधिकारी को प्रारूप–I में एक रजिस्टर, जिसमें ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की माँग, वसूली एवं बकाया का विवरण शामिल हो, संधारित किया जाना आवश्यक है।

- लेखापरीक्षा ने 11 जिला खनिज कार्यालयों[66] के 230 खनि पट्टों में से 109 प्रकरणों में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के मध्य) कि पट्टेदारों द्वारा 11,912.54 हैक्टेयर खनिजधारी भूमि के लिए लेखापरीक्षा अवधि में देय ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर ₹ 5.28 करोड़ का भुगतान नही किया गया जैसा कि **परिशिष्ट XII** में दर्शित है।

निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की माँग, वसूली एवं बकाया का रजिस्टर संधारित न किये जाने तथा पट्टेदारों के कर निर्धारण न किये

---

64 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, रीवा और सतना।

65 जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा के अवधि अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान।

66 बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, पन्ना, रीवा और सतना।

जाने के कारण उपरोक्त प्रकरणों में ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की राशि ₹ 5.28 करोड़ का अनारोपण/कम वसूली हुई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2019) कि ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की राशि ₹ 5.28 करोड़ की वसूली के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर में बताया गया (सितम्बर 2019) कि संबंधित पट्टेदारों को माँग पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रेक्षण

आगामी प्रेक्षण यद्यपि कम इकाईयों में पाये गये, परन्तु अनियमितताओं/विचलन के कारण राज्य शासन को हानि हुई। इन प्रेक्षणों में राशि ₹ 4.31 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ शामिल है।

4.5.16 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 8–अ(3) के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व अनुदत्त सभी खनि पट्टों को 50 वर्ष की अवधि के लिए अनुदत्त माना जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों और संचालनालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार पट्टा अवधि के विस्तार के प्रकरणों में या विस्तारित उत्पादन मात्रा के लिए संशोधित खनन योजना/पर्यावरणीय मंजूरी के प्रकरणों में प्रत्येक पट्टाधारक को पूरक अनुबंध का निष्पादन कराया जाना आवश्यक है।

भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 38(ब) के अनुसार खनि पट्टे के अधीन देय सम्पूर्ण रकम के 0.75 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस देय होगी। आगे, विभाग द्वारा जारी अनुदेश (अगस्त 2011) के अनुसार संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी अथवा खनन योजना में दर्शायी खनिज की उत्खनन मात्रा (दोनों में से जो भी अधिक हो) के आधार पर संगणित रॉयल्टी पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस आरोपणीय होगी।

लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि:

- तीन जिला खनिज कार्यालयों[67] के तीन खनिपट्टा प्रकरणों में पट्टाधारकों द्वारा पूरक अनुबंध का निष्पादन संशोधित खनन योजना/पर्यावरणीय मंजूरी में खनिज की विस्तारित उत्पादन मात्रा के लिए तथा खनिपट्टे की विस्तारित अवधि के लिए नहीं कराया गया। इस प्रकार, इन तीन प्रकरणों में पूरक अनुबंध के निष्पादन कराये जाने में जिला खनि अधिकारियों की विफलता के कारण शासन मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रूप में राशि ₹ 2.69 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा, जिसका विवरण **परिशिष्ट XIII** में दर्शाया गया है।

- जिला खनिज कार्यालय, छिंदवाड़ा में एक पट्टेदार द्वारा पट्टे की विस्तारित अवधि के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मैंगनीज के औसत विक्रय मूल्य ₹ 10,359 के स्थान पर ₹ 5,916 के मान से रॉयल्टी की गणना कर पूरक अनुबंध का निष्पादन (नवम्बर 2016) किया गया और देय मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस ₹ 1.71 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.98 करोड़ का भुगतान किया गया।

  इस प्रकार, जिला खनिज अधिकारी खनिज के सही औसत विक्रय मूल्य के आधार पर पट्टा विलेख के पूरक अनुबंध का निष्पादन कराये जाने में अथवा मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस के सही निर्धारण हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

[67] जबलपुर, कटनी और सतना ।

को संदर्भित करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप शासन को मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रूप में राशि ₹ 0.73 करोड़ की कम प्राप्ति हुई जैसा कि **परिशिष्ट XIV** में दर्शित है।

- लेखापरीक्षा जिला खनिज कार्यालय, जबलपुर में अवलोकित किया (दिसंबर 2018) कि दो पट्टेदारों द्वारा खनि पट्टों की विस्तारित अवधि के लिए पूरक अनुबंध का निष्पादन कराया गया। परन्तु मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के निर्धारण के लिए रॉयल्टी की गणना संशोधित खनन योजना में दर्शायी गई खनिज की उत्पादन मात्रा के आधार पर नहीं की गई। पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की देय राशि ₹ 1.15 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.26 करोड़ का भुगतान किया गया।

  रॉयल्टी की सही राशि के निर्धारण में जिला खनिज अधिकारी की विफलता के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की राशि ₹ 0.89 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट XV** में दर्शित है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2019) कि उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर में बताया गया (सितंबर 2019) कि संबंधित पट्टेदारों को माँग पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

4.5.18 निष्कर्ष

- विभाग के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा या विभागीय मैनुअल नहीं था। इनकी अनुपस्थिति में, विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा मूल्यांकन, आरोपण और राजस्व संग्रहण आदि के लिए की जाने वाली विभिन्न जाँच और समरूपता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- खनिज संसाधन विभाग द्वारा खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन, आरोपण और संग्रहण के लिए स्थापित नियंत्रण तंत्र में विभिन्न कमियाँ थीं। माँग एवं संग्रहण पंजी का संधारण, पट्टेदारों द्वारा मासिक एवं वार्षिक विवरणियों की प्रस्तुति तथा कर निर्धारण न किये जाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी न्यून थी तथा प्रणाली को राजस्व हानि के प्रति संवेदनशील बनाने वाली थी। विद्यमान कमियों ने विभाग को उसकी अवैध उत्खनन की सीमा का आँकलन कर पाने या उसे रोक पाने की अक्षमता के कारण मौजूदा बड़े पैमाने पर चलने वाले अवैध उत्खनन के लिए संवेदनशील बनाया।
- खदानों के निर्धारित मानदंड अनुसार अपर्याप्त निरीक्षण के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि पट्टा विलेख में निर्धारित किये गये नियमों और शर्तो का पालन पट्टेदार द्वारा किया गया था तथा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनिज का उत्खनन किया गया था। इसने भी विभाग को अवैध उत्खनन के प्रति कमजोर किया और यदि ऐसा हुआ है, तो इसकी जाँच करने में असमर्थ भी रहा। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा अधिनियम, नियमों और विभागीय निर्देशों के प्रावधानों को राजस्व की सुरक्षा हेतु उचित रूप से लागू नहीं किया गया।
- माईनिंग सर्विलांस सिस्टम राज्य में चल रहे अवैध उत्खनन के प्रकरणों का पता लगाने और रोकने में विफल रहा क्योंकि सिस्टम में प्राप्त हुए अधिकांश ट्रिगर्स भ्रामक पाये गये।

4.5.19 अनुशंसायें

शासन निम्नलिखित पर विचार कर सकता है :

- विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण देते हुए विभाग को एक विभागीय मैनुअल तैयार करना चाहिए।

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभाग को एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करना चाहिए, जिससे विभाग स्वयं को आश्वस्त करने में सक्षम बन सके कि निर्धारित प्रणाली यथोचित रूप से कार्य कर रही है।
- उच्च अधिकारियों द्वारा जिला खनिज कार्यालयों के आवधिक निरीक्षण, खनि निरीक्षकों द्वारा खदानों का निरीक्षण और निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप/चेक लिस्ट अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधानों का अनुपालन विभाग सुनिश्चित कर सकता है। इनके अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखी जा सकती है।
- खतौनी का अनिवार्य संधारण सुनिश्चित किया जा सकता है और प्रभावी निगरानी के लिए कलेक्टर को इसकी नियमित प्रस्तुति तथा संचालक को निर्धारित अंतराल पर प्रस्तुति पर विचार किया जा सकता है एवं इस संबंध में एक ऑनलाईन तंत्र विकसित किया जा सकता है।
- शिथिल/असंचालित खनि पट्टा प्रकरणों में समय–समय पर समीक्षा, निरस्तीकरण और निराकरण सुनिश्चित करने तथा राजस्व वृद्धि हेतु इन खनि पट्टों के पुनःस्थापन के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सकता है।
- शासकीय राजस्व का सही निर्धारण और वसूली तथा राजस्व की हानि को रोकने के लिए व्यापक उपाय निर्धारित किये जा सकते है।
- मूल अभिलेखों का संधारण न करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध उचित शास्ति का आरोपण निर्धारित किया जा सकता है।

अनुरूपता लेखापरीक्षा प्रेक्षण

4.6 ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर एवं शास्ति प्राप्त न होना

पन्द्रह निष्क्रिय खदानों के खनन पट्टेदारों द्वारा ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर ₹ 1.08 करोड़ भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त शास्ति ₹ 3.25 करोड़ भी आरोपित नहीं की गई जिसके फलस्वरूप शास्ति सहित कुल राजस्व ₹ 4.33 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास अधिनियम, 2005 और सितंबर 2005 की अधिसूचना के अनुसार निष्क्रिय खदानों पर प्रतिवर्ष ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर की दर से ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर उन खनन पट्टेदारों पर लगाया जाना था जिन्हें मुख्य खनिज के खनन हेतु पट्टा विलेख प्राप्त था। आगे, कार्यशील खदानों के प्रकरण में, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण, ऐसी खनिजधारी भूमि जहाँ से मुख्य खनिज निकाला जाता है, "खनिजधारी भूमि के वार्षिक मूल्य"[68] के पाँच प्रतिशत की दर से किया जायेगा। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, प्रत्येक पट्टाधारी को प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि से पूर्व कर जमा करना है। कर भुगतान न करने की स्थिति में, सक्षम अधिकारी धारा 4(2) के तहत शास्ति का आरोपण करेगा जो देय कर राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी कर एवं शास्ति की राशि, यदि उसका भुगतान नहीं किया गया है तो, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा।

[68] एक वित्तीय वर्ष के संबंध में, दो साल के दौरान खनिज असर भूमि से उत्पादित खनिज के मूल्य का एक–आधा हिस्सा तुरंत उस वित्तीय वर्ष से पहले होता है, खनिज का मूल्य जो खनिज के पूरे उत्पादन के दौरान प्राप्त किया जा सकता था। उन दो पूर्ववर्ती वर्षों में, इस तरह के खनिज असर भूमि के मालिक ने कर, शुल्क, रॉयल्टी, क्रशिंग चार्ज, वाशिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज या किसी अन्य राशि की मात्रा को छोड़कर ऐसे मूल्य या कीमतों पर ऐसे खनिज बेचे थे, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, उस वित्तीय वर्ष के पहले दिन से पहले की तारीख पर प्रबल हुआ।

चार जिला खनिज कार्यालयों[69] में 122 खनि पट्टों में से 15 खनि पट्टों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (मई 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) कि 14 पट्टेदारों[70] ने अवधि अप्रैल 2016 से मार्च 2017 का देय ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर राशि ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दोषी पट्टेदारों पर राशि ₹ 3.25 करोड़ की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, शास्ति सहित ₹ 4.33 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ट XVI)**। यद्यपि विभाग द्वारा बताया (अप्रैल 2019) गया कि ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर की निगरानी समय–समय पर वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से निदेशालय स्तर पर की जाती है, तथापि संबंधित जिला खनिज अधिकारी समय से ग्रा.अ.स.वि. कर और शास्ति की वसूली में असफल रहे। विभाग को अन्य जिला खनिज अधिकारी कार्यालयों में इस मुद्दे की जाँच करनी चाहिए और सभी चूककर्ता पट्टेदारों से बकाया राजस्व वसूली करनी चाहिए।

2012–13 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार के प्रेक्षण इंगित किये गये थे, लेकिन विभाग द्वारा वसूली की देख–रेख से संबंधित माँग एवं संग्रहण पंजी के संधारण एवं ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए कोई निर्देश/परिपत्र जारी नहीं किया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2017 और अगस्त 2018 के मध्य) गया। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। यद्यपि, कोई वसूली लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई (मई 2019)।

4.7 व्यापारिक खदानों पर अनुबंध राशि की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना

छः व्यापारिक खदानों के अनुबंधों के लिए विभाग ने ₹ 3.22 करोड़ की वसूली योग्य राशि के मुकाबले, केवल ₹ 0.95 करोड़ की अनुबंध राशि वसूल की। फलस्वरूप, ₹ 2.27 करोड़ के अनुबंध राशि की कम प्राप्ति हुई।

म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 (एम एम नियम 1996) के नियम 37 (1) तथा व्यापार खदान के लिए मानक अनुबंध समझौते की शर्त क्रमांक 5 (1) और 9 के अनुसार, प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित तिथि पर राज्य सरकार को अनुबंध धनराशि का भुगतान करना होता है। यदि अनुबंध धन राशि एक महीने से अधिक समय तक भुगतान हेतु लंबित रहती है, तो अनुबंध रद्द हो सकता है और खदान फिर से नीलाम हो सकती है। परिणामस्वरूप, खदान की फिर से नीलामी करने पर, अगर सरकार कोई नुकसान उठाती है, तो उसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में दोषी ठेकेदार से वसूल किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले, 30 दिन के अंदर, ठेकेदार को अतिदेय की राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया जायेगा।

अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए चार जिला खनिज कार्यालयों[71] में 22 व्यापार खदानों की केस फाइलों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि छह व्यापार खदानों के पट्टा विलेख धारित पाँच ठेकेदारों[72] ने ₹ 3.22 की देय राशि के

---

69 छिंदवाड़ा, दमोह, सतना और शहडोल।

70 जि.ख.अ. छिंदवाड़ा: में. रिलायन्स कंपनी, में. जय प्रकाश एसोसिएट्स लि. और में. जे. पी. कॉरपोरेशन लि.; जि.ख.अ. शहडोलः अल्ट्राटेक सीमेंट, राज मिनरल्स, बुड़वा मिनरल्स, और अग्रवाल और सिंह मिनरल्स; जि.ख.अ. दमोहः प्रकाश दुबे, मतंग सिंह बधवा, स्नेह सलिला हजारी, और सरिता सिंह; जि.ख.अ. सतनाः अजय कुमार पाठक, कन्हैयालाल केशरी, और कमलाकर चतुर्वेदी।

71 अनूपपुर, गुना, इंदौर और नरसिंहपुर।

72 जि.ख.अ. अनूपपुरः जयप्रकाश शिवदासानी; जि.ख.अ. गुनाः सत्येंद्र रघुवंशी; जि.ख.अ. नरसिंहपुरः में. शर्मा एसोसिएट्स; जि.ख.अ. इंदौरः वीरेंद्र सिंह सोलंकी और सेवाराम खेमानी।

विरूद्ध ₹ 0.95 करोड़ की अनुबंध राशि का भुगतान किया था। परिणामस्वरूप, अनुबंध राशि ₹ 2.27 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ट XVII)**। जि.ख.अ. को निर्धारित तिथि से एक महीने के बाद इन व्यापार खदानों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी। हालाँकि, व्यापार खदानों की नीलामी को रद्द करने और उन्हें फिर से नीलाम करने के लिए संबंधित नियमों के अनुसार कोई कार्रवाई शुरू होना नहीं पाया गया।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के प्रेक्षणों पर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन विभाग ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (दिसंबर 2017 और मई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने उचित कार्यवाही किए जाने एवं लेखापरीक्षा को सूचित किये जाने का आश्वासन दिया था। अब तक विभाग ने चार मामलों में ₹ 1.95 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अगस्त 2019) है।

4.8 अनिवार्य किराये की प्राप्ति न होना या कम प्राप्ति होना

जिला कलेक्टर 157 पट्टेदारों से अनिवार्य किराया ₹ 1.51 करोड़ वसूलने में असफल रहे।

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम/खदान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1996 के नियम 30 (1) (ए) के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार, खदान पट्टे/उत्खनि पट्टे में शामिल समस्त क्षेत्रों के संबंध में निर्धारित दरों पर अनिवार्य किराये का प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, बशर्ते कि पट्टेदार निकासी या उपयोग किये गये खनिज पर रॉयल्टी के भुगतान का देय हो जाने की स्थिति में, उस क्षेत्र के लिए अनिवार्य किराया अथवा रॉयल्टी की राशि में से जो भी अधिक हो, के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त नियम की शर्त 26 के अनुसार जहाँ पट्टेदार निर्धारित तिथि तक खदान पट्टे के अनिवार्य किराये का वार्षिक भुगतान करने में विफल रहते हैं, जिला कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर पर्याप्त सूचना पत्र जारी करने के बाद पट्टे का आँकलन करने और सुरक्षा जमा राशि के पूरे या आंशिक हिस्से को राजसात करने या विकल्पतः पट्टेदार से इस नियम–उल्लंघन हेतु शास्ति वसूल कर सकेगा जो पट्टेदाता द्वारा निर्धारित पट्टे के अनिवार्य किराये की अर्द्धवार्षिक दर की चार गुणा राशि से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा द्वारा 20 जिला खनिज कार्यालयों[73] की अप्रैल 2013 से मार्च 2017 की अवधि की व्यक्तिगत प्रकरण नस्तियों, चालानों तथा पत्राचार नस्तियों की नमूना जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,019 खदान पट्टों में से 154 और नमूना जाँच किए गए 12 खनन पट्टों में से 03 में, जि.ख.अ. अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे जिससे अनिवार्य किराये की राशि ₹ 1.51 करोड़ कम वसूली हुई **(परिशिष्ट XVIII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2017 से मई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। यद्यपि, अब तक (जून 2019) विभाग ने खनि पट्टों के 29 प्रकरणों में मात्र ₹ 30.10 लाख की वसूली की सूचना दी है।

[73] अनूपपुर, बड़वानी, भिंड, छिंदवाड़ा, दमोह, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़ और उज्जैन।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के प्रेक्षण इंगित किए गए थे, लेकिन विभाग ने ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिये कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

4.9 विस्तारित अवधि के पूरक विलेख का निष्पादन नहीं करने के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की अप्राप्ति

13 उत्खनन पट्टों से राशि ₹ 1.01 करोड़ की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का आरोपण नहीं किया गया।

भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 की अनुसूची IA (14 जनवरी 2016 से प्रभावी) के अनुच्छेद 38 (बी) में निर्धारित किया गया है कि किसी भी अवधि के खनन पट्टे के लिए, एक पट्टे के तहत या उप–पट्टे सहित और किसी भी अनुबंध या किराये के उप–किराये या किसी भी नवीनीकरण, ऐसी लीज के तहत देय या प्रदाय की गई राशि का 0.75 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद II के अनुसार, पट्टों के पंजीकरण के लिए, मुद्रांक शुल्क के मूल्य के तीन–चौथाई की दर से पंजीयन शुल्क लगाया जायेगा।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए दो जिला खनिज कार्यालयों[74] के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवंबर 2017) रिकॉर्ड में पाया गया कि विभाग ने इन पट्टा अवधि को 50 साल तक बढ़ा दिया। इसके अलावा यह देखा गया कि खनन पट्टे की जांच के 27 मामलों में से 13 मामलों में, संबंधित जि.ख.अ. ने विस्तारित अवधि के लिए इन पट्टों के साथ पूरक विलेख को निष्पादित नहीं किया और उन्हें पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग के साथ पंजीकृत किया। हालाँकि, विस्तार के लिए मंजूरी संबंधित कलेक्टर द्वारा पट्टेदारों को दी गई। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.01 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट XIX)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2018)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। अब तक, विभाग ने केवल तीन मामलों में ₹ 28.99 लाख की वसूली की सूचना दी है (जून 2019)।

4.10 खनन पट्टे पर रॉयल्टी की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना

खनिजों के उपभोग/परिवहन के लिए नौ पट्टेदारों ने खनन पट्टे पर ₹ 2.04 करोड़ के देय रॉयल्टी के विरूद्ध ₹ 1.12 करोड़ के रॉयल्टी का भुगतान किया। परिणामस्वरूप रॉयल्टी राशि ₹ 92.63 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक पट्टेदार को अधिनियम की अनुसूची–2 में निर्दिष्ट दरों पर, पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से परिवहन किये गए या उपभोग किए गए खनिजों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाँच जिला खनिज कार्यालयों[75] के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा पाया कि नमूना जाँच किये गये 82 में से नौ प्रमुख खनिज पटटेदारों ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 2.04 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 1.12 करोड़ के रॉयल्टी का भुगतान किया था। संबंधित जि.ख.अ. ने इन प्रकरणों में माँग नोटिस जारी नहीं किया। यह दर्शाता है कि नामित अधिकारियों द्वारा राजस्व संग्रह के हित में अधिनियम में प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। विभाग ने डिफॉल्टरों को इलेक्ट्रॉनिक

[74] रीवा और सतना।
[75] धार, कटनी, नरसिंहपुर, रीवा और सागर।

ट्रांजिट पास जारी करना भी बंद कर दिया है। परिणामस्वरूप ₹ 92.63 लाख की रॉयल्टी की या तो वसूली नहीं हुई या कम वसूली हुई **(परिशिष्ट XX)**।

इसके आगे यह भी देखा गया की जि.ख. कार्यालय धार में कर निर्धारण आदेश पट्टेदार द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के आधार पर तैयार किये गए थे न कि जि.ख.अ. द्वारा संधारित अभिलेखों के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2018 और जुलाई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। हालांकि, उसके बाद लेखापरीक्षा को कुछ भी सूचित नहीं किया गया है।

4.11 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना

72 पट्टेदारों से अनुबंध राशि/अनिवार्य किराये के भुगतान पर ब्याज वसूलने के लिए जि.ख.अ. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 64 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

4.11.1 व्यापारिक खदानों में संविदा राशि का विलंब से भुगतान

गौण खनिज नियम, 1996 के नियम – 37 (1) एवं अनुबंध 5 (1) के अनुसार, व्यापारिक खदान पट्टों के ठेकेदारों को उनके अनुबंध के ठेकों में इंगित तारीखों पर या इससे पहले अनुबंध राशि का भुगतान करना आवश्यक होता है। ठेकेदार अनुबंध राशि के अतिरिक्त 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए दो जिला खनिज कार्यालयों[76] के प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच से पता चला कि नमूना जाँच की गई 14 व्यापारिक खदानों में पाँच ठेकेदारों ने ₹ 8.82 करोड़ की अनुबंध राशि का भुगतान ठेकों के अनुसार निर्धारित तिथि से 28 से 209 दिनों के विलम्ब से जमा किया था। जि.ख. अधिकारियों ने व्यापारिक खदानों की अनुबंध राशि के विलंबित भुगतानों के लिए वसूली योग्य ब्याज की राशि ₹ 56.36 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 3.22 लाख का ब्याज वसूल किया। परिणामस्वरुप, ₹ 53.14 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ/कम प्राप्त हुआ (**परिशिष्ट XXI**)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2018 और मई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। हालांकि, उसके बाद लेखापरीक्षा को कुछ भी सूचित नहीं किया गया है।

4.11.2 उत्खनि पट्टों में अनिवार्य किराये का विलम्ब से भुगतान किया जाना

गौण खनिज नियम, 1996 के नियम – 30 (1)(डी) के अनुसार खदान पटटे के प्रत्येक पट्टेदार को वर्ष के प्रथम माह के बीसवें दिन या उससे पहले, उप नियम (ए) तथा (बी) के तहत राज्य सरकार को अनिवार्य किराया या रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है, जिसमें विफल रहने पर विलंबित किराया जमा करने की तिथि तक पट्टेदार 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिये उत्तरदायी है, इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी जा सकती है।

2014–15 से 2016–17 की अवधि में 12 जिला खनिज कार्यालयों[77] की प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच से पता चला कि 724 उत्खनि पट्टों में से 67 उत्खनि पट्टों ने 19 से

[76] अनूपपुर और नरसिंहपुर।
[77] अनूपपुर, बड़वानी, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, खरगौन, सागर, सिवनी और टीकमगढ़।

598 दिनों के विलंब से अनिवार्य किराये का भुगतान किया। अनिवार्य किराये की राशि ₹ 78.81 लाख के विलम्बित भुगतान पर विभाग ने ब्याज की राशि ₹ 10.86 लाख का आरोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप, जि.ख.अ. अनिवार्य किराये के विलंबित भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 10.86 लाख की वसूली करने में असफल रहें **(परिशिष्ट XXII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2018 और जुलाई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। हालांकि विभाग द्वारा अब तक (जून 2019) 15 प्रकरणों में राशि ₹ 4.01 लाख मात्र की वसूली की गयी।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

अध्याय - 5
मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस

अध्याय 5
मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस

5.1 कर प्रशासन

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग पूर्ण रूप से वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव के अधीन कार्यरत है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प मध्य प्रदेश (महा.पंजी.) विभाग प्रमुख हैं। एक संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन (सं.महा.पंजी.), एक उप महानिरीक्षक पंजीयन (उप.महा.पंजी.), एक वरिष्ठ जिला पंजीयक (व.जि.पं.), एक जिला पंजीयक (जि.पं.) एवं एक लेखा अधिकारी (ले.अ.) मुख्यालय पर पदस्थ हैं। विभाग के अन्तर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं इन्दौर में स्थित चार क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन के अधीन कार्यरत हैं। राज्य में 51 जिला पंजीयक एवं 234 उप पंजीयक (उ.पं.) कार्यालय हैं। जिलों में पंजीयन प्रशासन का प्रमुख जिला कलेक्टर है। 51 जिलों में पदस्थ 14 वरिष्ठ जिला पंजीयकों एवं 37 जिला पंजीयकों के द्वारा जिला कलेक्टरों को सहयोग दिया जाता है। 234 उप पंजीयक कार्यालयों में 262 उप पंजीयक पदस्थ हैं।

उप पंजीयक पंजीकरण अधिकारी होते हैं। जिला पंजीयकों की भूमिका उप पंजीयकों को उनके दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों में दिशा–निर्देश देना, उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों में भूमि के सही बाजार मूल्य या स्टाम्प शुल्क का निर्धारण, शास्ति लगाने के आदेश जारी करना या वापसी करना और पंजीयन कार्यालयों का निरीक्षण करना है। जिला पंजीयक को स्टाम्प संग्राहक के रुप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों तथा उनके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का संग्रहण किया जाता है:

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899;
- पंजीयन अधिनियम, 1908;
- भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश विलेखों के न्यून मूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1975;
- मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शिका तैयारी एवं पुनरीक्षण नियम, 2000;
- मध्य प्रदेश स्टाम्प नियम, 1942;
- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956;
- मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993;
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982 तथा
- मध्य प्रदेश शासन/महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र एवं आदेश।

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वास्तविक प्राप्तियाँ उसी अवधि से संबंधित बजट अनुमानों सहित **तालिका 5.1** में दर्शायी गई हैं:

तालिका 5.1

मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस से प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग द्वारा तैयार किया गया बजट अनुमान	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता का प्रतिशत
2013–14	3,500	4,000.00	3,400.00	(–) 15.00
2014–15	4,000	4,000.00	3,892.77	(–) 2.68
2015–16	4,200	4,700.00	3,867.69	(–) 17.71
2016–17	4,000	4,500.00	3,925.43	(–) 12.77
2017–18	4,300	4,300.00	4,788.51	(+) 11.36

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए तैयार किए गए बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किए थे। आगे, उक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि, वर्ष 2017–18 के दौरान समान वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों मे बजट अनुमानों के संदर्भ में 11.36 प्रतिशत की वृद्वि हुई थी। वर्ष 2017–18 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में वृद्वि के लिए कर चोरी मामलों की पहचान और बाद में वसूली, सत्त निगरानी और ई–पंजीयन प्रणाली की शुरुआत को विभाग ने वृद्धि का कारण बताया (अक्टूबर 2018), जिससे पंजीयन का समय कम हो गया है।

वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमानों मे अन्तर के संबंध में, विभाग ने निर्गम सम्मेलन के दौरान सूचित (फरवरी 2019) किया कि कई बाह्य घटकों, जैसे नियमों/अधिनियमों और स्थानीय निकायों मे कर की दरों में परिवर्तन आदि, जो विभाग की वास्तविक प्राप्तियों को प्रभावित करती है और जो कि उनके नियंत्रण से परे थे। आगे, यह भी कहा कि, राज्य शासन की नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति के लिए वित्त विभाग ने बजट अनुमान संशोधित किए थे।

5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प.शा.) है जिसका प्रमुख संयुक्त संचालक (वित्त) होता है। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखा अधिकारी (ले.अ.) का एक एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (स.ले.प.अ.) के 10 स्वीकृत पदों के विरुद्व मात्र एक लेखा अधिकारी एवं चार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी आं.ले.प.शा. में कार्यरत थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि शासन द्वारा जनवरी 2015 मे स.ले.प.अ. के जो छः पद स्वीकृत किए गऐ थे, उनके विरूद्ध कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

वर्ष 2017–18 मे, 128 जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालयों की लेखापरीक्षा की योजना के विरुद्व मात्र सात जिला पंजीयक कार्यालयों और 42 उप पंजीयक कार्यालयों की लेखापरीक्षा की जा सकी। लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा की 10 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) की जाँच की (दिसम्बर 2018) और पाया कि जारी राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) के लंबित 158 प्रकरणों और सम्पत्ति के न्यून मूल्यांकन के 38 प्रकरणों में राशि ₹ 8.78 लाख की अनियमितताएँ इंगित की गई। तथापि, विभाग पंजीयन अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति के न्यून मूल्यांकन की पुनरावृत्ति को रोकने में विफल रहा, और इसे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 के मध्य जिला पंजीयक/उप पंजीयक कार्यालयों को जारी किए गए 104 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से माह अप्रैल 2019 तक मात्र 12 निरीक्षण प्रतिवेदनों के पालन प्रतिवेदन कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन में प्राप्त हुये थे। शेष निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए विभाग ने सूचित किया

(अप्रैल 2019) कि संबंधित जिला पंजीयकों/उप पंजीयकों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रचलित थी। निरीक्षण प्रतिवेदनों के समय पर पालन हेतु संबंधित कार्यालयों के जिला पंजीयक/उप पंजीयक उत्तरदायी थे। यह दर्शाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पालन पर विभाग द्वारा उचित रूप से निगरानी नहीं की गयी।

अनुशंसाः

विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये मुद्दों का जिला पंजीयकों/उप पंजीयकों द्वारा समय पर पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

5.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग के अन्तर्गत 274 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ हैं। जिनमें से, लेखापरीक्षा ने 51[78] ईकाईयों को नमूना जाँच हेतु चयनित किया, जिनमें, कुल 3,19,667 विलेख निष्पादित/पंजीकृत किए गये थे, जिनमें से, वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 16,573 विलेखों की नमूना जाँच की गई (लगभग 5.18 प्रतिशत) और 861 विलेखों (लेखापरीक्षित नमूनों का लगभग 5.20 प्रतिशत) में अनियमितताएँ, जैसे जिला पंजीयकों को संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब, विलेखों का गलत वर्गीकरण, सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम प्राप्ति एवं अन्य आपत्तियाँ प्रकाश में आई। ये सभी प्रकरण उदहारणात्मक हैं न कि विवरणात्मक एवं अभिलेखों के नमूना जाँच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा ने पूर्व वर्षों में भी समान चूक इंगित की गई थी किन्तु न केवल अनवरत/आपत्तियाँ जारी थीं बल्कि वे आगामी लेखापरीक्षा तक अनदेखी रही। पाई गई अनियमितताओं को मुख्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों मे वर्गीकृत किया गया है, जैसा **तालिका 5.2** में उल्लेखित हैः

तालिका 5.2

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47–ए के तहत जिला पंजीयकों को संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	364	3.48
2.	सम्पत्ति का न्यून मूल्यांकन	213	1.59
3.	विलेखों का गलत वर्गीकरण	110	1.52
4.	अन्य (मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण)	174	3.54
योग		**861**	**10.13**

उपरोक्त आपत्तियाँ विभाग को सूचित (मई 2017 और फरवरी 2018 के मध्य) की गई थीं। विभाग ने 26 प्रकरणों में ₹ 30 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार (मई 2017 और फरवरी 2018 के मध्य) किया, एवं राशि ₹ 8.03 करोड़ के 684 प्रकरणों की समीक्षा हेतु आश्वस्त किया। विभाग ने एक प्रकरण मे राशि ₹ 1.91 लाख की वसूली सूचित की (सितम्बर 2019)।

5.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, 95 कंडिकाओं में ₹ 361.56 करोड़ की विभिन्न आपत्तियाँ इंगित की थीं जिसके विरूद्ध विभाग ने ₹ 231.66 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की एवं ₹ 5.82 करोड़ वसूल किए

[78] 01 कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल तथा 50 उप पंजीयक।

गए। इन 95 कंडिकाओं में से 74 कंडिकाएँ[79] मार्च 2015 और मई 2017 के मध्य लोक लेखा समिति द्वारा चयनित की गई थीं तथापि समस्त कंडिकाएँ चर्चा हेतु अभी तक प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2019)।

5.6 उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक एवं संग्राहक (जिला पंजीयकों) को संदर्भित 328 प्रकरणों में, मूल्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यद्यपि, संदर्भित प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित तीन माह की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसके परिणामस्वरुप राशि ₹ 3.33 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम प्रावधान करता है कि पंजीयन अधिकारी, विशिष्ट परिस्थितियों में, ऐसी सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य निर्धारण एवं उस पर आरोपणीय शुल्क हेतु किसी सम्पत्ति पंजीकरण विलेख को जिला पंजीयक (जि.प.) को संदर्भित करें। विभाग द्वारा ऐसे संदर्भित प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिकतम तीन माह की समय सीमा निर्धारित (जुलाई 2004) हुई थी जिसमें जिला पंजीयक को ऐसे प्रकरणों का निराकरण करना था।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 से मार्च 2017 की अवधि के लिए 11 उप पंजीयक कार्यालयों[80] द्वारा संदर्भित 470 प्रकरणों में से 427 प्रकरणों की नमूना जाँच (अगस्त 2017 और नवंबर 2017 के मध्य) की और पाया कि 328 प्रकरणों (70 प्रतिशत) में मुद्रांक संग्राहक ने, निर्धारित तीन माह की समयावधि में सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया था।

इन 328 प्रकरणों में से, 55 प्रकरणों में दो से 18 माह का विलम्ब और 273 प्रकरणों में निर्धारित अवधि से 23 से 104 माह का विलम्ब शामिल है। जिला पंजीयकों ने विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया और उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों में निहित ₹ 3.33 करोड़ की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का निर्धारण नहीं किया गया था **(परिशिष्ट XXIII)**।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि ये मुद्दे विभाग में मैनुअल निगरानी प्रणाली के कारण हो रहे थे। यह भी अवगत कराया कि विभाग अपने समयबद्ध निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के प्रकरणों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली पर विचार कर रहा था, ताकि अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। विभाग ने (अप्रैल 2019) में बताया कि 63 मामलों में ₹ 51.01 लाख की वसूली प्रभावित हुई, आठ प्रकरणों में आर.आर.सी. जारी की गई और शेष प्रकरणों में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

5.7 खनन पट्टों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम प्राप्ति

15 खनन पट्टों में ₹ 2.55 करोड़ राशि के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-A के अनुच्छेद 38 (16 सितंबर 2014 और 14 जनवरी 2016 को संशोधित) में निर्धारित दरों पर खनन पट्टों पर मुद्रांक शुल्क लगाने का प्रावधान करता है। आगे, ऐसे दस्तावेजों पर पंजीयन अधिनियम, 1908 के तहत पंजीयन तालिका के अनुच्छेद II के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के मूल्य के तीन–चौथाई की दर से पंजीयन फीस प्रभार्य है।

---

[79] 2012–13 (09), 2013–14 (23), 2014–15 (02) एवं 2015–16 (40)।

[80] अमरवाड़ा (छिंदवाड़ा), अशोकनगर, बंडा (सागर), भोपाल–1, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, जावरा (रतलाम), खंडवा, लवकुश नगर (छतरपुर) और सिवनी।

लेखापरीक्षा ने पाँच जिला खनिज कार्यालयों[81] में संधारित 118 खनि पट्टा विलेखों में से 101 खनि पट्टा विलेखों की नमूना जाँच (जून 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) की और पाया कि 15 खनन पट्टा अनुबंधों में ₹ 2.71 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्रभार्य थी, जिसके विरूद्ध पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा मात्र ₹ 15.88 लाख की राशि प्रभारित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.55 करोड़ की कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ट XXIV)**। खनन पट्टा विलेख जिला खनिज अधिकारियों एवं संबंधित पट्टेदारों के मध्य निष्पादित किये गये थे, यद्यपि, ऐसे पट्टों के तहत देय पूरी राशि का उल्लेख अनुबंध एवं प्रस्तावित खनन योजना में किया गया था, उप पंजीयक इन विलेखों के पंजीकरण के समय तक सही मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस लगाने में विफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान विभाग ने कहा कि इन प्रकरणों की जाँच की जायेगी और उपचारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि चार प्रकरणों में ₹ 2.83 लाख की वसूली की गई और चार प्रकरणों में आर.आर.सी. जारी की गई।

5.8 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम प्राप्ति

पंजीयन अधिकारियों द्वारा तीन खनन पट्टा विलेखों मे प्रभार्य योग्य मुद्रांक शुल्क की राशि ₹ 53.44 लाख एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 39.59 लाख के विरूद्ध क्रमशः राशि ₹ 32.75 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं ₹ 24.46 लाख के पंजीयन फीस की राशि प्रभारित की गई, जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 35.83 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-A के अनुच्छेद 38 (16 सितंबर 2014 और 14 जनवरी 2016 को संशोधित) में निर्धारित दरों पर खनन पट्टों पर मुद्रांक शुल्क लगाने का प्रावधान करता है। आगे, ऐसे दस्तावेजों पर पंजीयन अधिनियम, 1908 के तहत पंजीयन तालिका के अनुच्छेद II के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के मूल्य के तीन–चौथाई की दर से पंजीयन फीस प्रभार्य है।

लेखापरीक्षा ने दो उप पंजीयक कार्यालयों[82] के अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक की अवधि के 13,199 लीज विलेखों में से कुल 37 पट्टा विलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2017 एवं दिसंबर 2017 के मध्य) की और पाया कि तीन पंजीकृत पट्टा विलेखों में ₹ 93.03 लाख की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस प्रभार्य थी किन्तु पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा मात्र ₹ 57.20 लाख ही प्रभारित की गई। उप पंजीयक इस तरह के पट्टों के तहत देय या वितरण योग्य सही राशि के निर्धारण में विफल रहे, जिसके परिणमस्वरूप राशि ₹ 35.83 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ट XXV)**।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान विभाग ने कहा कि इन प्रकरणों की जाँच की जायेगी और उपचारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। विभाग ने सूचित (अप्रैल 2019) किया कि दो प्रकरणों में आर.आर.सी. जारी की गई थी। यद्यपि, अब तक किसी भी वसूली की सूचना नहीं दी गई है।

[81] गुना, नरसिंहपुर, पन्ना, सिवनी और सीधी।
[82] छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

अध्याय - 6
भू–राजस्व

अध्याय 6
भू–राजस्व

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। प्रधान राजस्व आयुक्त (पी.आर.सी.) विभाग प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख (सी.एस.एल.आर.) होते हैं। संभागीय आयुक्त संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक जिले में विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है तथा उसकी सहायता हेतु एक या अधिक उप–संभागीय अधिकारियों के रूप में सहायक कलेक्टर/उप–कलेक्टर /संयुक्त कलेक्टर पदस्थ रहते हैं। राजस्व अभिलेख और बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख (एस.एल.आर./ ए.एस.एल.आर.) की पदस्थापना की जाती है। तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य में 10 राजस्व संभाग (प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है), 51 जिले (प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है) और 335 तहसीलें हैं।

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58, 59 और 60 के प्रावधानों के अनुसार, सभी भूमि राज्य शासन को राजस्व के भुगतान के लिए बाध्य है, भले ही इस तरह के राजस्व को प्रीमियम[83], किराया[84] या पट्टे पर राशि[85] के रूप में निर्धारित किया गया हो। जब कृषि भूमि, आवासीय/वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित की जाती है, तब उप–संभागीय अधिकारी (एसडीओ) और संबंधित तहसीलदारों द्वारा व्यपवर्तित की गई भूमि पर प्रीमियम एवं व्यपवर्तन किराये का निर्धारण व संग्रहण किया जाता है। राज्य में स्थायी अथवा अस्थायी पट्टे के रूप में आवंटित की जाने वाली नजूल[86]/शासकीय भूमि पर भू–भाटक एवं प्रीमियम का आरोपण किया जाता है। पंचायत क्षेत्रों में स्थित भूमि के संबंध में भू–राजस्व पर पंचायत उपकर (सैस) भी आरोपित किया जाता है।

भू–राजस्व से प्राप्तियों को निम्नलिखित अधिनियमों और नियमों एवं इनके तहत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है:

- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (म.प्र.एल.आर.सी.), 1959;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993;
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982;
- मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987; एवं
- राजस्व पुस्तक परिपत्र।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2013–14 से 2017–18 अवधि के लिए भू–राजस्व की प्राप्ति की प्रवृत्ति का विवरण **तालिका 6.1** में दिया गया है।

---

83 "प्रीमियम" वह एकमुश्त राशि है जो भूमि का प्रयोजन व्यपवर्तित करने अथवा शासकीय भूमि पट्टे पर दिए जाने के एवज़ में देय होता है।

84 "किराया" से तात्पर्य धन या अन्य वस्तु के रूप में भुगतान की गई या भुगतान योग्य राशि जो – (1) एक अधिभोगी किराएदार द्वारा उसके भू–स्वामी को या (2) शासकीय पट्टेदार द्वारा देय है।

85 "पट्टा धन" पट्टे की शर्तों के अनुरूप हस्तांतरी द्वारा आवधिक रूप से हस्तांतरणकर्ता को दिये जाने वाला मूल्य है।

86 नजूल भूमि वह सरकारी भूमि है जिसका उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बाजार या मनोरंजन स्थलों के निर्माण के लिए किया जाता है।

तालिका 6.1
भू–राजस्व की प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर का प्रतिशत
2013–14	572.00	366.23	(–) 35.97
2014–15	700.10	243.10	(–) 65.28
2015–16	500.00	276.86	(–) 44.63
2016–17	500.00	406.65	(–) 18.67
2017–18	700.00	490.99	(–) 29.86

(स्रोत: मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे और बजट अनुमान)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए तैयार किये गये बजट अनुमान प्राप्त नहीं हुए तथा 29.86 प्रतिशत कम हो गये। विभाग ने सूचित (दिसंबर 2018) किया कि वर्ष 2017–18 के लिए वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य उच्चतर थे और आगे बताया गया कि वर्ष 2017–18 की राजस्व प्राप्ति वर्ष 2016–17 की राजस्व प्राप्ति की तुलना में 20.74 प्रतिशत अधिक थी। यद्यपि, वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्ति में कमी के कोई विशिष्ट कारण नहीं बताए गए।

6.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2018) कि पी.आर.सी. कार्यालय में कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प.शा.) नहीं थी। संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के साथ ही भू–राजस्व शाखा का निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारी जिला कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दल गठित करते हैं, प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हैं तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करते हैं। साथ ही आर.सी.एम.एस. (राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर के माध्यम से निरीक्षण कार्यक्रम और निरीक्षण टीप, जो निरीक्षण अमले द्वारा अपलोड किये गये थे, की निगरानी पी.आर.सी. कार्यालय में की जा रही थी, और उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश जारी किए गये थे।

संभागीय आयुक्त नर्मदापुरम, होशंगाबाद के द्वारा दो तहसील कार्यालय[87], संभागीय आयुक्त भोपाल के द्वारा तहसील सीहोर एवं कलेक्टर होशंगाबाद के द्वारा किए गए आठ तहसील कार्यालयों[88] के निरीक्षणों के प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2018) में पाया गया कि कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्तों ने आर.आर.सी. प्रकरण, शास्ति प्रकरण एवं बकाया वसूली पर टिप्पणियाँ की थी। यद्यपि, भूमि के बाजार मूल्य का कम मूल्यांकन जिसके परिणामस्वरूप व्यपवर्तन किराया एवं प्रीमियम की कम वसूली होना तथा प्रीमियम और भू–भाटक पर सैस का आरोपण नहीं किये जाने जैसी टिप्पणियाँ इन कार्यालयों में मौजूद थीं, जिन्हें निरीक्षण के दौरान इंगित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने बताया कि न्यायालीन प्रकरण, लोक सेवाऐं प्रदान करने एवं भू–अभिलेख संबंधी पूछताछ पर अधिक ध्यान केन्द्रीत करने के कारण ऐसा हुआ।

यद्यपि, राजस्व संग्रहण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों पर निरीक्षण के दौरान टिप्पणियों की जानी थी।

---

87 बाबई और इटारसी।

88 बाबई, बनखेड़ी, डोलारिया, होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, सिवनी–मालवा और सोहागपुर।

6.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने भू–राजस्व की 388 इकाईयों में से 49 इकाईयों (51 कलेक्टर कार्यालयों में से 13 एवं 335 तहसील कार्यालयों में से 34, प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल का एक कार्यालय तथा आयुक्त, भू–अभिलेख, ग्वालियर का एक कार्यालय) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। विभाग ने वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 406.65 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया था जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 51.98 करोड़ (12.78 प्रतिशत) संग्रहित किये थे। लेखापरीक्षा में 18,687 प्रकरणों में ₹ 325.67 करोड़ के राजस्व का कम निर्धारण और अन्य अनियमितताएँ पाईं गयीं, जिनमें पूर्व वर्षों के भू–राजस्व के बकाया भी सम्मिलित थे। यह देखा गया कि इनके वसूली के संबंध में विभाग ने कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की थी। ये प्रेक्षण **तालिका 6.2** में निम्नानुसार वर्गीकृत किये गये हैं।

तालिका 6.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र स्थापित नहीं किया जाना	4	35.79
2.	गलत दरों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप प्रीमियम एवं भू–भाटक की हानि और प्रीमियम या भू–भाटक पर पंचायत उपकर की वसूली न होना।	280	29.10
3.	पट्टे निष्पादित या नवीनीकृत नहीं किये जाना	172	21.99
4.	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण एवं वसूली न होना	2	6.06
5.	नजूल भूमि के संबंध में लीज नवीनीकृत नहीं होने के परिणामस्वरूप शासन को राजस्व हानि	276	5.45
6.	व्यपवर्तन किराया/प्रीमियम और जुर्माने की मांग करने में विफलता	2,881	3.52
7.	भू–राजस्व एवं पंचायत उपकर लेखों के मुख्य शीर्ष में जमा नहीं किया जाना	145	2.55
8.	नजूल भूमि के पट्टे (लीज) पंजीकृत नहीं किये जाना	4	2.38
9.	व्यपवर्तन किराया/प्रीमियम का कम निर्धारण	70	0.78
10.	कारणों के बिना भू–राजस्व में छूट	26	0.59
11.	अन्य आपत्तियाँ (बिना व्यपवर्तन किये कृषि भूमि पर अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण के कारण दंड नहीं लगाया गया, आर.आर.सी.जारी करने के बाद भू–राजस्व के बकाया वसूलने के लिए अपर्याप्त कार्यवाही)	14,827	217.46
योग		**18,687**	**325.67**

सभी टिप्पणियों से विभाग को मई 2017 एवं फरवरी 2018 के मध्य अवगत कराया गया। विभाग ने 1,217 प्रकरणों में ₹ 26.59 करोड़ के कम निर्धारण की अनियमितताओं को स्वीकार किया तथा ₹ 3.21 करोड़ के 1,736 प्रकरणों की समीक्षा किये जाने का आश्वासन दिया। यद्यपि, विभाग द्वारा अद्यतन (सितंबर 2019) कोई वसूली सूचित नही की है।

6.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 39 कंडिकाओं में ₹ 264.92 करोड़ के विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया जिसके विरूद्ध विभाग ने अभी तक (मई 2019) केवल ₹ 13.19 करोड़ वसूल किये थे। इन 39 कंडिकाओं में से, मार्च 2015 और मई 2017 के मध्य लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा के लिए 28 कंडिकायें[89] चयनित की गई थीं, जिनमें से अभी तक एक कंडिका पर चर्चा की गई है। लो.ले.स. के माध्यम से 33 कंडिकाओं के संबंध में विभाग के उत्तर प्राप्त हुये हैं। 2012–13 के पूर्व के प्रतिवेदनों की समान कंडिकाओं पर लो.ले.स. पहले ही अपनी अनुशंसा दे चुकी है, जिसका अनुपालन विभाग द्वारा अभी भी नहीं किया गया है क्योंकि न तो लंबित प्रकरणों में वसूली के लिए समय सीमा तय की गई है और न ही ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

निम्नलिखित कंडिकाओं में ₹ 2.01 करोड़ के शासकीय राजस्व की हानि से जुड़े कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख किया गया है:

6.6 प्रीमियम और भू–भाटक का अवनिर्धारण तथा शास्ति का अनारोपण

197 प्रकरणों में गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के प्रीमियम और भू–भाटक का अवनिर्धारण तथा शास्ति का अनारोपण हुआ।

म.प्र.एल.आर.सी. 1959 की धारा 59 के अनुसार, अगर किसी एक उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि को किसी अन्य उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित किया जाता है तो भूमि के उद्देश्य अनुसार भू–राजस्व (प्रव्याजि एवं व्यपर्तिक वार्षिक किराया) का संशोधन एवं पुनः निर्धारण किया जाएगा। यह व्यपवर्तन के दिनांक से शासन/विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से किया जाएगा। साथ ही, धारा 143 के अंतर्गत यदि भू–राजस्व की किसी किश्त का भुगतान निर्धारित दिनांक से एक माह के अंदर नहीं किया जाता है तो शास्ति, जो कि देय राशि से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, आरोपणीय होगी।

छः कलेक्टर[90] एवं 13 तहसील कार्यालयों[91] में व्यपवर्तन प्रकरणों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2017 से दिसंबर 2017 के मध्य) कि अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2017 के बीच पारित 1,596 प्रकरणों में से नमूना जाँच किए गए 197 प्रकरणों में प्रीमियम और भू–भाटक का अवनिर्धारण किया गया तथा शास्ति आरोपित नहीं की गई। 197 प्रकरणों में से 55 प्रकरणों में सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण, कृषि भूमि पर देय दरों पर किया गया, 122 प्रकरणों में मूल्य का निर्धारण उस उद्देश्य की दरों से नहीं किया गया जिसके लिए वह व्यपवर्तित की गई तथा 20 प्रकरणों में अनाधिकृत व्यपवर्तन पर शास्ति आरोपित नहीं कि गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009–17 के दौरान ₹ 19.25 लाख के भू–भाटक, ₹ 59.30 लाख के प्रीमियम एवं ₹ 38.06 लाख की शास्ति की कम वसूली हुई। शासन को कुल ₹ 1.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई (**परिशिष्ट XXVI**)। संबंधित कलेक्टर एवं तहसीलदार भू–भाटक एवं प्रीमियम की उचित दर लगाने तथा स्वैच्छिक चूककर्ताओं पर शास्ति आरोपण करने में असफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान प्रमुख राजस्व आयुक्त ने बताया कि कुछ कार्यालयों में बकाया भू–राजस्व प्रीमियम तथा शास्ति की वसूली की जा रही थी।

---

89 2012–13 (01), 2013–14 (02), 2014–15 (24) और 2015–16 (01)।

90 अनूपपुर, दमोह, डिंडोरी, रतलाम, उमरिया और विदिशा।

91 अलीराजपुर, आलोट, आष्टा, देवास, गाडरवारा, हरदा, इच्छावर, जावद (नीमच), कसरावद, मल्हारगढ़, मंडला, मोमन बड़ोदिया और पुष्पराजगढ़।

यद्यपि कुछ जिला कार्यालयों जैसे दमोह, नरसिंहपुर आदि ने बताया कि भूमि का मूल्यांकन शासन के आदेशों के अनुसार किया गया था। साथ ही आगे यह भी कहा कि प्रकरण पर गौर किया जाएगा एवं लेखापरीक्षा को अंतिम कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (दिसंबर 2017 एवं जून 2018 के मध्य) परन्तु उत्तर प्रतिक्षित हैं (सितम्बर 2019)।

6.7 अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने पर शास्ति की वसूली न होना

भूमि के अप्राधिकृत कब्जे के 962 प्रकरणों में ₹ 84.06 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

म.प्र.एल.आर.सी. 1959 की धारा 248 के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति जो अनर्धिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी अन्य भूमि पर जो धारा 237 के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हो या किसी ऐसी भूमि पर जो शासन की संपत्ति हो, कब्जा कर लेता है या उस पर कब्जा बनाए रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा पूर्ण रूप से बेदखल किया जा सकेगा और कोई भी फसल जो भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर जैसा कि तहसीलदार नियत करें, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो जब्त किया जा सकेगा। ऐसा व्यक्ति तहसीलदार के विवेकानुसार शास्ति के लिये जिसका, अप्राधिकृत कब्जा की गई भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत राशि तक विस्तार हो सकता है, दायी होगा। धारा 248 (2–ए) के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा जारी रखें, तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उक्त उप धारा के अधीन आरोपित किया जा सकता हो, तहसीलदार उस व्यक्ति को पकड़वायेगा और उसे 15 दिन/छः माह की कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरूद्ध किए जाने के लिए वारंट के साथ भेजेगा। शासन (अथवा ग्राम सभा) को देय भू–राजस्व के बकाया की वसूली तहसीलदार द्वारा चल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री से की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाँच तहसील कार्यालयों[92] में मूलभूत भू–अभिलेखों[93] की जाँच (अक्टूबर 16 और अप्रैल 2017 के बीच) की और पाया कि नमूना जाँच किए गए 1,145 प्रकरणों में से 962 प्रकरणों में अक्टूबर 2007 से सितंबर 2016 के मध्य की अवधि के अप्राधिकृत कब्जे के कारण उत्पन्न शास्ति ₹ 84.06 लाख[94] की वसूली नहीं की गई (**परिशिष्ट XXVII**)। तहसीलदार ग्वालियर एवं पुष्पराजगढ़ ने क्रमशः नौ एवं आठ प्रकरणों में राजस्व आदेश पत्र जारी किए परंतु अन्य प्रकरणों में तहसीलदारों द्वारा कोई आदेश जारी किया जाना नहीं पाया गया एवं संबंधित शास्ति पंजियों में मात्र प्रविष्टियाँ दर्ज की गईं। इस प्रकार, शासकीय भूमि पर अप्राधिकृत कब्जे या अतिक्रमण की जाँच के अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने में एवं शास्ति की वसूली में तहसीलदार असफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान पी.आर.सी. ने आश्वस्त किया कि संबंधित जिलों से जानकारी संकलित कर अभिलेखों सहित विस्तृत जवाब दिया जाएगा। तथापि,

---

92 बलदेवगढ़ (टिकमगढ़), गौरीहार (छतरपुर), ग्वालियर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) और सुवासरा (मंदसौर)।

93 दायरा पंजी (राजस्व प्रकरण पंजी), अतिक्रमण (ए–68), अर्थदंड पंजी (शास्ति रजिस्टर), माँग पंजी और व्यक्तिगत प्रकरण नस्तियाँ।

94 तहसीलदार ग्वालियर (₹ 18.60 लाख), तहसीलदार बलदेवगढ़ (₹ 9.04 लाख), तहसीलदार गौरीहार (₹ 2.55 लाख), तहसीलदार सुवासरा (₹ 4.81 लाख) और तहसीलदार पुष्पराजगढ़ (₹ 49.06 लाख) द्वारा शास्ति की वसूली नहीं की गई।

तहसीलदारों द्वारा 31 प्रकरणों में ₹ 1.06 लाख की वसूली की सूचना लेखापरीक्षा को दी गई।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (अप्रैल 2017 एवं जून 2018 के मध्य) किया, परंतु उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2019)।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

अध्याय - 7
वाहन कर

अध्याय 7
वाहन कर

7.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। परिवहन आयुक्त (प.आ.) चालक अनुज्ञप्ति/परमिट जारी किये जाने एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण करता है। इस कार्य हेतु मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा परिवहन आयुक्त को सहयोग प्रदान करते हैं। मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 31 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग के कम्प्यूटरीकरण संबंधी कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं। क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. विभाग के कराधान प्राधिकारी (क.प्रा.) हैं।

वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन किया जाता है–

- मोटरयान अधिनियम, 1988 (मो.या.अधिनियम);
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (के.मो.या.नियम);
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (इसके बाद अधिनियम कहा गया है); तथा
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1994 (इसके बाद नियम कहा गया है)।

7.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

अवधि 2013–14 से 2017–18 के दौरान वाहनों पर करों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों का विस्तृत विवरण **तालिका 7.1** में है।

तालिका 7.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर का प्रतिशत
2013–14	1,650.00	1,598.93	(–) 3.10
2014–15	2,000.00	1,823.84	(–) 8.81
2015–16	2,300.00	1,933.57	(–) 15.93
2016–17	2,500.00	2,251.51	(–) 9.94
2017–18	2,550.00	2,691.62	(+) 5.55

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, राजस्व प्राप्ति में वर्ष 2017–18 के दौरान बजट अनुमान से 5.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व में वृद्धि का कारण राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अभियान, सतत निगरानी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बेहतर मार्गदर्शन बताया गया एवं 10 जनवरी 2017 को कर की दरों में वृद्धि कर संशोधित किया गया था।

7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प.शा.) संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) (वित्त) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। वर्ष 2017–18 के दौरान, विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 33 क्षेत्रीय इकाईयों की योजना बनाई। यद्यपि, केवल 14 इकाईयों की लेखापरीक्षा पूर्ण की जा सकी। विभाग द्वारा बताया गया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु स.ले.अ. के आठ स्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल चार स.ले.अ. कार्यरत हैं। विभाग द्वारा आगे बताया गया कि कार्यालय के अमले का बजट, लेखा, स्थापना एवं सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित अतिरिक्त कार्यो में व्यस्त रहने के कारण अनुमोदित रोस्टर के अनुसार 100 प्रतिशत आंतरिक लेखापरीक्षा संपन्न नही की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान भी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अमले की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी रही।

अतैव, अमले की कमी के मुख्य कारण की वजह से आं.ले.प.शा. इतनी प्रभावी नहीं है, जितनी कि होनी चाहिये।

7.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017–18 में परिवहन विभाग की 53 इकाईयों में से 25 इकाईयों (47 प्रतिशत) प्रमुख सचिव, परिवहन कार्यालय, परिवहन आयुक्त कार्यालय, तथा पाँच क्षे.प.का., दो अ.क्षे.प.का. एवं 16 जि.प.का. के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग को समुच्चयित ₹ 2,251.51 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 985 करोड़ (44 प्रतिशत) एकत्रित किए। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा आवृत्त अवधि 2014–15 से 2016–17 में नमूना जाँच की गई इकाईयों में कुल पंजीकृत 5,67,274 वाहनों में से 88,382 वाहनों (15.58 प्रतिशत) के अभिलेखों की जाँच की तथा 47,050 प्रकरणों (आठ प्रतिशत) में ₹ 86.12 करोड़ के करों का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएँ पायीं जो **तालिका 7.2** में उल्लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं।

तालिका 7.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	वाहन की श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	माल यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,709	8.66
2.	लोक सेवा यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,088	7.94
3.	मैक्सी कैब यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	980	2.99
4.	अन्य (जेसीबी वाहनों, ट्रक, शैक्षणिक संस्था बसों आदि पर कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण)	43,273	66.53
योग		**47,050**	**86.12**

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को शासन एवं विभाग को प्रेषित (मई 2017 तथा फरवरी 2018 के मध्य) किया गया था। 2017–18 के दौरान 2,644 प्रकरणों में राशि ₹ 20.58 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को विभाग ने स्वीकार किया तथा राशि ₹ 65.54 करोड़ के 44,406 प्रकरणों मे समीक्षा करने का अश्वासन दिया। यद्यपि, अभी तक (सितम्बर 2019) किसी भी वसूली की सूचना विभाग द्वारा नही दी गई है।

7.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, अवधि 2012–13 से 2016–17, की 45 कंडिकाओं में ₹ 125.65 करोड़ के विभिन्न प्रेक्षणों को इंगित किया, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा मात्र ₹ 3.88 करोड़ की ही वसूली की गयी। इन 45 कंडिकाओं में से 22 कंडिकाएँ लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा हेतु चयनित की गई। 2012–13 से 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 18 कंडिकाओं पर लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गई। यद्यपि, अभी तक कोई भी अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

निम्नलिखित कंडिकाओं में ₹ 18.12 करोड़ से संबधित कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख किया गया है।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

7.6 वाहन कर व शास्ति की प्राप्ति न होना

विभिन्न श्रेणियों के 3,270 वाहनों पर वाहन कर ₹ 11.21 करोड़ एवं शास्ति ₹ 4.38 करोड़ का अनारोपण/कम आरोपण।

अधिनियम विभिन्न श्रेणियों के उपयोगी वाहनों पर कर लगाने या राज्य में उपयोग हेतु रखे गये वाहनों पर कर की दरें नियत करता है और यह प्रावधानित करता है कि निर्धारित समयावधि में वाहन स्वामी द्वारा कर का भुगतान न करने की स्थिति में, कर की अदत्त राशि पर प्रति माह चार प्रतिशत की दर से शास्ति देय होगी जो कि कर की राशि का अधिकतम दोगुना होगी। कराधान प्राधिकारी (क.प्रा.) ऐसे वाहन स्वामी पर, जो कर, शास्ति या ब्याज का भुगतान नहीं करता है, देय राशि हेतु नोटिस जारी करेगा एवं इनकी वसूली, वाहनों तथा उसके सहायक उपकरणों को संलग्नकर और बेचकर भू–राजस्व बकाया के रूप में वसूली करेगा।

लेखापरीक्षा ने छह क्षे.प.का.[95], दो अ.क्षे.प.का.[96] एवं 16 जि.प.का.[97] के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2017 एवं फरवरी 2018 के मध्य) की और पाया कि अप्रैल 2014 एवं मार्च 2017 के मध्य की अवधि के लिए वाहन स्वामियों द्वारा नमूना जाँच किये गये 28,481 वाहनों में से 3,270 वाहनों का वाहन कर का न तो भुगतान किया गया न हीं क.प्रा. द्वारा बकाया राशि के लिये माँग पत्र जारी किये गये। अभिलेखों में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनो को अप्रचलित घोषित किया गया था अथवा किसी अन्य जिला/राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 11.21 करोड़ के कर एवं कर की असंदत्त राशि पर ₹ 4.38 करोड़ की शास्ति की प्राप्ति नहीं हो सकी, जैसा कि नीचे **तालिका 7.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.4

अप्राप्त वाहन कर एवं शास्ति का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. स.	वाहन का प्रकार	चूककर्ता वाहनों की संख्या	सम्मिलित कार्यालयों की संख्या	अप्राप्त कर की राशि	आरोपणीय कर की राशि पर शास्ति	राशि
1.	माल वाहन	1353	18 कार्यालय[98]	396.16	209.17	605.33
2.	आरक्षित लोक सेवा यान	87	07 कार्यालय[99]	64.49	31.65	96.14

[95] **क्षे.प.का.** भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन।

[96] **अ.क्षे.प.का.** गुना और सिवनी।

[97] **जि.प.का.** अनूपपुर, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, भिंड, दमोह, देवास, डिन्डोरी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, शिवपुरी, सीधी और उमरिया।

[98] **क्षे.प.अ. (05)** ग्वालियर (85 प्रकरण), इंदौर (300 प्रकरण), जबलपुर (20 प्रकरण), सागर (56 प्रकरण) और उज्जैन (01 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (01) सिवनी (378 प्रकरण)।
जि.प.अ. (12) अनूपपुर (80 प्रकरण), बालाघाट (160 प्रकरण), बैतूल (07 प्रकरण), भिंड (91 प्रकरण), दमोह (25 प्रकरण), देवास (06 प्रकरण), डिन्डोरी (41 प्रकरण), मंडला (15 प्रकरण), नरसिंहपुर (22 प्रकरण), पन्ना (15 प्रकरण), रायसेन (03 प्रकरण) और शिवपुरी (48 प्रकरण)।

[99] **क्षे.प.अ. (01)** इंदौर (29 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (01) सिवनी (12 प्रकरण)।
जि.प.अ. (05) अनूपपुर (18 प्रकरण), दमोह (05 प्रकरण), नरसिंहपुर (03 प्रकरण), पन्ना (11 प्रकरण) और रतलाम (09 प्रकरण)।

क्र. स.	वाहन का प्रकार	चूककर्ता वाहनों की संख्या	सम्मिलित कार्यालयों की संख्या	अप्राप्त कर की राशि	आरोपणीय कर की राशि पर शास्ति	राशि
3.	अर्थमूवर / हार्वेस्टर / जे.सी.बी.	572	15 कार्यालय[100]	423.35	109.18	532.53
4.	मैक्सी कैब / टैक्सी कैब	795	18 कार्यालय[101]	160.30	51.60	211.90
5.	मंजिली वाहन	56	06 कार्यालय[102]	31.27	9.25	40.52
6.	सम्पूर्ण भारत अनुज्ञा पत्र धारी वाहन	18	02 कार्यालय[103]	17.86	13.37	31.23
7.	डीलक्स बसें	17	02 कार्यालय[104]	5.06	2.44	7.50
8.	निजी सेवा वाहन	45	03 कार्यालय[105]	22.31	11.71	34.02
योग		**3,270**		**1,120.80**	**438.37**	**1,559.17**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (नवम्बर 2017 एवं जून 2018 के मध्य) किया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया। आगे, शासन ने 406 वाहनों पर ₹ 1.72 करोड़ की वसूली सूचित की (मई 2019)। यद्यपि, वाहनवार वसूली से समर्थित दस्तावेज एवं चालान प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समान प्रेक्षणों को इंगित किया गया था, किंतु इन अनियमितताओं की निरंतरता को रोकने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गयी। लो.ले.स. ने भी (वर्ष 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर 392वाँ प्रतिवेदन, 2017–18) लंबित कर एवं शास्ति की निर्धारित समय

---

100 **क्षे.प.अ. (06)** भोपाल (75 प्रकरण), ग्वालियर (42 प्रकरण), इंदौर (189 प्रकरण), जबलपुर (11 प्रकरण), सागर (27 प्रकरण) और उज्जैन (28 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (02) गुना (25 प्रकरण) और सिवनी (40 प्रकरण)।
जि.प.अ. (07) बैतूल (09 प्रकरण), भिंड (33 प्रकरण), दमोह (31 प्रकरण), देवास (13 प्रकरण), पन्ना (12 प्रकरण), रायसेन (14 प्रकरण) और शिवपुरी (23 प्रकरण)।

101 **क्षे.प.अ. (05)** भोपाल (52 प्रकरण), ग्वालियर (15 प्रकरण), इंदौर (17 प्रकरण), सागर (60 प्रकरण) और उज्जैन (19 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (02) गुना (06 प्रकरण) और सिवनी (61 प्रकरण)।
जि.प.अ. (11) अनूपपुर (158 प्रकरण), बालाघाट (53 प्रकरण), बैतूल (37 प्रकरण), भिंड (38 प्रकरण), देवास (48 प्रकरण), डिन्डोरी (40 प्रकरण), नरसिंहपुर (25 प्रकरण), मंडला (25 प्रकरण), पन्ना (89 प्रकरण), रायसेन (19 प्रकरण) और शिवपुरी (33 प्रकरण)।

102 **क्षे.प.अ. (01)** इंदौर (09 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (01) सिवनी (11 प्रकरण)।
जि.प.अ. (04) बालाघाट (20 प्रकरण), भिंड (11 प्रकरण), मंडला (04 प्रकरण) और नरसिंहपुर (01 प्रकरण)।

103 **जि.प.अ (02)** भिंड (12 प्रकरण) और शिवपुरी (06 प्रकरण)।

104 **क्षे.प.अ. (02)** इंदौर (14 प्रकरण) और सागर (03 प्रकरण)।

105 **क्षे.प.अ. (03)** भोपाल (18 प्रकरण), ग्वालियर (07 प्रकरण) और इंदौर (20 प्रकरण)।

सीमा में वसूली तथा समय पर देयताओं की वसूली की कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु परिवहन विभाग को निर्देशित किया था। इसके बावजूद विभाग एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में असफल रहा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन कर पूर्ण रूप से एकत्रित हों तथा चूककर्ता कर और शास्ति के भुगतान से न बच सकें।

7.7 निजी सेवा वाहनों पर शैक्षणिक संस्थान बसों पर लागू दर से कर का त्रुटिपूर्ण आरोपण

208 निजी सेवा वाहनों पर वाहन कर त्रुटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले बसों के लिए लागू दर से लगाया गया, कर की त्रुटिपूर्ण दर के उपयोग का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के वाहन कर एवं ₹ 1.07 करोड़ की शास्ति का न्यून आरोपण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

मोटरयान अधिनियम परिभाषित करता है कि ''शैक्षणिक संस्था बस'' से तात्पर्य उस वाहन से है जो महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था के स्वामित्व में हो तथा जिसका उपयोग पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के छात्रों या कर्मचारियों के लिए संस्था की गतिविधियों के संबंध में परिवहन हेतु हो। आगे प्रावधानित है कि ''स्वामी'' का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से भी है जिसके कब्जे में लीज़ अनुबन्ध या दृष्टिबंधक (हायपोथिकेटेड) वाहन है। शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों पर कर ₹ 30 प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से ₹ तीन प्रति सीट प्रति तिमाही) की रियायती दर से लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, निजी सेवा वाहन जिसमें चालक को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, जो कि लोक प्रयोजन के लिए उपयोग ना किया जाकर आम तौर पर वाहन स्वामी के कारोबार या व्यापार के संबंध में उपयोग किया जाता है, पर ₹ 480 प्रति सीट प्रति तिमाही (जनवरी 2017 से ₹ 600 प्रति सीट प्रति तिमाही) की दर से कर लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा में चार कार्यालयों[106] के 591 वाहनों के अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के मध्य की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2017 एवं जनवरी 2018 के मध्य) की गई एवं पाया गया कि क.प्रा. द्वारा 208 ऐसे वाहनों पर शैक्षणिक संस्था के वाहन के लिए निर्धारित दर से वाहन कर लगाया गया जो कि महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व में नहीं थे अथवा शैक्षणिक संस्थाओं को लीज़ पर नहीं दिये गये थे। आक्षेपित वाहन व्यक्तिगत नामों पर पंजीकृत थे।

क.प्रा. द्वारा कर की सही दर लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप निजी व्यक्तियों से ₹ 1.46 करोड़ कर एवं ₹ 1.07 करोड़ शास्ति की कम प्राप्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की राजस्व हानि हुई **(परिशिष्ट XXVIII)**।

[106] **जि.प.का.** बैतूल, भिंड और शिवपुरी।
क्षे.प.का. सागर।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (मार्च 2018 एवं जून 2018 के मध्य) किया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं सूचित किया कि प्रत्येक क.प्रा. को केवल ऐसे वाहनों को जो शैक्षणिक संस्थाओं/विद्यालयों के नाम से पंजीकृत हो अथवा विद्यालयों/महाविद्यालयों अथवा शैक्षणिक संस्थाओं के पक्ष में लीज पर हो पर रियायती दर से वाहन कर का आरोपण करने के संबंध में आदेश जारी किये गये थे (फरवरी 2019)। यद्यपि, शासन द्वारा कोई वसूली सूचित नहीं की गई थी (मई 2019)।

(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

भोपाल
दिनांकः 06 फरवरी 2020

प्रति हस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 11 फरवरी 2020

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(कण्डिका 2.7 में संदर्भित)

अनिवार्य जाँच जैसे कोषालय अभिलेखों के साथ चालान का सत्यापन/पुर्नमिलान का पालन न करने से शासन को राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

मदिरा का प्रकार	वर्ष	लाइसेंसी का नाम	आबकारी शुल्क से संबंधित चालान की संख्या	लायसेंस फीस से संबंधित चालान की संख्या	देय राशि		भुगतान की गयी राशि		अंतर	
					आबकारी शुल्क	लायसेंस फीस	आबकारी शुल्क	लायसेंस फीस	आबकारी शुल्क	लायसेंस फीस
देशी मदिरा	2015–16	बलराम माली	15	13	29,11,950	30,36,940	65,950	99,940	28,46,000	29,37,000
		अभिषेक शर्मा	26	12	56,58,860	61,78,100	2,88,860	60,100	53,70,000	61,18,000
	2016–17	विजय कुमार श्रीवास्तव	68	14	1,39,33,350	1,38,71,500	5,72,850	2,13,500	1,33,60,500	1,36,58,000
		दीपक जायसवाल	61	30	1,23,03,900	1,23,43,600	4,11,900	3,48,600	1,18,92,000	1,19,95,000
		जितेंद्र शिवराम	22	11	22,71,800	26,62,600	1,50,800	1,11,600	21,21,000	25,51,000
		राहुल चौकसे	60	28	1,12,79,050	1,14,15,200	4,09,050	2,67,200	1,08,70,000	1,11,48,000
		लव कुश पांडे	15	9	21,00,600	30,18,275	56,600	51,275	20,44,000	29,67,000
		असप्रीत सिंह लुबाना	11	6	26,22,375	41,10,500	51,375	40,500	25,71,000	40,70,000
		में. भारतीदेव बिल्ड प्रा. लि.	2	1	6,92,500	5,20,000	10,500	20,000	6,82,000	5,00,000
	2017–18	प्रदीप जायसवाल	33	0	1,19,86,893	0	6,86,893	0	1,13,00,000	0
		में. भारतीदेव बिल्ड प्रा. लि.	38	0	1,33,69,473	0	7,69,473	0	1,26,00,000	0
		लव कुश पांडे	31	0	1,35,85,540	0	7,85,540	0	1,28,00,000	0
		मिलियन ट्रेडर्स	21	0	83,70,900	0	3,70,900	0	80,00,000	0
		राहुल चौकसे	34	0	1,39,69,971	0	6,69,971	0	1,33,00,000	0
		अविनाश सिंह मंडलोई	32	0	1,26,91,935	0	4,91,935	0	1,22,00,000	0
		विरेन्द्र सिंह ठाकुर	2	0	7,30,980	0	30,980	0	7,00,000	0
योग (अ)			**471**	**124**	**12,84,80,077**	**5,71,56,715**	**58,23,577**	**12,12,715**	**12,26,56,500**	**5,59,44,000**

विदेशी मदिरा	2015–16	बलराम माली	8	6	10,16,000	26,04,945	87,000	14,945	9,29,000	25,90,000
		अभिषेक शर्मा	18	7	29,48,000	46,87,000	2,38,000	1,72,000	27,10,000	45,15,000
	2016–17	लव कुश पांडे	13	4	23,83,000	47,50,000	73,000	50,000	23,10,000	47,00,000
		विजय कुमार श्रीवास्तव	111	20	1,89,46,500	2,57,34,500	8,46,500	2,75,500	1,81,00,000	2,54,59,000
		असप्रीत सिंह लुबाना	16	5	22,43,500	23,60,000	1,05,500	60,000	21,38,000	23,00,000
		दीपक जायसवाल	0	4	0	23,75,600	0	75,600	0	23,00,000
		राहुल चौकसे	62	15	1,34,26,000	1,96,86,500	5,56,000	2,46,500	1,28,70,000	1,94,40,000
		जितेंद्र शिवराम	21	7	26,38,500	35,79,000	1,48,500	79,000	24,90,000	35,00,000
	2017–18	मिलियन ट्रेडर्स	20	0	91,50,000	0	2,50,000	0	89,00,000	0
		प्रदीप जायसवाल	26	0	1,35,65,000	0	2,65,000	0	1,33,00,000	0
		लव कुश पांडे	15	0	90,60,000	0	2,60,000	0	88,00,000	0
		राकेश जायसवाल	26	0	1,49,25,000	0	3,25,000	0	1,46,00,000	0
		योगेन्द्र जायसवाल	12	0	70,50,000	0	1,50,000	0	69,00,000	0
		राहुल चौकसे	25	0	1,47,65,000	0	3,65,000	0	1,44,00,000	0
		में. भारतीदेव बिल्ड प्रा. लि.	25	0	1,07,50,000	0	3,50,000	0	1,04,00,000	0
योग (ब)			**398**	**68**	**12,28,66,500**	**6,57,77,545**	**40,19,500**	**9,73,545**	**11,88,47,000**	**6,48,04,000**
महायोग (अ)+(ब)			**869**	**192**	**25,13,46,577**	**12,29,34,260**	**98,43,077**	**21,86,260**	**24,15,03,500**	**12,07,48,000**

परिशिष्ट II

(कण्डिका 2.7 में संदर्भित)

राजस्व प्राप्ति के विभागीय एवं कोषालयीन आकड़ों में अंतर दर्शाता विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	माह	विभागीय आकड़े	कोषालयीन आकड़े	अंतर
1	अप्रैल–15	76,13,69,670	76,13,69,670	0
2	मई–15	55,07,43,555	55,23,51,755	– 16,08,200
3	जून–15	57,05,00,188	57,05,01,188	– 1,000
4	जुलाई–15	43,00,15,541	43,00,15,541	0
5	अगस्त–15	37,54,68,934	37,54,71,034	– 2,100
6	सितंबर–15	38,30,87,634	38,35,14,434	– 4,26,800
7	अक्टूबर–15	44,43,95,411	44,43,95,511	– 100
8	नवंबर–15	47,33,15,071	47,33,15,971	– 900
9	दिसंबर–15	47,53,39,015	47,53,39,015	0
10	जनवरी–16	39,68,17,431	39,68,17,431	0
11	फरवरी–16	62,19,04,752	62,19,04,752	0
12	मार्च–16	62,19,04,752	85,76,57,444	– 23,57,52,692
13	अप्रैल–16	60,79,62,531	60,79,79,831	– 17,300
14	मई–16	86,21,23,373	86,21,24,373	– 1,000
15	जून–16	57,58,26,834	57,58,27,934	– 1,100
16	जुलाई–16	44,55,70,051	43,76,04,201	79,65,850
17	अगस्त–16	45,21,48,367	45,22,79,667	– 1,31,300
18	सितंबर–16	40,20,54,485	40,20,14,485	40,000
19	अक्टूबर–16	47,23,81,760	47,23,81,160	600
20	नवंबर–16	51,54,83,904	51,54,33,904	50,000
21	दिसंबर–16	50,87,52,557	50,87,52,557	0
22	जनवरी–17	44,34,44,640	44,34,44,640	0
23	फरवरी–17	53,51,25,178	53,51,25,178	0
24	मार्च–17	98,82,67,579	98,82,67,679	– 100
25	अप्रैल–17	57,96,82,347	59,09,93,937	– 1,13,11,590
26	मई–17	77,47,71,068	79,36,95,917	– 1,89,24,849
27	जून–17	65,90,50,743	67,37,69,557	– 1,47,18,814

परिशिष्ट III

(कण्डिका 3.6 में संदर्भित)

टर्न ओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

(राशि ₹ में)

क्र. स.	पी.डी.पी. क्र0 / वर्ष	लेखापरीक्षित इकाई / व्यवसायी का नाम	निर्धारण का माह / अवधि	लेखा परीक्षा का माह / नि. प्रा.जारी करने का माह	लेखाओं के अनुसार कर योग्य राशि	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित कर योग्य राशि	कर योग्य राशि का कम निर्धारण	लागू कर की दर (%)	कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर / लेखापरीक्षा अभिमत
1.	09 2017–18	सहा.आ.वा.क.. वृत्त मुरैना,में. भगवती इण्टरप्राईजेज, टिन 23495604550 प्र0क्र0– 523 / 2013 (वैट)	2012–13 अप्रैल 2015	मई 2017 जून 2017	5,08,26,592	4,25,76,418	82,50,174	5	4,12,509 शास्ति 12,37,527 16,50,036	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में कम लाभ जोड़ने की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने बताया कि डीजल सीधे खर्च के तहत कच्चे माल का हिस्सा है। आडिट रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष व्यय में वैट कर और अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल थे। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्यक्ष व्यय को आडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन वह अधिकारिक व्यय था और वैट कर में प्राप्त रसीदें टीडीएस थीं जो लाभ की गणना को प्रभावित नहीं करती थी।
2.	12 2017–18	सहा.आ.वा.क.. वृत्त मुरैना, में. भगवती इण्टरप्राईजेज, टिन 23495604550 प्र0 क्र0– 541043 (वैट)	2013–14 जनवरी 2016	मई 2017 जून 2017	8,69,01,794	7,70,36,928	98,64,866	5	4,93,243 शास्ति 14,79,729 19,72,972	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि मे कम लाभ जोडा।	नि.प्रा. ने बताया कि डीजल सीधे खर्च के तहत कच्चे माल का हिस्सा है। आडिट रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष व्यय में वैट कर और अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल थे। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्यक्ष व्यय को आडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह अधिकारिक व्यय था और वैट कर में प्राप्त रसीदें टीडीएस थीं जो लाभ की गणना को प्रभावित नहीं करती थी।

3.	27 2017–18	सहा.आ.वा.क.. वृत्त मुरैना, में. बी0के0 ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, टिन 23075601871 प्र0क्र0– 777063	2014–15 दिसंबर 2016	मई 2017 जून 2017	8,47,25,730	8,42,60,336	4,65,394	13	60,501 शास्ति 1,81,503 2,42,004	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में ट्रैक्टर एसेसरीज की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि ट्रैक्टर एसेसरीज को अलग से नहीं बेचा गया क्योंकि वह ट्रैक्टर बिक्री का हिस्सा था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एसेसरीज की अलग–अलग बिक्री सी0ए0 द्वारा प्रमाणित थी। ट्रैक्टर के खाते में हस्तांतरण का साक्ष्य नहीं था।
4.	28 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त होशंगाबाद में. शिव ट्रेडर्स टिन 23884202734 प्र0क्र0 569 / 14–15 (वैट)	2013–14 अगस्त 2016	मई 2017 जून 2017	1,92,47,486	1,48,95,983	43,51,503	13	5,65,695 शास्ति 16,97,085 22,62,780	नि.प्रा. ने वर्ष 2013–14 को गलत तरीके से वर्ष 2014–15 के प्रारम्भिक शेष को मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
5.	31 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त होशंगाबाद में. नीरज कुमार जैन टिन 23624201034 प्र0क्र0 472 / 2014 (वैट)	2013–14 जनवरी 2016	मई 2017 जून 2017	82,53,316	76,51,870	6,01,446	13	78,187 शास्ति 2,34,561 3,12,748	नि.प्रा. ने श्रम व्यय में कटौती की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
6.	81 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–1 इंदौर में. मारवी पैकजिंग टिन 23160103813 प्र0क्र0 698039 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	जून 2017 जुलाई 2017	3,44,71,169	3,38,42,732	6,28,437	1.5	9,427 शास्ति 28,281 37,708	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में अचल संपत्तियों की कटौती दी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

7.	84 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–1 इंदौर, में. श्रीनाथजी ट्रेडर्स टिन 23460104909 प्र0क्र0 699311 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	जून 2017 जुलाई 2017	1,34,46,292	1,24,66,292	9,80,000	5	49,000	नि.प्रा. ने बिक्री की राशि कम स्वीकृत की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
8.	93 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–13, इंदौर, में. बेटला आटो सेल्स टिन 23681302738 प्र.क्र.679780 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	19,48,09,996	1,93,685,662	11,24,334	13	1,46,164	नि.प्रा. ने वारंटी, सर्विसिंग एवं रिपेयरिंग चार्ज और गोरखा बिक्री को कर योग्य में शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने कहा कि वाहन निर्माता कंपनी पर वाहन की बिक्री और वारंटी के दावे के बाद सर्विसिंग और मरम्मत का काम किया गया था, सर्विसिंग और मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर वैट लगाया गया था जैसा कि बिक्री बिल में दिखाया गया है और वाहन की बिक्री के संबंध में बिल नं. 145 न स्वीकारना आधारहीन है, क्योंकि सकल बिक्री में सभी बिक्री बिल शामिल थे। नि.प्रा. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वारंटी क्लेम को कर योग्य के रूप में माना गया है। निर्धारिती आई.टी.आर. के लिए योग्य नहीं था क्योंकि खरीदी स्वयं के लिए की गई थी।
9.	96 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–13 इंदौर, में. कामको चेव फूड प्रा0 लि0 टिन 23839047975 प्र0क्र0 687932 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	48,42,800	47,,07,828	1,34,972	13	17,546 शास्ति 52,638 70,184	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

10.	97 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–13, इंदौर, में. ए0एस0 मोवरीस प्रा0 लि0 टिन 23259080043 प्र0क्र0 688102 (वैट)	2014–15 सितंबर 2016	मई 2017 जून 2017	1,00,95,712	96,96,787	3,98,925	13	51,860	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में वारंटी क्लेम शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वारंटी का दावा गैर कर योग्य था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मैसर्स इकराम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वारंटी का दावा कर योग्य माना गया था।
11.	40 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–2 ग्वालियर, में. पटेल एंड सन्स टिन 23705206492 प्र0क्र0 660264 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	7,76,00,627	7,74,00,627	200,000	23	37,398	नि.प्रा. ने बिक्री की राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
12.	44 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त मण्डला, में. प्रणव लोध टिन 23816302580 प्र0क्र0 651721 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जुलाई 2017	9,96,246	6,46,752	3,49,496	13	45,434 शास्ति 1,36,302 1,81,736	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि 13 प्रतिशत कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
13.	47 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–3 उज्जैन, में. महेन्द्र सिंह सोन्टी टिन 23169024956 प्र0क्र0 728/2015	2013–14 जनवरी 2016	जून 2017 जुलाई 2017	1,68,83,594	1,34,20,820	34,62,774	5 एवं 13	1,94,070	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि 5 एवं 13 प्रतिशत को कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
14.	53 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त शाजापुर, में. धनराज	2012–13 –	मई 2017 जून 2017	9,35,68,369	8,74,87,635	60,80,734	5	3,04,036	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि मामला वरिष्ठ अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, मामला उनसे सम्बन्धित है।

		ट्रेडर्स, टिन 23672606388 प्र0क्र0–शून्य									
15.	57 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त शाजापुर, में. शुभम इलेट्रानिक्स टिन 23372504787 प्र0क्र0–शून्य	2013–14 –	मई 2017 जून 2017	2,07,00,323	1,89,85,971	17,14,261	13	2,22,854	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि मामला वरिष्ठ अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, मामला उनसे सम्बन्धित है।
16.	59 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त शाजापुर, में. देवी मेडीकोज, टिन 23872503154 प्र0क्र0–शून्य	2012–13 –	मई 2017 जून 2017	1,61,08,146	1,25,81,834	35,26,312	5 एवं 13	207108	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि मामला वरिष्ठ अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, मामला उनसे सम्बन्धित है।
17.	60 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त शाजापुर, में. नकोड़ा एजेन्सी, टिन– 23352502179 प्र0क्र0– शून्य	2012–13 –	मई 2017 जून 2017	2,16,02,004	2,08,95,531	7,06,473	13	91,841	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि मामला वरिष्ठ अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, मामला उनसे सम्बन्धित है।
18.	64 2017–18	संभागीय उपायुक्त वा0 कर संभाग–2, ग्वालियर, में. व्ही0व्ही0सी0 रीयल इन्फ्रा. प्रा0 लि0, टिन– 23825006412 प्रा0क्र0– 644380 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	1,15,35,94,580	1,11,40,29,019	3,95,65,561	5	19,78,278	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि का कम निर्धारण किया। जैसा कि लेखापरीक्षित खातों में देखा गया है और फार्म 32 जैसा लेखापरीक्षित खातों में श्रम उपकर की मात्राओं में परिलक्षित होता है।	नि.प्रा. ने बताया कि काम के अनुबन्ध के मामले में, सरकारी विभाग वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में रनिंग बिल से टीडीएस काटते हैं और ठेकेदार का खाता अगले वित्तीय वर्ष में जमा किया जाता है, ठेकेदार के खाते में उतनी राशि नहीं होती है जितनी कि चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्ति के रूप में होती है। माल कर का आकलन खाता–बही के आधार पर किया गया है, और चालू वर्ष में सभी वास्तविक प्राप्तियॉ उस मामले के लिए ली गई है। कर के कम मूल्यांकन का मामला इस मामले में लागू नहीं है। लेबर सेस के मामलों में, कुछ

											मामलों में कटौती 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की जाती है। नि.प्रा. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रकरण के साथ में पंजीकृत व्यवसायी से क्रय किए गए बिल उपलब्ध नहीं थे और न ही इस प्रकरण के साथ संलग्न किया गया।
19.	68 2017–18	संभागीय उपायुक्त वा0 कर संभाग–2, ग्वालियर, में. के0एन0आर0 कंस्ट्रक्शन लि0, टिन–23435503800 प्र0क्र0–626532 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	1,65,89,33,900	1,61,13,48,615	4,75,85,285	5	23,79,264	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में माल की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि निर्धारिती ने उचित खातों को बनाए रखा था और रिटर्न को प्रस्तुत किया था। एमपी जीएसटी अधिनियम की धारा 18(2) के तहत जारी किए गए किसी भी नोटिस का पालन करने में कोई विफलता नहीं की, और न ही निर्धारिती ने जानबूझकर अपूर्ण या गलत रिटर्न प्रस्तुत किया था। कर निर्धारण, निर्धारिती द्वारा रखे गये खातों के आधार पर किया जा सकता है। निर्धारिती के कारोबार में सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन और वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भुगतान अगली तिमाही में किया गया था और त्रैमासिक टीडीएस फॉर्म–32 में यह दिखाना कानूनी रूप से उचित नहीं था और यह लेखांकन सिद्धांत के विरूद्ध था।
20.	71 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त राजगढ़ में. राम प्रसाद राठौर टिन 2309240449 प्र0क्र0–1/आर/15 (वैट)	2012–13 मार्च 2015	मई 2017 जुलाई 2017	3,43,71,981	3,22,46,615	21,25,366	5 एवं 13	4,31,253	नि.प्रा. नें सीमेंट, बिटुमिन, स्टील, आरसीसी पाईप, यूआरडी सामग्री, इमल्सन के मूल्य में लाभ नहीं दर्शाया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

21.	108 2017–18	संभागीय उपायुक्त वा0 कर, (टैक्स आडिट विंग–1), इंदौर, में. आरोन डेवलपर्स, टिन– 23109117597 प्रा0क्र0–	2014–15 फरवरी 2017	अगस्त 2017 सितंबर 2017	2,07,05,852	1,88,63,545	18,42,307	1.5	27,634 शास्ति 82,902 1,10,536	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में होण्डासिटी एवं हुण्डई की बिक्री को शाामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
22.	121 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–2, सतना, में. कंवर ट्रेडर्स टिन– 23749019757 प्र0क्र0– 284 / 2015 (वैट)	2014–15 –	अगस्त 2017 सितंबर 2017	1,21,96,597	1,08,19,284	13,77,313	8 (13 –5)	1,10,185	13 प्रतिशत की बिक्री को 5 प्रतिशत बिक्री में शामिल किया और 13 प्रतिशत की बिक्री कम निर्धारित की गई।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
23.	122 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त अशोक नगर, में. प्रबल प्रताप सिंह रघुवंशी लि0 टिन– 23439027645 प्र0क्र0– 631498	2014–15 जनवरी 2017	जून 2017 जुलाई 2017	78,64,904	22,54,970	56,09,934	13, 5 एवं ₹ 20 प्रति वर्ग मीटर	3,11,143 शास्ति 9,33,429 12,44,572	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि का निर्धारण कम किया जबकि खातों के अनुसार बिक्री ₹ 78,64,904 थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
24.	125 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त अशोक नगर, में. विसेन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 टिन– 23679037515 प्र0क्र0– 303 / 2014 (वैट)	2013–14 जनवरी 2016	जून 2017 जुलाई 2017	3,93,98,570	3,86,82,380	7,16,190	5	35,810	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में निर्धारित विक्रय को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

25.	139 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त बालाघाट, में. वाधवा कंस्ट्रक्शन टिन 23829007430 प्र0क्र0– 688110	2014–15 जुलाई 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	67,10,946	62,02,804	5,08,142	13	66,058 शास्ति 1,98,174 2,64,232	नि.प्रा. ने फार्म 75 में बिक्री की तुलना में डीलर द्वारा दिखाये गये कम खरीदी को स्वीकार किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
26.	140 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त बालाघाट, में. शैलेन्द्र पटेल टिन 23576504472 प्र0क्र0 765690 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	1,81,03,393	1,72,05,913	8,97,480	5	44,874 शास्ति 1,34,622 1,79,496	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में जेसीबी की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
27.	142 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त बालाघाट, में. रिमझिम गिफ्ट एंड जनरल स्टोर टिन 23916505061 प्र0क्र0 764645 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	21,73,384	13,63,935	8,09,449	13	1,05,228 शास्ति 3,15,684 4,20,912	नि.प्रा. ने 13 प्रतिशत कर योग्य राशि को कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
28.	143 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त बालाघाट, में. एन0 एन0 पुगालिया टिन 23816506086 प्र0क्र0 792802 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	51,65,56,571	51,48,92,246	16,64,325	₹ 20 प्रति वर्ग मीटर	8,11,864 शास्ति 24,35,595 32,47,460	नि.प्रा. ने रायल्टी को कर योग्य राशि में शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
29.	112 2017–18	संभागीय उपायुक्त वा0 कर, सतना में. अमरावती फिलिंग स्टेशन,	2014–15 जनवरी 2017	अगस्त 2017 सितंबर 2017	53,39,18,421	52,60,11,517	79,06,904	4(27 –23)	3,16,276 शास्ति 9,48,828 12,65,104	नि.प्रा. ने डीजल 27 प्रतिशत की बिक्री को 23 प्रतिशत की	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

		टिन–23369072951 प्रा0क्र0–46/2015 (वैट)								बिक्री में शामिल किया।	
30.	115 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–1 उज्जैन, में. अशोक कुमार जैन कांट्रैक्टर टिन 23802602666 प्र0क्र0–696138 (वैट)	2014–15 जून 2016	जुलाई 2017 सितंबर 2017	3,30,63,978	2,99,55,638	31,08,340	13	4,04,084	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि 13 प्रतिशत कम निर्धारित किया जबकि आगत कर 13 प्रतिशत खरीद की अधिक स्वीकृति दी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
31.	170 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–3 ग्वालियर, में. शाह जी ट्रेडर्स टिन 23299108266 प्र0क्र0–660825 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	4,046,660	15,77,143	24,69,517	13	3,21,037	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित की जबकि स्थानीय बिक्री निर्धारित बिक्री से अधिक थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
32.	183 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–3 ग्वालियर, में. समाधिया फाइनेंसियल सर्विस प्रा0 लि0 टिन 23865303404 प्र0क्र0–582944 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	18,82,82,726	18,68,17,429	14,65,297	13	1,90,488	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में वारंटी बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था।

33.	192 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त बुरहानपुर, में. बुरहानपुर टैक्सटाईल लि0 टिन 23831910603 प्र0क्र0–32241 3 (वैट)	2012–13 अप्रैल 2015	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	1,09,24,135	29,84,670	79,39,465	5	3,96,974 शास्ति 11,90,922 15,87,896	नि.प्रा. ने वास्तविक की तुलना में सामग्री की कम लागत निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
34.	201 2017–18	वा0क0अ0 (ए एंड एल)वृत्त भोपाल, में. होटल रंजीत हमीदिया रोड टिन 23333700528 प्र0क्र0– 04 / 2015 (वैट)	2014–15 –	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	2,03,81,229	1,87,81,229	16,00,000	1.5	24,000 शास्ति 72,000 96,000	नि.प्रा. ने कार (पुराने वाहन) मूल्य में कटौती की स्वीकृति दी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
35.	204 2017–18	सहा.आ.वा.क. नीमच, में. राजदीप ट्रडिंग कंपनी टिन 23683202192 प्र0क्र0– 38 / 2014–15 (वैट)	2014–15 –	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	1,49,77,634	1,16,69,524	33,08,110	5	1,65,405 शास्ति 8,27,025 9,92,430	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में विवरणियों की विक्रय राशि को एच फार्म बिक्री में शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि खातों और खरीद बिक्री सूची का सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी और एच फार्म पर बिक्री वापसी फिर से बेची गयी थी, इसलिए इसे वर्ष के प्रारम्भिक शेष में शामिल नहीं किया गया था। नि.प्रा. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कर योग्य कारोबार बिक्री रिटर्न के बारे में विचार करते हुए निर्धारित नहीं किया गया था, यद्यपि गणना लेखा परीक्षित खातों के अनुसार की गई थी तो कुल कारोबार साबित नहीं हुआ होगा।

36.	208 2017–18	सहा.आ.वा.क. नीमच, में. रमेश चन्द भंवरलाल टिन 23053001991 प्र0क्र0– 118/2014–15 (वैट)	2014–15 –	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	19,34,000	0	19,34,000	5	96,700	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में वारदाना की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
37.	226 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त, इटारसी में. जयश्री एजेन्सी टिन 23664302377 प्र0क्र0– 368/ 2015–16 (वैट)	2015–16 –	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	3,22,20,299	3,08,67,856	13,52,443	5 एवं 14	69,599 शास्ति 2,08,797 2,78,396	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
38.	228 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त, इटारसी में. महेश ट्रेडिंग कंपनी टिन 23824305005 प्र0क्र0– 846/ 2015–16 (वैट)	2015–16 –	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	3,49,26,592	2,78,80,338	70,46,254	5 एवं 14	4,03,112	नि.प्रा. ने पीबीसी टाईलों, यूआरडी, सीमेंट, ग्रेनाईट, संगमरमर, कोटा पत्थर की कम विक्रय राशि निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
39.	237 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त पीथमपुर धार में. श्रीजी पोलीमर टिन 23349013783 प्र0क्र0– 643071 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	54,24,954	34,24,954	20,00,000	13	2,60,000	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में प्लांट एवं मशीन के विक्रय मूल्य को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

40.	49 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–3 उज्जैन में. रमेश चन्द सुरेश कुमार टिन 23202800294 प्र0क्र0– 51 / 2012 (वैट)	2011–12 जुलाई 2014	जून 2017 जुलाई 2017	3,57,62,009	3,40,59,056	17,02,953	5	85,147	नि.प्रा. ने शुद्ध विक्रय राशि को कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
41.	239 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–4 इंदौर में. मुंगद एलुमिनियम प्रा0 लि0 टिन 23550402310 प्र0क्र0– 464126 (वैट)	2013–14 जनवरी 2016	मई 2017 जून 2017	2,45,24,569	1,99,29,730	45,94,839	5	2,29,742	नि.प्रा. ने प्रत्यक्ष पारगमन (ट्रांजिट बिक्री) में कटौती की स्वीकृति दी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
42.	258 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–2 छिंदवाड़ा में. पंडित इंफ्रा0 कम्पनी टिन 23625023746 प्र0क्र0– 612832 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	1,19,90,141	32,23,991	87,66,150	5	4,38,307 शास्ति 13,14,921 17,53,229	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
43.	106 2017–18	संभागीय उपायुक्त वा0 क0 टैक्स आडिट विंग–1, इंदौर में. सांई बिल्डकान टिन 23259069179 प्र0क्र0– (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	अगस्त 2017 सितंबर 2017	1,47,88,835	1,16,98,765	6,66,478 24,23,592	5 13	33,324 3,15,066	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में लाभ कम जोड़ा।	नि.प्रा. ने बताया कि बिक्री हस्तांतरण सामग्री से सम्बन्धित है। डीलर ने कहा कि 5 साल से काम चल रहा था और हर साल 10 प्रतिशत लाभ पर विचार किया जाता था और इस आधार पर कर लगाया गया। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि मैसर्स अमित मेडिको, इंदौर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगत कर को अस्वीकार किया गया था।

44.	107 2017–18	संभागीय उपायुक्त वा0 क0 टैक्स आडिट विंग–1, इंदौर में. सोजरिया आटो प्रा0 लि0 टिन 23441401422 प्र0क्र0– 204000053479 65 (वैट)	2014–15 नवंबर 2016	अगस्त 2017 सितंबर 2017	22,46,22,677	22,41,97,025	4,25,632	13	55,334 शास्ति 1,66,002 2,21,336	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में वारंटी क्लेम शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि मा0 सुप्रीम कार्ट के फैसले के अनुसार में. इकराम खान एंड संस बनाम सीटीटीपीयूपी 2004 के अनुसार वारंटी अवधि में डीलर ने निर्माता की ओर से खराब पार्ट्स बदलने का काम किया और निर्माता ने डीलर को क्रेडिट नोट जारी किया और इसलिए यह बिक्री का हिस्सा होगा। इस मामलें में बजाज कंपनी द्वारा डीलर को क्रेडिट नोट जारी नहीं किया गया था। और वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग लेन–देन के माध्यम के रूप में किया गया था। यानी कि माल के बदले माल प्राप्त किया गया था। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं था क्योंकि में. अमित मेडिको इंदौर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगत कर अस्वीकार कर दिया गया था।
45.	260 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–2 छिंदवाड़ा में. मैक्स इन्फ्रा लि0 टिन 23619019673 प्र0क्र0– 610517	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	1,79,47,312	1,55,57,498	23,89,814	5	1,19,491 शास्ति 3,58,473 4,77,964	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि को कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
46.	265 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–2 उज्जैन में. जगलक्ष्मी प्लास्ट पैक प्रा0 लि0 टिन 23109073947 प्र0क्र0– 699410 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	12,31,68,725	12,21,80,913	9,87,812	13	1,28,415 शास्ति 3,85,245 5,13,660	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

47.	271 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–1 जबलपुर में. हिमांशु टिम्बर टिन 23925810196 प्र0क्र0– 774498 (वैट)	2014–15 नवंबर 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	1,16,71,308	1,03,25,052	13,46,256	13	1,75,013	नि.प्रा. ने लकड़ी के विक्रय मूल्य का कम निर्धारण किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
48.	272 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–1 जबलपुर में. दीपेश इलेक्ट्रिकल्स टिन 23275808177 प्र0क्र0– 358 / 2015 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	1,58,54,623	1,45,54,052	13,00,571	5 एवं 13	89,975	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि निर्धारण करने में लाभ कम जोड़ा।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
49.	248 2017–18	सहा.आ.वा.क. संभाग–2 खंडवा में. ब्रिज डेयरी एंड बेवरेज टिन 23749066123 प्र0क्र0– 156 / 2015 (वैट)	2014–15 –	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	76,00,625	0	76,00,625	13	9,88,081 शास्ति 29,64,243 39,52,324	नि.प्रा. ने प्लांट एवं मशीनरी की बिक्री पर कर नहीं लगाया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
50.	39 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–2 ग्वालियर में. पटेल एंड सन्स टिन 23705206492 प्र0क्र0– 660268 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	11,55,958	0	11,55,958	4	46,238 शास्ति 1,38,714 1,84,952	नि.प्रा. ने उक्त राशि को 27 प्रतिशत कर योग्य टर्नओवर के स्थान पर 23 प्रतिशत में सम्मिलित किया।	नि.प्रा. ने कहा कि डीलर ने सुधारात्मक आवेदन प्रस्तुत किया था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सुधारात्मक आवेदन अभिलेखों में नहीं पाया गया था और न ही उत्तर के साथ लेखापरीक्षा करने के समय प्रदान किया गया था।

					24,88,711	16,48,645	8,40,066	27	2,26,817 शास्ति 6,80,451 9,07,268	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि 27 प्रतिशत कम निर्धारित किया।	
51.	80 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–1 इंदौर में. श्री पेसट्रानिक्स प्रा0 लि0 टिन 23130100677 प्र0क्र0– 703565 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	जून 2017 जुलाई 2017	1,47,03,174	1,14,12,644	32,90,530	1.5	49,358 शास्ति 1,48,074 1,97,432	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में वाहन की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
52.	301 2017–18	सहा.आ.वा.क. संभाग–2 भोपाल में. पावर मैच प्रोजेक्ट लि0 टिन 23494702450 प्र0क्र0– 385219 (वैट)	2013–14 जनवरी 2016	फरवरी 2017 अप्रैल 2017	6,12,86,551	1,51,98,280	1,85,88,814	13	24,16,545 शास्ति 72,49,635 96,66,180	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में इलेक्टोड एवं होर्डवेयर की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने कहा कि हार्डवेयर में सुरक्षा के जूते, रस्सी, बेल्ट आदि शामिल थे जो हस्तांतरणीय नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त वस्तुएँ शामिल हार्डवेयर वस्तुओं में शामिल नहीं थे।
							2,74,99,457 कुल 4,60,88,271	5	13,74,972 शास्ति 41,24,916 54,99,888		
53.	326 2017–18	सहा.आ.वा.क. संभाग–2 ग्वालियर में. सिंह ब्रदर्स टिन 23675703682 प्र0क्र0– 606362 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	9,93,40,759	9,84,90,759	8,50,000	13	1,10,500 शास्ति 3,31,500 4,42,000	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में मशीनरी की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

54.	342 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–14 इंदौर में. नकोड़ा मार्केटिंग टिन 23061403862 प्र0क्र0– 224 / 2015 (वैट)	2014–15 अक्टूबर 2016	नवंबर 2017 जनवरी 2018	18,58,42,148	16,96,10,082	1,62,32,066	13	21,10,168	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
55.	334 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त अनूपपुर में. अग्रवाल ट्रडिंग कंपनी टिन 23887205466 प्र0क्र0– 23 / 2015 (वैट)	2014–15 अगस्त 2016	नवंबर 2017 दिसंबर 2018	1,37,68,377	88,27,764	49,40,613	5	2,47,030	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में हरा बॉस की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
56.	335 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त अनूपपुर में. धर्मेन्द्र कुमार चौबे टिन 23067205238 प्र0क्र0– 802709 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2018	1,12,30,666	1,02,09,697	4,60,000 5,60,969	13 5	59,800 शास्ति 1,79,400 2,39,200 28,048 शास्ति 84,144 1,12,192	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में लाभ को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
57.	337 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त अनूपपुर में. वी0एस0 रेड्डी ठेकेदार टिन 23427202906 प्र0क्र0– 149 / 15 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	84,27,985	55,53,559	28,74,426	5	1,43,721	नि.प्रा. कर योग्य राशि में लाभ को शामिल नहीं किया और कर योग्य राशि भी कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

58.	352 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–14 इंदौर में. क्रिएटिव मार्केटिंग टिन 23741402033 प्र0क्र0– 05/15 (वैट)	2013–14 सितंबर 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	1,84,83,478	1,62,84,949	21,98,529	5	1,04,692	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
59.	290 2017–18	संभा0 उपायुक्त, वा0 क0 छिंदवाड़ा में. कुनाल मोटर्स टिन 23576602830 प्र0क्र0– 575174 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	जनवरी 2018 फरवरी 2018	52,89,17,684	52,72,15,147	17,02,537	13	2,21,329 शास्ति 6,63,987 8,85,316	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में पेंट खरीद पर प्रत्यक्ष व्यय को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने कहा कि विक्रेता द्वारा कलर का उपयोग जॉबवर्क द्वारा वाहन की डेंटिग एवं पेंटिग पर किया जाना दर्शाया गया था। जिस पर आगत कर का दावा नहीं किया गया था। इसलिए इसे कर योग्य राशि से बाहर रखा गया था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जबाब में पेंट की खरीद साबित हुई थी और माल के हस्तांतरण/डीम्ड बिक्री पर विचार करके, कर लगाना चाहिए था।
60.	305 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–2 गुना में. जी0बी0 इण्डस्ट्रीज टिन 23835005776 प्र0क्र0– 648883 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	1,71,41,834	1,05,67,042	65,74,792	13	8,54,723	नि.प्रा. ने धना दाल की कम बिक्री का निर्धारण किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
61.	313 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त गुना में. सोनाली टेली कम्युनिकेशन	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	51,63,984	42,23,026	9,40,958	5	47,048	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

		सर्विस टिन 23095006086 प्र0क्र0– 763838 (वैट)			1,32,36,413	0	1,32,36,413	5	6,61,820	नि.प्रा. ने जॉबवर्क एवं न्यूनतम विक्रय मूल्य कम करने के बाद अनुसूची 10 के अर्न्तगत सकल प्राप्ति को शामिल नहीं किया।	
62.	311 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त गुना मे. अवनी कंस्ट्रक्शन टिन 23685004355 प्र0क्र0– 620514 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	6,29,20,189	5,99,91,540	21,81,106	13	2,83,543	नि.प्रा. ने लाभ कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
							7,47,543	5	37,377		
63.	312 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त गुना मे. अवनी कंस्ट्रक्शन टिन 23685004355 प्र0क्र0– 620514 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	7,82,42,637	5,99,91,540	1,82,51,097	5	8,69,100	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में उप ठेका कार्य को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
64.	369 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त धार मे. चम्पा लाल जगन्नाथ माहेश्वरी टिन 23101604921 प्र0क्र0– 216700 (वैट)	2012–13 अगस्त 2014	जनवरी 2018 फरवरी 2018	1,46,81,397	1,34,06,016	12,75,381	5	63,770 शास्ति 1,91,310 2,55,080	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में कपास के बीज की बिक्री को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

65.	181 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–3 ग्वालियर में. डी0 बी0 इन्टरनेशनल टिन 23739017527 प्र0क्र0– 731399 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	15,95,916	6,63,795	9,32,121	5	46,606 शास्ति 1,39,818 1,86,424	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में से बिना एच फार्म प्रस्तुत किये उक्त राशि की छूट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
66.	389 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–11 इंदौर में. वेल्डर्स इंजिनियर्स प्रा0 लि0 टिन 23829064757 प्र0क्र0– 784834 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	92,66,053	46,66,421	45,99,632	5	2,29,981	नि.प्रा. ने वैट आडिट रिपोर्ट और लाभ/ हानि खाते में दिखाए गए से कम कर योग्य राशि निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
67.	390 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–11 इंदौर में. हैमिल्टन राईटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रा0 लि0 टिन 23561104633 प्र0क्र0– 646107 (वैट)	2014–15 सितंबर 2016	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	54,21,805	8,21,805	46,00,000	5	2,30,000	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में से बिना एफ फार्म प्रस्तुत किये उक्त राशि की छूट दी गयी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
68.	391 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–11 इंदौर में. ईजी कूल सोल्यूशन प्रा0 लि0 टिन 23419059754 प्र0क्र0– 652658 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	52,05,511	7,49,677	44,55,834	13	5,79,258	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि में प्लांट एवं मशीनरी की विक्रय राशि को शामिल नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

69.	394 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–15 इंदौर में. लिबर्टी एजेन्सी टिन 23661501017 प्र0क्र0– 660906 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	4,26,74,125	3,12,61,367	1,14,12,758	13	14,83,658	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि, सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
70.	397 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–15 इंदौर में. कटकुट फिलिंग स्टेशन टिन 23029095780 प्र0क्र0– 692600 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	31,27,260	27,23,742	4,03,518	31	1,25,090 शास्ति 3,75,270 5,00,360	नि.प्रा. ने पेट्रोल का विक्रय मूल्य कम निर्धारित किया	नि.प्रा. ने बताया कि, सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
71.	398 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–15 इंदौर में. सतगुरू हार्डवेयर एंड पेंट टिन 23081503761 प्र0क्र0– 69 डीम्ड निर्धारण (वैट)	2014–15 –	मई 2017 जून 2017	1,63,38,474	1,54,43,953	8,94,521	13	1,16,288 शास्ति 3,48,864 4,65,152	नि.प्रा. ने 13 प्रतिशत से कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि, सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
72.	403 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–2 इंदौर में. ज्योति आटो इलेक्ट्रिकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स टिन 23850201452 प्र0क्र0– 796895 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	5,07,99,156	4,43,72,675	64,26,481	5	3,06,023 शास्ति 9,18,069 12,24,092	नि.प्रा. ने कर योग्य राशि कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

73.	413 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त–1 छिंदवाड़ा में. ए0 बी0 इन्टरप्राईजेज टिन 23873108499 प्र0क्र0– 427/15 (वैट)	2014–15 सितंबर 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	12,00,627	6,31,344	5,69,283	13	74,006 शास्ति 2,22,018 2,96,026	नि.प्रा. ने 13 प्रतिशत से कर योग्य राशि कम निर्धारित की।	नि.प्रा. ने बताया कि, सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
74.	58 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त शाजापुर में. न्यू मालवा डिस्ट्रीब्यूटर्स टिन 23462502652 प्र0क्र0– 211/14 (वैट)	2013–14 मई 2015	मई 2017 जून 2017	99,89,862	99,01,433	88,429	–	88,429	नि.प्रा. ने वैट कम एकत्रित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि, सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
75.	56 2017–18	वा0क0अ0 वृत्त शाजापुर में. अभिषेक एजेन्सी टिन 23622505571 प्र0क्र0–	2012–13 –	मई 2017 जून 2017	15,02,254	13,48,508	1,53,746	–	1,53,746	नि.प्रा. ने वैट कम एकत्रित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
76.	292 2017–18	संभा0 उपायुक्त टैक्स आडिट विंग, भोपाल में. बुरहानी इण्टरप्राईजेज टिन 23253801355 प्र0क्र0– 771648 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	जनवरी 2018 फरवरी 2018	4,58,70,021 41,38,128	4,44,67,117 40,11,147	14,02,904 1,26,981	13 एवं 5	1,82,377 6,349	नि.प्रा. ने कम वैट एकत्रित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।
योग							**37,83,43,968**	**कर** **शास्ति** **कुल**	**2,91,05,873** **3,24,47,229** **6,15,53,102**		

परिशिष्ट IV

(कण्डिका 3.7 में संदर्भित)

अस्वीकार योग्य आगत कर की छूट को लागू करना

(राशि ₹ में)

क्र. स.	पीडीपी क्र./वर्ष	लेखापरीक्षित इकाई/डीलर का नाम	वस्तु	अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने का माह	लेखापुस्तिकाओं अथवा नियम के अनुसार आगत कर छूट/नि.अ. द्वारा निर्धारित आगत कर छूट	अधिक स्वीकृत आगत कर छूट	लेखापरीक्षा आपत्ति	नि. प्रा. का उत्तर
1	29 2017–18	वा.क.अ.वृत्त, होशंगाबाद/मे. मैकलसूता किसान सेवा केन्द्र टिन– 23689035671 प्रकरण क्र. 645/2015 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	96,23,286 99,82,932	3,59,646	नि.प्रा. ने सकल क्रय पर आगत कर रिबेट स्वीकृत किया जबकि डीजल और पेट्रोल में कमी दिखाई गई थी।	नि.प्रा. ने कहा कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
2	32 2017–18	सहा.आ.वा.क.वृत्त, क्र–3 भोपाल/मे. न्यू स्टार ट्रेडर्स टिन– 23903806672 प्रकरण क्र. 632634 (वैट)	तेंदूपत्ता	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	5,70,202 27,41,701	21,71,499 शास्ति 65,14,497 86,85,996	नि.प्रा. ने तेंदू के सकल विक्रय में अंतर्राज्यीय विक्रय को अनुमत्य किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
3	41 2017–18	सहा.आ.वा.क.वृत्त, क्र–2 ग्वालियर/मे. कोडक अलारिस इंडिया लिमि. टिन– 23839106466 प्रकरण क्र.652006 (वैट)	फोटोग्राफी सामग्री (निर्माण)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	31,00,744 44,49,324	13,48,580 शास्ति 4,04,57,40 53,94,320	नि.प्रा. ने अंतर्राज्यीय क्रय पर आगत कर अनुमत्य किया को मान्य किया।	नि.प्रा. ने कहा कि आईटीआर मॉड्यूल के रिपोर्ट सं. 75 के द्वारा सत्यापित किया गया था। नि.प्रा. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खरीद बिल के समर्थन में ऑडिट को दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

4	43 2017–18	वा.क.अ.वृत्त, मंडला/ में. जाकिर हुसैन टिन–23546302583 प्रकरण क्र. 651729 (वैट)	fxVटी/रेत के ठेकेदार	2014–15 अप्रैल 2017	जून–2017 जुलाई 2017	5,72,048 7,13,828	1,41,780 शास्ति 4,25,340 5,67,120	नि.प्रा. ने क्रय पर अधिक आगत कर अनुमत्य किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
5	72 2017–18	वा.क.अ.वृत्त राजगढ/ में. विनायक एग्रो एजेन्सी, टिन–23382403950 प्रकरण क्र. 19/आर/15 (वैट)	मेडीसिन	2011–2012 दिसंबर 2015	मई 2017 जुलाई 2017	10,47,012 10,99,363	52,351 शास्ति 1,57,053 2,09,404	नि.प्रा. ने त्रुटिपूर्ण अधिक आगत कर रिबेट स्वीकृत किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
6	76 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–1 इंदौर/ में.सतगुरू फ्यूल्य टिन –23939112276 प्रकरण क्र.757725 (वैट)	पेट्रोल, डीजल	2014–15 दिसंबर 2016	जून–2017 जुलाई 2017	1,70,97,948 1,71,54,431	56,483 शास्ति 1,69,449 2,25,932	नि.प्रा. ने मूल्य कम करने पर आगत कर रिबेट रिवर्सल नहीं किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
7	79 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–1 इंदौर/ में. वी.एच.पटेल टिन–23260100363 प्रकरण क्र.699149 (वैट)	टिंबर	2014–15 नवंबर 2016	जून–2017 जुलाई 2017	11,30,286 14,54,088	3,23,802	नि.प्रा. ने लकड़ी के अधिक क्रय मूल्य पर आगत कर रिबेट अनुमत्य किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
8	89 2017–18	वा.क.अ.वृत्त, सिहोर/ में. रवि ट्रेडिंग कंपनी टिन–23584503599 प्रकरण क्र. 309785 (वैट)	कॉटन आयल	2012–13 अप्रैल 2015	जुलाई 2017 अगस्त 2017	85,581 2,55,741	1,70,160	नि.प्रा. ने टैक्स फ्री कच्चे माल पर अधिक दर पर आगत कर रिबेट अनुमत्य किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

9	90 2017–18	वा.क.अ. वृत्त,सिहोर / में रवि ट्रेडिंग कंपनी टिन–23584503599 प्रकरण क्र.309785 (वैट)	कॉटन आयल	2012–13 अप्रैल 2015	जुलाई 2017 अगस्त 2017	2,22,242 2,55,741	33,499	नि.प्रा. ने स्टॉक ट्रांसफर हेतु आगत कर रिबेट अनुमत्य किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
10	91 2017–18	वा.क.अ. वृत्त,सिहोर / में. रवि ट्रेडिंग कंपनी टिन–23584503599 प्रकरण क्र.573183 (वैट)	कॉटन आयल	2013–14 जनवरी 2016	जुलाई 2017 अगस्त 2017	80,255 2,43,376	1,63,121	नि.प्रा. ने टैक्स फ्री कच्चे माल पर अधिक दर पर आगत कर रिबेट अनुमत्य किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
11	94 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–13 इंदौर / में शुभ लाभ इंडस्ट्रीज टिन–23549080499 प्रकरण क्र.688110 (वैट)	सोयाबीन तेल	2014–15 दिसंबर 2016	मई 2017 जून–2017	45,56,433 48,48,694	2,92,261	कच्चे सोयाबीन तेल पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा कि डीलर ने रिफाइंड सोयाबीन के स्टॉक को भौमिका एंटरप्राइजेज को ट्रांसफर कर दिया था और मदर प्रोविता प्राइवैट लिमिटेड से आयातित सोयाबीन का स्टॉक किया गया था। इसलिए आयातित सामानों को स्टॉक ट्रांसफर कर दिया गया था और एंट्री टैक्स के लिए ऐसे आयातित सामान को टैक्स फ्री कर दिया गया था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह स्थापित नहीं था कि फार्म 'एफ' पर संशोधित परिष्कृत तेल का स्टॉक हस्तांतरण किया गया।
12	98 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–13 इंदौर / में. अंकित पेट्रो पाइन्ट	डीजल, पेट्रोल	2014–15 नवंबर 2016	मई 2017 जून–2017	1,68,11,620 1,68,39,490	27,870	नि.प्रा. ने सकल क्रय मूल्य पर आगत कर रिबेट स्वीकृत किया जबकि डीजल और	नि.प्रा. ने कहा कि जिसे आईटीआर से छूट दी गई। उसका धारा 14 (8) के तहत कमी का उल्लेख नहीं किया गया है।

		टिन–23929003831 प्रकरण क्र. 698751						पट्रोल में कमी दर्शाई गई थी।	नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आगत कर रिबेट की पात्रता केवल तब थी जब पेट्रोल/डीजल को धारा 14 (1एसी) के तहत बेचा गया हो और पेट्रोल/डीजल के वाष्पीकरण पर भी रिवर्सल होना हो।
13	105 2017–18	संभा.उपा.वा.क. स–3 इंदौर/ मे.कृति न्यूट्रीयंट्स लिमि. संभा.उपा.वा.क.सं. टिन–23450904049 प्रकरण क्र.569900 (वैट)	सोयाबीन तेल व डीओसी	2014–15 अगस्त 2016	अगस्त 2017 सितंबर 2017	7,47,14,021 7,61,66,678	14,52,657	नि.प्रा. द्वारा टैक्स फ्री डीओसी के विक्रय पर अनुपातिक रूप से आगत कर का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा कि धारा 14 (1–बी) के अनुसार, पंजीकृत डीलर से खरीदी गई वैट भुगतान सामग्री, जिसका उपयोग अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है, आईटीआर के लिए पात्र हैं और सोया डीओसी अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 01 अप्रैल 2011 के तहत अधिसूचित है। इस प्रकार, आईटीआर तदनुसार बनाया गया था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धारा 14 (1–बी) के तहत आगत कर रिबेट के लिए सोया डीओसी को दिनांक 01 अप्रैल 2011 द्वारा अधिसूचित किया गया था, लेकिन इस अधिसूचना में पूर्ण दर के लिए आगत कर रिबेट की पात्रता को अधिसूचित नहीं किया गया था। धारा 14 (1) (ए) (2) के तहत स्पष्टीकरण के कारण लेखापरीक्षा आपत्ति उठाई गई थी।
14	111 2017–18	संभा.उपा.वा.क.सं. –सतना/ में. प्रिज्म सीमेंट यूनिट 2 टिन–23317004844 प्रकरण क्र. 5/2015 (वैट)	कोयला एवं कोक पैकिंग, लूब्रीकेंट, गैस	2014–15 अप्रैल 2017	अगस्त 2017 सितंबर 2017	5,33,95,111 5,44,81,156	10,86,045	नि.प्रा. द्वारा पूंजीगत माल के क्रय पर स्टाक ट्रांसफर के अनुपातिक रूप से आगत कर का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

15	118 2017–18	सहा.आ.वा.क.वृत्त, क्र.1 उज्जैन / में.इंजीनीयरिंग इंडस्ट्रीज टिन–23912608474 प्रकरण क्र. 724806 (वैट)	कृषि उपकरण	2014–15 जनवरी 2017	जुलाई 2017 सितंबर 2017	1,77,255 3,22,406	1,45,151	कर मुक्त वस्तुओं के विक्रय पर आगत कर रिबेट का रिर्वसल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
16	127 2017–18	वा.क.अ.वृत्त अशोकनगर / में.राजाराम पन्नालाल टिन–23095000654 प्रकरण क्र. 345 / 13 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2012–13 अप्रैल 2015	जून–2017 जुलाई 2017	1,25,06,918 1,26,00,351	93,433	पेट्रोल एवं डीजल के कम किए गए मूल्य पर आगत कर रिबेट का रिर्वसल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा कि धारा 14 आईटीआर के तहत सभी वैट भुगतान क्रय पर स्वीकार किया गया था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पेट्रोल / डीजल के लिए आगत कर रिबेट की पात्रता धारा 14 (1) (एसी) के तहत थी जो म.प्र. में बेचे गए पेट्रोल / डीजल के खरीद मूल्य पर आगत कर रिबेट की पात्रता के लिए प्रदान की गई थी।
17	129 2017–18	संभा.उपा.वा.क. सं–2 भोपाल / में. सत्यसांई एग्रो आइल्स प्रा.लि. टिन–23874406585 प्रकरण क्र. 129 / 2015 (वैट)	सोया डीओसी	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	84,28,504 1,08,47,651	24,19,147	नि.प्रा. द्वारा सोया डीओसी के विक्रय पर अनुपातिक रूप से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा कि धारा 14 (1–बी) के अनुसार, पंजीकृत डीलर से खरीदी गई वैट भुगतान सामग्री, जिसका उपयोग अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है, आईटीआर के लिए पात्र हैं और सोया डीओसी अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 01 अप्रैल 2011 के तहत अधिसूचित है। इस प्रकार, आईटीआर तदनुसार बनाया गया था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धारा 14 (1–बी) के तहत आगत कर रिबेट के लिए सोया डीओसी को दिनांक 01 अप्रैल 2011 द्वारा अधिसूचित

									किया गया था, जो यह प्रदान करता है कि उपधारा 14 (1 ए) आवश्यक संशोधन के साथ लागू की जाएगी।
18	130 2017–18	संभा.उपा.वा.क. स–2 भोपाल / में.सावरिया एग्रो आईल्स लिमि. टिन–23354104619 प्रकरण क्र. 129 / 2015 (वैट)	सोया डीओसी	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	15,44,992 36,29,514	20,84,522	नि.प्रा. द्वारा सोया, डीओसी, हस्क और सोया फ्लोर के निर्माण में प्रयुक्त सोया डीओसी के विक्रय के अनुपात में आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा कि धारा 14 (1–बी) के अनुसार, पंजीकृत डीलर से खरीदी गई वैट भुगतान सामग्री, जिसका उपयोग अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है, आईटीआर के लिए पात्र हैं और सोया डीओसी अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 01 अप्रैल 2011 के तहत अधिसूचित है। इस प्रकार, आईटीआर तदनुसार बनाया गया था। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धारा 14 (1–बी) के तहत आगत कर रिबेट के लिए सोया डीओसी को दिनांक 01 अप्रैल 2011 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जो यह प्रदान करता है कि उपधारा 14 (1 ए) आवश्यक संशोधन के साथ लागू की जाएगी।
19	131 2017–18	संभा.उपा.वा.क. सं–2 भोपाल / में. वेर्स्टन कोल फील्ड लिमि. टिन–23484700273 प्रकरण क्र. 63 / 2015 (वैट)	बिल्डिंग मटेरियल	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	11,77,427 13,38,671	1,61,244	नि.प्रा. ने निर्माण सामग्री के क्रय पर आगत कर रिबेट स्वीकृत किया जबकि आई.टी.आर. के लिए पात्र नहीं है।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

20	133 2017–18	संभा.उपा.वा.क.सं.–2 भोपाल / में. श्रीनाथ साल्वेक्स लिमि. टिन– 23924602740 प्रकरण क्र. 126 / 2015 (वैट)	सोया डीओसी	2014–15 जनवरी 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	2,09,576 2,65,629	56,053	नि.प्रा. द्वारा सोया, डीओसी, के निर्माण में प्रयुक्त सोया डीओसी के विक्रय के अनुपात में आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा कि निर्मित उत्पादों के बजाय कर मुक्त सोया भूसी और सोया आटा खरीदा गया। इसलिए आईटीआर रिवर्सल नहीं किया गया था। वैट अधिनियम की धारा 14 (1 बी) के अनुसार अधिसूचित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किए गए इनपुट पर आईटीआर दिया जाएगा। इस उप–खंड अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 01 अप्रैल 2011 के तहत, सोया डीओसी अधिसूचित माल है। नि.प्रा.के उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि अधिसूचना एसएल द्वारा की गई थी। संख्या 20 दिनांक 01 अप्रैल 2011 जो यह प्रावधान करता है कि उपधारा 14 (1 ए) आवश्यक संशोधन के साथ लागू की जाएगी।
21	134 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–बालाघाट / में. ज्ञानचंद गोलचा टिन– 23159085194 प्रकरण क्र. 765409 (वैट)	कान्ट्रेक्टर	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	1,71,083 2,82,269	1,11,186	नि.प्रा. द्वारा सीमेंट के क्रय पर अधिक आगत कर रिबेट स्वीकृत किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
22	141 2017–18	वा.क.अ.वृत्त बालाघाट / में. भाग सर्विस स्टेशन टिन– 23826506711 प्रकरण क्र. 764747 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 दिसंबर 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	1,58,96,795 1,59,81,979	85,184	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के कम किए गए मूल्य पर आगत कर रिबेट का रिर्वसल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा कि कमी 0.1 प्रतिशत से कम थी जो स्वाभाविक है। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि आईटीआर अधिनियम की धारा 14 (1एसी) के अनुसार कमी मूल्य पर आगत कर रिबेट स्वीकार्य नहीं है।

23	145 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–2 भोपाल / में. लक्ष्मी स्टील फेब्स टिन– 23823701665 प्रकरण क्र. 114 / 2015 (वैट)	कृषि उपकरण	2014–15 जुलाई 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 1,49,798 6,43,493	4,93,695	नि.प्रा. द्वारा कृषि उपकरणों की बिक्री पर आनुपातिक तरीके से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
24	153 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–5 भोपाल / में. राधे राधे पेट्रोलियम टिन– 23884008540 प्रकरण क्र.604616 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 जनवरी 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 51,519	51,519	नि.प्रा. द्वारा डीजल और पट्रोल की बिक्री पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
25	157 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–1 सतना / में. शिव फिलिंग स्टेशन टिन– 23607004830 प्रकरण क्र. 297 / 2014–15 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 –	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 77,040	77,040 शास्ति 2,31,120 3,08,160	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
26	158 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–1 सतना / में. जैतवारा फिलिंग स्टेशन टिन– 23977002347 प्रकरण क्र. 644 / 2015 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 जुलाई 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 51,130	51,130 शास्ति 1,53,390 2,04,520	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के नुकसान को बिक्री में शामिल किया गया था और नुकसान पर आईटीआर के दावे पर लेखापरीक्षा आपत्ति संभव नहीं थी। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नि.प्रा. द्वारा दर्शाई गई गणना और लेखा परीक्षित खाता और खाते के बीच स्पष्ट रूप से नुकसान अंतर दर्शाया गया था।

27	165 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–4 भोपाल/ में. एस.पी.एस. पेट्रोलियम टिन–23549107562 प्रकरण क्र. 363/15 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 जुलाई 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	2,32,28,289 2,33,33,434	1,05,145 शास्ति 3,15,435 4,20,580	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
28	168 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–4 भोपाल/ में. पेसिफिक आयल टिन–23724106113 प्रकरण क्र. 599/15 (वैट)	आयल	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	6,97,376 9,51,335	2,53,959	नि.प्रा. ने नंदन पेट्रोलियम लिमिटेड की राशि पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी, जबकि बिक्री नहीं दिखाई गई।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
29	188 2017–18	वा.क.अ. वृत्त–देवास में. इंडिया सेल्स/ टिन–23352305948 प्रकरण क्र. 606442 (वैट)	स्क्रेप स्टील	2014–15 नवंबर 2016	अगस्त 2017 सितंबर 2017	3,92,520 4,65,799	73,279	नि.प्रा. ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अधिक दिखाए गए क्रय की तुलना में स्क्रैप/स्टील की अधिक खरीद राशि पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
30	193 2017–18	वा.क.अ. वृत्त–बुरहानपुर/ में. देशमुख आयल केक इंडस्ट्रीज टिन–23551907071 प्रकरण क्र. 650955 (वैट)	खली	2014–15 मई 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 89,749 23,69,567	22,79,818	नि.प्रा. द्वारा कर मुक्त *खली* की बिक्री पर आनुपातिक तरीके से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

31	194 2017.18	वा.क.अ. वृत्त–बुरहानपुर/ में. देशमुख आयल केक इंडस्ट्रीज टिन–23551907071 प्रकरण क्र. 545054 (वैट)	खली	2013–14 जनवरी 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 8,34,410	8,34,410	नि.प्रा. द्वारा कर मुक्त *खली* की बिक्री पर आनुपातिक तरीके से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
32	195 2017–18	वा.क.अ. वृत्त–बुरहानपुर/ में. राहुल आयल केक इंडस्ट्रीज टिन–23781907478 प्रकरण क्र.322313 (वैट)	डीओसी	2012–13 अप्रैल 2015	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 6,91,390	6,91,390	नि.प्रा. द्वारा कर मुक्त डी.ओ.सी. की बिक्री पर आनुपातिक तरीके से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
33	196 2017–18	वा.क.अ. वृत्त–बुरहानपुर/ में. कामेश्वर आयल मिल टिन–23291907602 प्रकरण क्र. 767907 (वैट)	खली	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 1,23,470	1,23,470	नि.प्रा. द्वारा कर मुक्त *खली* की बिक्री पर आनुपातिक तरीके से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
34	207 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त,नीमच में. एच.एम. हिबतुल्ला भाई खान टिन–23503000337 प्रकरण क्र. 187/2015 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 .	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	3,29,22,279 3,29,83,645	61,366 शास्ति 1,85,298 2,47,064	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
35	221 2017–18	वा.क.अ.वृत्त,.1 भोपाल/ में. पटेल इलेक्ट्रीकल्स	इलेक्ट्रीकल्स सामान, केबल कार्य	2014–15 जनवरी 2017	अक्टूबर 2017 दिसंबर 2017	11,29,093 12,41,701	1,12,608	नि.प्रा. ने खाते में दर्शायी खरीद पर भुगतान किए गए वैट से अधिक पर आगत	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

		टिन– 23643606025 प्रकरण क्र. 394/15 (वैट)						कर रिबेट की अनुमति दी।	
36	217 2017–18	वा.क.अ.वृत्त,.1 भोपाल/में. मनु एंटरप्राइजेज टिन– 23623603999 प्रकरण क्र. 236/15 (वैट)	सिविल ठेकेदार कार्य	2014–15 दिसंबर 2016	अक्टूबर 2017 दिसंबर 2017	10,92,597 11,16,979	24,382 शास्ति 73,146 97,528	नि.प्रा. ने खरीद पर भुगतान किए गए वैट से अधिक की आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
37	231 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–4 इंदौर/ में. मुगड एल्युमिनियम प्रा. लि. टिन– 23550402310 प्रकरण क्र.464126 (वैट)	बर्तन निर्माण कार्य, बिल्डिंग मटेरियल	2013–14 जनवरी 2016	मई 2017 जून–2017	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 2,26,883	2,26,883 शास्ति 6,80,649 9,07,532	नि.प्रा. द्वारा कर मुक्त माल की बिक्री पर आनुपातिक तरीके से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
38	230 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–4 इंदौर/ में. मुगड एल्युमिनियम प्रा. लि. टिन– 23550402310 प्रकरण क्र.464126 (वैट)	बिल्डिंग मटेरियल	2013–14 जनवरी 2016	मई 2017 जून–2017	13,14,889 16,08,952	2,94,063 शास्ति 8,82,189 11,76,252	नि.प्रा. ने भवन निर्माण सामग्री की खरीद पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी, जबकि आगत कर रिबेट की अधिसूचना संख्या 28 दि 17 मई 2017 के अनुसार इन सामानों पर पात्रता नहीं है।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
39	233 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–4 इंदौर/ में. पोरवाल रिटेल प्रा.लि. टिन– 23749060109 प्रकरण क्र. 212693 (वैट)	रेडीमेड गार्मेंट्स	2012–13 अप्रैल 2015	मई 2017 जून–2017	2,01,74,156 2,03,44,270	1,70,114 शास्ति 5,10,342 6,80,456	विक्रय का टिन नं. वैध नहीं है।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

40	275 2017–18	संभा.उपा.टे.आ. विंग क.1 इंदौर/ में. सांई बिल्डकॉन टिन– 23259069179 प्रकरण क्र..	रियल स्टेट ठेकेदार, बिल्डिंग निमार्ण ठेकेदार	2014–15 जनवरी 2017	अगस्त 2017 सितंबर 2017	3,49,703 8,29,123	4,79,420	नि.प्रा. ने वैट रिपोर्ट 75–76 में दिखाए गए क्रय पर कर से अधिक आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा कि उच्च न्यायालयों के निर्णय के अनुसार यदि डीलर आईटीआर भुगतान पर सामान खरीदता है लेकिन यदि डीलर दस्तावेज में यह विवरण देने में विफल रहता है और वैट का भुगतान नहीं करता है या विक्रेता न तो दस्तावेज को प्रस्तुत करता है और न ही वैट का भुगतान करता है – तो उस स्थिति में क्रेता डीलर को उत्तरदायी नहीं ठहरा कर शास्ति नहीं लगाई जा सकती और वह आगत कर रिबेट का दावा भी कर सकता है। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आगत कर रिबेट की छूट के संबंध में निर्णय में उप–आयुक्त (एल.टी.पी.यू.) इंदौर द्वारा मैसर्स अमृत मेडिकोस, इंदौर के मामले में वर्ष 2013 और 2014 अस्वीकृत कर दी गई थी।
41	276 2017–18	संभा.उपा.टे.आ. विंग क.1 इंदौर/ में. सोजरिया ऑटो, प्रा.लि. टिन– 23441401422 प्रकरण क्र. 20400005347965 (वैट)	ऑटोमोबाईल पार्ट्स क्रय एवं विक्रय	2014–15 नवंबर 2016	अगस्त 2017 सितंबर 2017	9,25,673 11,13,885	1,88,212	नि.प्रा. ने वैट रिपोर्ट 75–76 में दिखाए गए क्रय पर कर से अधिक आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा कि उच्च न्यायालयों के निर्णय के अनुसार यदि डीलर आईटीआर भुगतान पर सामान खरीदता है लेकिन यदि डीलर दस्तावेज में यह विवरण देने में विफल रहता है और वैट का भुगतान नहीं करता है या विक्रेता न तो दस्तावेज को प्रस्तुत करता है और न ही वैट का भुगतान करता है– तो उस स्थिति में क्रेता डीलर को उत्तरदायी नहीं ठहरा कर शास्ति नहीं लगाई जा सकती और वह आगत कर रिबेट का दावा भी

									कर सकता है। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आगत कर रिबेट की छूट के संबंध में निर्ण में उप–आयुक्त (एल.टी.पी.यू.) इंदौर द्वारा मैसर्स अमृत मेडिकोस, इंदौर के मामले में वर्ष 2013 और 14 अस्वीकृत कर दी गई थी।
42	259 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–2 छिंदवाडा/ में. सरकार डिस्ट्रीब्यूटर टिन–23306803526 प्रकरण क्र. 201	.	2014–15 .	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	28,02,269 30,81,738	2,79,469 शास्ति 8,38,407 11,17,876	नि.प्रा. ने खाते में दर्शाए क्रय से अधिक पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
43	262 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–2 छिंदवाडा/ में. सांईकृपा आयल इंडस्ट्रीज टिन–23756803909 प्रकरण क्र. 241	कॉटन केक	2014–15 .	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 4,59,339	4,59,339	नि.प्रा. द्वारा कर मुक्त कपास केक की बिक्री पर आनुपातिक तरीके से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
44	264 2017–18	वा.क.अ.वृत्त–2 छिंदवाडा/ में. रितु पट्रोलियम टिन–23086801319 प्रकरण क्र. 645197 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 85,560	85,560 शास्ति 2,56,680 3,42,240	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
45	269 2017–18	सहा.आ.वा.क. वृत्त–1 जबलपुर/ में. ए.के. स्टील टिन–23525805275 प्रकरण क्र. 801400 (वैट)	जॉब कार्य में प्रयुक्त माल	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 1,38,714	1,38,714 शास्ति 4,16,142 5,54,856	नि.प्रा. द्वारा जाब वर्क में प्रयुक्त कर मुक्त माल की बिक्री पर आनुपातिक तरीके से आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

46	298 2017–18	सहा.आ.वा.क. संभाग–2 भोपाल/ में. केलसा पोल्ट्री सहकारी सोसायटी मर्यादित टिन– 23914201796 प्रकरण क्र. 500492 (वैट)	पोल्ट्री फार्मिंग	2013–14 जनवरी 2016	फरवरी 2018 अप्रैल 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 3,08,865	3,08,865 शास्ति 9,20,595 12,27,460	नि.प्रा. द्वारा कर मुक्त निर्माण के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
47	296 2017–18	सहा.आ.वा.क. संभाग–2 भोपाल/ में. जालोरी पेट्रोलियम टिन– 23279003120 प्रकरण क्र. 719545 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 जनवरी 2017	फरवरी 2018 मार्च 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 20,769 1,45,364	1,24,595	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर 31 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से आगत कर रिबेट का रिर्वसल किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा कि खरीद सूची के सत्यापन के बाद छूट दी गई थी बिक्री के अलावा अन्य कमी पर 4 प्रतिशत की दर से रिवर्सल का प्रावधान है। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धारा 14 (एसी) के तहत पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर आगत कर रिबेट की अनुमति थी और आगत कर रिबेट तभी स्वीकार्य था जब पेट्रोल/डीजल मध्यप्रदेश में बेचा जाए।
48	295 2017–18	सहा.आ.वा.क. संभाग–2 भोपाल/ में. भाग्यश्री ऑटो सेंटर टिन– 23464602217 प्रकरण क्र. 72715 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 जनवरी 2017	फरवरी 2018 मार्च 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 7,320 2,27,005	2,19,685	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर 31 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से आगत कर रिबेट का रिर्वसल किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा कि खरीद सूची के सत्यापन के बाद छूट दी गई थी बिक्री के अलावा अन्य कमी पर 4 प्रतिशत की दर से रिवर्सल का प्रावधान है। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धारा 14 (एसी) के तहत पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर आगत कर रिबेट की अनुमति थी और आगत कर रिबेट तभी स्वीकार्य था जब पेट्रोल/डीजल मध्यप्रदेश में बेचा जाए।

49	293 2017–18	सहा. आयुक्त व. क. संभाग–02 भोपाल में. केशर पेट्रोलियम टिन – 23964405711 प्रकरण क्रमांक 719641 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 जनवरी 2017	फर. 2018 मार्च 2018	3,63,00,332 3,71,20,800	8,20,468	नि.प्रा. ने डीलर कमीशन पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी जो पहले ही दी जा चुकी है।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
50	336 2017–18	व.क.अ. अनूपपुर में. निगम ऐजेन्सी टिन– 23597204316 प्रकरण क्रमांक 667543 (वैट)	सीमेंट और स्टील	2014–15 जनवरी 2017	नवं. 2017 दिसंबर 2017	18,63,685 21,13,255	2,49,570	नि.प्रा. ने वैट फार्म 75 में दिखाए गए क्रय पर कर से अधिक आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
51	331 2017–18	व.क.अ. अनूपपुर में. सुशीला माईन्स टिन– 23437206926 प्रकरण क्रमांक 639537 (वैट)	चार पहिया वाहन	2014–15 जनवरी 2017	नवं. 2017 दिसंबर 2017	4,52,682 6,20,966	1,68,284 शास्ति 5,04,852 6,73,136	नि.प्रा. ने जे.एम. इनोवा के क्रय पर आगत कर रिबेट अनुमति दी, जबकि अधिसूचना ए–3–195–05–1–5 (28) दिनांक 17 अगस्त 2007 के तहत छूट उक्त वस्तु की खरीद पर अनुमति नहीं है।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
52	329 2017–18	सहा0आयुक्त व. क. संभाग–02 ग्वालियर में. प्रताप चन्द प्रकाश चन्द जैन टिन– 23365000069 प्रकरण क्रमांक 139/145 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 –	नवंबर 2017 जनवरी 2018	4,31,88,037 4,33,10,313	1,22,276	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल में दिखाई गई कमी पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
53	256 2017–18	सहा0 आयुक्त व. क. संभाग–02 इंदौर	कम्प्यूटर्स	2014–15 दिसंबर 2016	दिसंबर 2017 फरवरी 2018	4,42,094 4,62,668	20,574 शास्ति 61,722 82,296	नि.प्रा. द्वारा लैपटाप पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 13 प्रतिशत की दर से	नि.प्रा. द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

		मे. बी.एस.एन. इन्टरनेशनल टिन– 23331100152 प्रकरण क्रमांक 01/2015 (वैट)						आगत कर रिबेट स्वीकृत किया गया।	
54	332 2017–18	व.क.अ. अनूपपुर मे. सुशीला माईनिग लि0 टिन – 23437206926 प्रकरण क्रमांक 639537 (वैट)	बिल्डिंग मटेरियल	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	6,00,137 6,20,966	20,829 शास्ति 62,487 83,316	अधिनियम की धारा 14 (6)(ii) के अनुसार बिल्डिंग मटेरियल पर आगत कर रिबेट मान्य नहीं है।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
55	343 2017–18	व.क.अ. वृत–14 इंदौर मे. नकोडा मार्केटिग टिन– 23061403862 प्रकरण क्रमांक 224/2015 (वैट)	इलेक्ट्रिक सामान	2014–15 अक्टूबर 2016	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	2,08,73,347 2,09,39,666	66,319	नि.प्रा. ने प्रारूप 41–ए में दर्ज क्रय से अधिक क्रय पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा कि प्रकरण के साथ संशोधित आडिट रिपोर्ट के आधार पर ही करारोपण किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रकरण के साथ संलग्न आडिट रिपोर्ट प्रपत्र 41 के आधार पर ही आपत्ति ली गई है।
56	344 2017–18	व.क.अ. वृत–14 इंदौर मे. तिरूपति बालाजी वायोटेक टिन– 23261404625 प्रकरण क्रमांक 638384 (वैट)	कपास	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	19,93,01 10,82,865	8,83,564	एए ने कपास की खरीद पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी, जबकि यह धारा 26–ए के तहत छूट के लिए योग्य नहीं है।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
57	345 2017–18	व.क.अ. वृत–14 इंदौर मे. बोस एग्रो केमिकल्स प्रा0लि0 टिन– 23021402332 प्रकरण क्रमांक 584487 (वैट)	कीटनाशक निर्माण	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 83,205 3,60,412	2,77,207 शास्ति 8,31,621 11,08,828	कर मुक्त बिक्री के आनुपातिक मूल्य पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

58	347 2017–18	व.क.अ. वृत–14 इंदौर में. एन.के. प्रोडक्टस टिन– 23911402958 प्रकरण क्रमांक 03/2015 (वैट)	कपास बीज	2012–13 जून 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 41,424 2,99,464	2,58,040	नि.अ. द्वारा बिक्री के आनुपातिक तरीके से कर मुक्त कपास बीज की खरीद पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
59	349 2017–18	व.क.अ. वृत–14 इंदौर में. व्ही.एन.पटेल एंड कम्पनी टिन– 23221400282 प्रकरण क्रमांक 634209 (वैट)	टिंबर	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 7,92,533 9,51,991	1,59,458 शास्ति 4,78,374 6,37,832	नि.प्रा. ने टिम्बर की अंतरराज्यीय बिक्री के आनुपातिक मूल्य पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
60	351 2017–18	व.क.अ. वृत–14 इंदौर में. एन.के. प्रोडक्टस टिन– 23911402958 प्रकरण क्रमांक 1195/2014 (वैट)	कपास बीज	2013–14 जनवरी 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 1,27,368	1,27,368	नि.प्रा. ने बिक्री के अनुपातिक तरीके से करमुक्त कपास बीज की खरीद पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
61	355 2017–18	व.क.अ. वृत–14 इंदौर में. एमक्योर फार्माक्यूटिकलस लि0 टिन – 23291403105 प्रकरण क्रमांक 203/15 (वैट)	ड्रग मेडीसिन	2014–15 सितंबर 2016	नवंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) निरंक 2,26,160	2,26,160	नि.प्रा. द्वारा स्टाक ट्रांसफर पर आगत कर रिबेट का रिवर्सल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने कहा कि स्टाक ट्रांसफर में प्राप्त माल स्टॉक ट्रांसफर किया गया और राज्य के अन्दर की खरीद भी राज्य के अन्दर बेची गयी। उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं है। अतः स्वीकार्य योग्य नहीं है।
62	209 2017–18	सहा. आयुक्त व.क. नीमच में. एस के तोतला	निर्माण कार्य	2014–15 जुलाई 2016	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	निरंक 3,70,521	3,70,521	नि.प्रा. ने टायर, ट्यूब एवं तेल आदि की खरीद पर आगत कर	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

		इनफ्रा कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 टिन – 23973203245 प्रकरण क्रमांक 56/15 (वैट)						रिबेट अनुमत्य किया क्योंकि वह न तो उक्त माल का निर्माता है न ही व्यापार करता है जबकि डीलर आगत कर रिबेट का दावा करने के लिये पात्र नहीं है।	
63	314 2017–18	व.क.अ. वृत–गुना में. वर्षा मशीनरी एंड कृषि सेवा केन्द्र टिन–23715006909 प्रकरण क्रमांक 644626 (वैट)	कृषि उपकरण और मशीनरी	2014–15 दिसंबर 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	12,76,926 13,03,882	26,956	नि.प्रा. ने सत्यापित खरीदी की तुलना मे अधिक खरीदी पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
64	338 2017–18	व.क.अ. अनूपपुर में. अम्बे ट्रेडर्स टिन–23657201858 प्रकरण क्रमांक 667476 (वैट)	सीमेंट और हार्डवेयर	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	निरंक 30,03,052	30,03,052	नि.प्रा. ने क्रय बीजक बिलों के सत्यापन के बिना अनुमति दी क्योंकि एम.पी.वैट अधिनियम 2002 के नियम 9 के अनुसार आवश्यक थे।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
65	386 2017–18	सहा. आयुक्त व. क. वृत–2 इंदौर में. मोबाईल एन मोर टिन–23849106562 प्रकरण क्रमांक 655677 (वैट)	मोबाईल एवं एसेसरिज	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	2,68,217 3,03,085	34,868 शास्ति 1,04,634 1,39,512	नि.प्रा. ने क्रय बीजक बिलों के सत्यापन के बिना अनुमति दी क्योंकि एम.पी.वैट अधिनियम 2002 के नियम 9 के अनुसार आवश्यक थे।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
66	255 2017–18	सहा.आयुक्त व.क. संभाग–2 इंदौर में. लम्बोदर इन्टरप्राईजेज टिन–23659088248 प्रकरण क्रमांक डीम्ड कर निर्धारण	डीजल, पेट्रोल एवं लूब्रीकेंट	2014–15 जुलाई 2016	दिसंबर 2017 फरवरी 2018	3,19,76,403 3,27,21,978	7,45,575 शास्ति 22,36,725 29,82,300	डीलर ने गलत तरीके से अतिरिक्त आगत कर रिबेट का दावा किया।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

67	399 2017–18	व.क.अ. वृत–15 इंदौर में. डी.एम. टिपर कम्पोनेन्टस टिन– 23941504549 प्रकरण क्रमांक 76 (वैट)	–	2014–15 –	मई 2017 जून 2017	13,51,534 14,22,912	71,378 शास्ति 2,14,134 2,85,512	डीलर ने गलत तरीके से अतिरिक्त आगत कर रिबेट का दावा किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जावेगी।
68	415 2017–18	व.क.अ. वृत–1 छिंदवाड़ा में. तिरगम आटोमोबाईल टिन– 23726601438 प्रकरण क्रमांक 649399 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 दिसंबर 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 16,222 1,15,429	99,207 शास्ति 2,97,621 3,96,828	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर 31 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से आगत कर रिबेट का रिर्वसल किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
69	416 2017–18	व.क.अ. वृत–1 छिंदवाड़ा में. उमा पेट्रोलियम टिन– 23759079702 प्रकरण क्रमांक 687920 (वैट)	डीजल, पेट्रोल	2014–15 दिसंबर 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	(आगत कर रिबेट का रिवर्सल) 13,798 99,738	85,940 शास्ति 2,57,820 3,43,760	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल और डीजल की कमी पर 31 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से आगत कर रिबेट का रिर्वसल किया गया था।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
70	421 2017–18	व.क.अ. शहडोल में. आई.एल.एंड एम.एस. इंजिनियरिंग टिन– 23694961 प्रकरण क्रमांक 570234 (वैट)	टायर ट्यूब इत्यादि	2014–15 जनवरी 2017	अप्रैल 2018 मई 2018	36,21,083 36,77,014	55,931 शास्ति 1,67,733 2,27,224	वाणिज्यिक कर अधिकारी ने टायर, ट्यूब की खरीद पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने कहा सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
योग						**45,17,76,779** **48,07,14,128**	**कर 2,90,20,665** **शास्ति 2,19,93,195** **योग 5,10,13,860**		

परिशिष्ट V

(कण्डिका 3.8 में संदर्भित)

प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं	पी.डी.पी. संख्या वर्ष	लेखपरीक्षा इकाई का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/प्रेषण का माह	वस्तु का नाम/कर योग्य राशि	कर के अन्तर का दर (%)	कम/नहीं लगाये गये कर की राशि भाास्ति/योग	लेखापरीक्षा आपत्ति/कर नि. प्रा. का उतर और प्रतिउत्तर
1.	10/ 2017–18	सहायक आयुक्त वृत्त– मेसर्स भगवती इण्टरप्राईजेज	2012–13 अप्रैल 2015	मई 2017 जून 2017	प्लान्ट एवं मशीनरी/ 1,87,15,268	1	1,87,152 शास्ति 5,61,456 7,48,608	कर नि.प्रा. ने प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय पर 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आक्षेपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि नियम के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया गया है। उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि प्लान्ट एवं मशीनरी पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आक्षेपित की जायेगी।
2.	25/ 2017–18	सहायक आयुक्त वृत्त– मेसर्स वैष्णो स्टोन टिन 23215503630 प्रकरण क्र. 541121 (प्र.क्र.)	2013–14 दिसंबर 2015	मई 2017 जून 2017	स्टोन/ 92,14,880	1	92,149 शास्ति 2,76,447 3,68,596	कर नि.प्रा. ने स्टोन पर 2 प्रतिशत की दर के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि वस्तु प्रपत्र–ग पर अन्तर्राज्यीय क्रय किया गया था और प्रपत्र– च पर आयात किया गया था। इसलिए वस्तु प्रवेश कर मुक्त था। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि पत्थर को मुल रूप में विक्रय नहीं किया गया। यह तैयार किये गये पत्थर टाईल्स के रूप में ड्रेसिंग एवं कटिंग के बाद विक्रय किया गया है।
3.	26/ 2017–18	सहायक आयुक्त वृत्त– मेसर्स गनेश स्टोन	2013–14 जनवरी 2016	मई 2017 जून 2017	स्टोन/ 90,05,421	1	90,054 शास्ति 2,70,162 3,60,216	कर नि.प्रा. ने संबंधित वस्तु पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर नहीं लगाया। कर नि.प्रा. ने बताया कि वस्तु प्रपत्र–ग पर

		टिन 23865503224 प्रकरण क्र. 541213 (प्र.क्र.)						अन्तर्राज्यीय क्रय किया गया था और प्रपत्र–च पर आयात किया गया था। इसलिये वस्तु प्रवेश कर मुक्त था। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि पत्थर को मूलरूप में विक्रय नहीं किया गया। यह तैयार किये गये पत्थर टाईल्स के रूप में ड्रेसिंग एवं कटिंग के बाद विक्रय किया गया है।
4.	33/ 2017–18	सहायक आयुक्त, इंदौर मेसर्स खेतान इलेक्ट्रीकलस लि. टिन– 23921503493 प्र.क्र. 61/2015 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	मोनोब्लाक पम्प/ 94,72,754	1	94,727 शास्ति 2,84,181 3,78,908	कर नि.प्रा. ने मोनोब्लाक को पंम्पिग सेट के रूप में मान कर प्रवेश कर नहीं लगाया गया। कर नि.प्रा. ने बताया कि अनुसूची एक के अनुसार पम्प सेट के अन्तर्गत सभी पम्पिंग सेट आते हैं। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है मोनोब्लाक पम्प के लिए क्रय किया गया है जबकि प्रविष्टि पंम्पिग सेट के लिये है।
5.	48/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– 3 उज्जैन मेसर्स फतेहपुरीया मोटर्स प्रा. लि. टिन– 23559045966 प्र.क्र. 542/2013 (प्र.क्र.)	2012–13 जनवरी 2016	जून 2017 जुलाई 2017	मोटर कार, मोटर पार्टस/ 86,19,502	1	86,196	कर नि.प्रा. ने मोटर कार, मोटर पार्टस के क्रय पर 2 प्रतिशत के दर स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर की अनुमति दी। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई कर जाएगी।
6.	67 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग–2 ग्वालियर मेसर्स व्ही.आर.	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	कोयला/ 2,16,12,077	3	6,48,362 शास्ति 19,45,086 25,93,448	कर नि.प्रा. ने तान्या आईल लि. से क्रय किये गये कोयले के उक्त की राशि को जिस पर प्रवेश कर आरोपित किया गया है में सम्मिलित नहीं किया गया है।

		एस. फूड लि. टिन– 23894803595 प्र.क्र. 626407 (प्र. क्र.)						कर नि.प्रा. ने बताया कि तान्या आईल कम्पनी एक डिलर नहीं है। वह एक व्यापारी है और एम.आई.एस. प्रतिवेदन के अनुसार इस व्यापारी का सभी क्रय प्रवेश कर चुका है और बीना में कोयले का उत्पादन नही होता है इसलिए यदि कोयला क्रय किया गया है तो बीना में विक्रेता प्रवेश कर के लिये उत्तरदायी होगा। कर नि. प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है जैसा कि आपत्ति वास्तविकता पर लिया गया है जबकि कर नि.प्रा. का उत्तर कल्पना पर आधारित है।
7.	87 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त – सिहोर मेसर्स टेकनिक इण्डिया टिन – 23384503612 प्र.क्र.801509 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	जुलाई 2017 अगस्त 2017	एअर कण्डिशनर / 1,50,65,013	1	1,50,650	कर नि.प्रा. ने एअर कंडिश्नर के क्रय पर 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
8.	123 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त – अशोकनगर मेसर्स प्रबल प्रताप सिंह रघुवंशी टिन– 23439027645 प्र.क्र.631499 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	जून 2017 जुलाई 2017	सिमेन्ट, पाईप आदि 39,45,977	1	39,459 शास्ति 1,18,377 1,57,836	कर नि.प्रा. ने सीमेन्ट, पाईप आदि के क्रय पर वास्तविक क्रय के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
9.	187 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	एच.डी.पी.ई. एवं पी.पी. बैग्स /	4	19,34,937	कर नि.प्रा. ने बताया कि बुनाई किये गये तथा लेमिनेटेड पाउच

		वाणिज्यिक कर, संभाग – उज्जैन मेसर्स गुडरिक ग्रुप लि. टिन – 23303607085 प्र.क्र. 113/15 (प्र.क्र.)			4,83,73,437			एवं बैग पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया गया। कर नि.प्रा. ने बताया कि क्रय किया गया बैग लेमिनेटेड बैग है ना कि बुनाई किया गया बैग जो उल्लेखित अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आता है। उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि क्रय किये गये पैकिंग सामग्री के सूची के अनुसार डीलर ने लेमिनेटेड पाउच/जिप्पर बैग/बुना हुआ बैग आदि का क्रय किया है।
10.	147 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–5 भोपाल मेसर्स आर.जे. हैल्थकेयर प्रा.लि. टिन– 23674008316 प्र. क्र. 716876 (प्र. क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	लोहा एवं स्टील 5,97,50,301	1	5,97,503 शास्ति 17,92,509 23,90,012	कर नि.प्रा. ने लोहा एवं स्टील के क्रय पर 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत दर से प्रवेश कर की अनुमति प्रदान की। कर नि. प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
11	159 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त – एक सतना मेसर्स वीनफेब इंजिनियर्स इण्डिया प्रा. लि. टिन – 23729132570 प्र.क्र. 1563/ 2014–15 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	स्टील एंगल 1,41,35,332	1	1,41,354 शास्ति 4,26,062 5,65,416	कर नि.प्रा. ने स्टील एंगल के क्रय पर 2 प्रतिशत की दर के स्थान पर 1 प्रतिशत दर से प्रवेश कर की अनुमति प्रदान किया गया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
12.	110 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त	2014–15 जनवरी 2017	अगस्त 2017 सितंबर 2017	कोयला/ 18,42,32,911	1	18,42,329	कर नि.प्रा. ने 14 अगस्त 2014 के बाद कोयले के क्रय पर 3

		वाणिज्यिक कर, संभाग– सतना मेसर्स त्रिमुला इण्डस्ट्रीज टिन– 23377305220 प्र.क्र. 13/2015 (प्र.क्र.)						प्रतिशत के स्थान 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
13.	114 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग– सतना मेसर्स स्टार ऑटोमोबाइल्स टिन– 23747001649 प्र.क्र. 18/2015 (प्र.क्र.)	2014–15 अक्टूबर 2016	अगस्त 2017 सितंबर 2017	दो पहीया एवं चार पहीया, स्पेयर पार्टस एवं ल्यूब्रीकेन्टस/ 1,21,30,913	2	2,42,618	कर नि.प्रा. ने दो पहिया एवं चार पहिया, स्पेयर पार्टस एवं ल्यूब्रीकेन्टस के चार्ज किये गये भाड़े पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
14	119 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त वृत्त–1 उज्जैन मेसर्स ओंकार केमिकलस टिन– 23872608496 प्र.क्र. 721399	2014–15 जनवरी 2017	अगस्त 2017 सितंबर 2017	मशीनरी/ 31,65,259	2	63,305	कर नि.प्रा. ने मशीनरी के क्रय पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
15.	46 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– मण्डला मेसर्स खनुजा ट्रेडर्स टिन– 23666301159 प्र.क्र. 674175	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	मेटल्स एवं रेत 24,52,995	1	24,529 शास्ति 73,587 98,116	कर नि.प्रा. ने मेटल्स एवं रेता के क्रय पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

16.	186 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग – उज्जैन मेसर्स राठी मोटर्स टिन– 23342503009 प्र.क्र. 21/15	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	पुराना एवं सेकेण्ड हैण्ड मोटर वाहन 7,34,000	2	14,680 शास्ति 44,040 58,720	कर नि.प्रा. ने पुराने एवं सेकेण्ड हैण्ड मोटर वाहन के क्रय पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेशकर आरोपित नहीं किया गया। कर नि.प्रा. ने बताया कि अनुसूची–एक के प्रविष्टि 9 के अन्तर्गत पुराने ट्रैक्टर का क्रय प्रवेश कर मुक्त है। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है वाणिज्यिक कर अनुसूची–दो के अनुसार, पुराने एवं सेकेण्ड हैण्ड वाहन पर 2 प्रतिशत प्रवेश कर की देयता थी।
17.	109 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग– सतना मेसर्स नार्दन कोल फिल्डस खडीया टिन– 23029008965 प्र.क्र. 1/15 (प्र.क्र.)	2014–15 सितंबर 2016	अगस्त 2017 सितंबर 2017	विष्फोटक 17,63,72,859	2	35,27,457	कर नि.प्रा. ने मेसर्स बलास्ट इण्डिया प्रा. लि. और मेसर्स भारतीय विस्फोटक प्रा. लि. से विस्फोटक क्रय पर 2 प्रतिशत की दर कर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
18.	151 / 2017–18	वाणिज्यिककर अधिकारी वृत्त– भोपाल मेसर्स सी. एम.एल. इन्फो सिस्टम लि. टिन – 23584008220 प्र.क्र. 383044 (प्र.क्र.)	2013–14 जनवरी 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	आई.टी. प्रोडक्ट एवं एसेसरीज/ 2,56,86,309	2	5,13,726 शास्ति 15,41,178 20,54,904	क्र नि.प्रा. ने 13 प्रतिशत दर से विक्रय किये जाने वाले माल पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
19.	132 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग– 2	2014–15 अगस्त 2016	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	कोयला/ 58,85,830	2	1,17,716	कर नि.प्रा. ने कोयले को क्रय कर विद्युत उत्पादन में उपयोग करने पर 5 प्रतिशत दर के स्थान पर 3 प्रतिशत दर से

		भोपाल मेसर्स वर्धमान फेब्रिकस टिन– 23594503254 प्र.क्र. 60/2015 (प्र.क्र.)						प्रवेश कर आरोपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि अधिसूचना क्रमांक 15 दिनांक 01 अप्रैल 2007 के अनुसार प्रवेश कर 3 प्रतिशत दर से घटाया गया है। उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि विद्युत उत्पादन करने पर विचार है और विद्युत उत्पादन के लिए कोयला क्रय पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर की देयता थी।
20.	137 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी बालाघाट मेसर्स बधवा कंस्ट्रक्शन टिन– 23829007430 प्र.क्र. 765658 (प्र.क्र.)	2014–15 जुलाई 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	सिमेंट / 7,37,660	2	83,024 शास्ति 2,49,072 3,32,096	कर नि.प्रा. ने जे.एस. सिमेंट लि. से सिमेंट क्रय पर प्रवेश कर नहीं लगाया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
21.	229 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी इटारसी मेसर्स यूनिटि पल्प एंड पेपर लि. टिन – 23554302389 प्र.क्र. 591335 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	पलान्ट एवं मशीनरी / 42,62,655	1	42,627	कर नि.प्रा. ने उक्त माल पर प्रवेश कर नहीं लगाया है। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
22.	239 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पिथमपुर धार मेसर्स जवाहर हस्तोमल टिन– 23951600719 प्र.क्र. 522711 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2017	दाल एवं तेल बिज / 32,21,467	1	32,214 शास्ति 96,642 1,28,856	कर नि.प्रा. ने उक्त राशि पर प्रवेश कर नहीं लगाया है। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

23.	74 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 इंदौर मेसर्स रोडकेम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. टिन– 23970104774 प्र.क्र. 738734 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	जून 2017 जुलाई 2017	लोहा एवं स्टील और उपभोक्ता माल / 40,89,939	2	81,798 शास्ति 2,45,394 3,27,192	कर नि.प्रा. ने जयदीप से लोहा एवं स्टील और उपभोक्ता माल के क्रय पर प्रवेश कर नहीं लगाया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
24.	78 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 इंदौर मेसर्स एम. एंड पी. इंजिनीयर टिन– 23980104720 प्र.क्र. 697841 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	जून 2017 जुलाई 2017	लोहा एवं स्टील, पलास्टिक तथा मशीनरी / 7,98,11,056	2 और 1	18,70,390	कर नि.प्रा. ने लोहा एवं स्टील, प्लास्टिक तथा मशीनरी का क्रय मूल्य कम निर्धारित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
25.	270 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त– 1 जबलपुर मेसर्स सूर्या बाओटेक प्रोडक्ट टिन– 23455600415 प्र.क्र. 672301 (प्र.क्र.)	2014–15 अक्टूबर 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	लोहा स्टील स्क्रैप / 56,49,331	2	1,12,987 शास्ति 3,38,961 4,51,948	कर नि.प्रा. ने अपंजियत क्रय और मेंसर्स राजा ट्रेडर्स तथा मेसर्स राजा मेटल ट्रेडर्स से क्रय पर 2 प्रतिशत दर से प्रवेश कर नहीं लगाया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
26.	249 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग– 2 खंडवा मेसर्स तेजस कशंट्रक्सन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. टिन– 23741910119 प्र.क्र. 239 / 2015 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	सिमेंन्ट, टि.एम.टी. बार्स / 45,96,449	2	91,929 शास्ति 2,75,787 3,67,716	कर नि.प्रा. ने अल्ट्राटेक सिमेंट लि. और बालाजी ट्रेडिंग से सिमेंन्ट, टि.एम.टी. बार्स के क्रय पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर नहीं लगाया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

27.	286 / 2017–18	वाणिज्यिक कर उपायुक्त, संभाग– छिंदवाड़ा मेसर्स एमरोल्ड पेट्रोल केमिकलस प्रा. लि. टिन– 23596801669 प्र.क्र. 598650 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	जनवरी 2018 फरवरी 2018	हैक्सेन / 7,04,591 इग्नाइट तेल / 43,03,890	9 1	63,413 शास्ति 190,239 2,53, 652 43,038 शास्ति 1,29,114 1,72,152	कर नि.प्रा. ने हैक्सेन एवं इग्नाइट तेल के क्रय पर 10 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत दर के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि यह नेपथा (केमिकल) है जो अनुसूची दो के भाग एक के अन्तर्गत 1 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नही है क्योंकि क्रय पंजी से हैक्सेन एवं इग्नाइट तेल का क्रय सत्यापन योग्य है।
28.	294 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिककर संभाग– 2 भोपाल मेसर्स प्रगती फूड्स टिन– 23079085299 प्र.क्र. 775494 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	फरवरी 2018 मार्च 2018	पी.पी.बैग्स / 10,40,001	4	41,600 शास्ति 1,24,800 1,66,400	कर नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 1 प्रतिशत के दर से प्रवेश कर आरोपित किया है, जबकि यह अधिसूचना क्रमांक 14 दिनांक 01.04.2007 के अन्तर्गत 5 प्रतिशत दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
29.	297 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग– 2 भोपाल मेसर्स कमल किशोर आटा मील टिन – 23334602434 प्र.क्र. 500992 (प्र.क्र.)	2013–14 जनवरी 2016	फरवरी 2018 मार्च 2018	पी.पी. बैगस एवं एच.डी.पी.वोवेन बैगस / 40,29,610	4	1,61,184 शास्ति 4,83,552 6,44,736	कर नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 1 प्रतिशत के दर से प्रवेश कर आरोपित किया है, जबकि यह अधिक सूचना क्रमांक 4-3-195-15-1-V (14) दिनांक 01 अप्रैल .2007 के अन्तर्गत 5 प्रतिशत दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
30	300 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग – 2 भोपाल मेसर्स	2013–14 जनवरी 2016	फरवरी 2018 मार्च 2018	लोहा एवं स्टील / 39,71,514	2	79,430 शास्ति 2,38,290 3,17,720	कर नि.प्रा. ने उक्त सामग्री के क्रय पर 2 प्रतिशत के दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि

		अमृत लाल जैन टिन – 23684602193 प्र.क्र. 379014 (प्र. क्र.)						सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
31.	302 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग– 2 भोपाल मेसर्स पॉवर मेच प्रोजक्ट लि. टिन–2349702450 प्र.क्र. 385219 (प्र.क्र.)	2013–14 जनवरी 2016	फरवरी 2018 अप्रैल 2018	पेन्टस, प्राइमर, सिमेंट ग्रेड, स्ट्रक्चरल स्टील, मशीनरी पार्टस, आक्सीजन, आर्गन गैस, हार्डवेयर / 5,81,25,649	1	5,81,256 शास्ति 17,43,768 23,25,024	कर नि.प्रा. ने उक्त माल पर 1 प्रतिशत के दर से प्रवेश कर आरोपित किया जबकि यह प्रविष्टि II/III/I के अन्तर्गत 2 प्रतिशत के दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
32.	308 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–2 गुना मेसर्स अनेजा कंस्ट्रक्शन टिन–23815005787 प्र.क्र. 644365 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	मशीनरी एवं पार्टस / 80,45,700	2	1,60,914	कर नि.प्रा. ने उक्त माल के कम्पली के मुख्यालय (म.प्र. के बाहर से) क्रय करने पर 2 प्रतिशत के दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
33.	333 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर मेसर्स सुशीला माईनिंग लि. टिन 23437206926 प्र.क्र. 6395374 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	ग्रेनाइट / 2,18,34,408	–	17,801 शास्ति 53,403 70,204	कर नि.प्रा. ने प्रवेश कर कम निर्धारित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
34.	348 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–14 इंदौर मेसर्स राजेश इन्डस्ट्रीज टिन – 23721400298 प्र.क्र. 439 / 2015 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	एक्सपेलर पार्टस / 39,71,514	1	1,71,479	कर नि.प्रा. ने उक्त माल पर 1 प्रतिशत के दर से प्रवेश कर आरोपित किया, जबकि यह प्रविष्टि II/III/I के अन्तर्गत 2 प्रतिशत के दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

35.	281 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर टी.ए.डब्ल्यू. मेसर्स मूलचन्द माधोदास टिन– 23115100844 प्र.क्र. 30 / 15 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	कच्ची तिल्ली / 12,18,31,170	1	12,18,311 शास्ति 36,54,933 48,73,244	कर नि.प्रा. ने उक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
36.	282 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर टी.ए.डब्ल्यू. मेसर्स जय बाबा इण्डस्ट्रीज टिन– 23095307368 प्र.क्र. 218 / 17 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	कच्ची तिल्ली / 9,46,05,131	1	9,46,051 शास्ति 28,38,153 37,84,204	कर नि.प्रा. ने उक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
37.	283 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर टी.ए.डब्ल्यू. मेसर्स शिवशक्ती तील मील टिन – 2381514630 प्र.क्र. 241 / 15 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	कच्ची तिल्ली / 7,20,68,394	1	7,20,684 शास्ति 21,62,052 28,82,736	कर नि.प्रा. ने उक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
38.	325 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग – 2 ग्वालियर मेसर्स सुभालाल रामगोपाल कुम्भराज टिन– 23265001482	2014–15 जनवरी 2016	नवंबर 2017 जनवरी 2018	पलान्ट एवं मशीनरी / 94,33,367	2	1,88,667 शास्ति 5,66,001 7,54,668	कर नि.प्रा. ने उक्त माल पर अनुसूची– टी में दर्शाये गये के अपेक्षा कम क्रय राशि पर 2 प्रतिशत दर से प्रवेश कर आरोपित किया गया। कर नि. प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

		प्र.क्र. 628983 (प्र.क्र.)						
39.	325 / 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त धार मेसर्स पलेटिनम सिमेंट प्रा. लि. टिन– 23081604641 प्र.क्र. 03 / 2014 (प्र.क्र.)	2013–14 दिसंबर 2014	जनवरी 2018 फरवरी 2018	कोयला / 19,19,924	1	19,199 शास्ति 57,597 76,796	कर नि.प्रा. ने उक्त माल पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया, जबकि अधिसूचन क्र 14 दिनांक 01 अप्रैल 2007 के अन्तर्गत यह 3 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
40.	377 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग– 1 भोपाल मेसर्स कायपान पान मसाला टिन– 23263606331 प्र.क्र. 646444 (प्र.क्र.)	2014–15 दिसंबर 2016	मार्च 2018 अप्रैल 2018	तम्बाकू / 1,37,34,000	1	1,37,340	कर नि.प्रा. ने तम्बाकू के क्रय पर 1 प्रतिशत के दर से प्रवेश कर आरोपित किया जबकि यह उत्पादन में उपयोग नही किया गया था। इसलिए तम्बाकू विक्रय किया गया जो प्रविष्टि II/III/I के अन्तर्गत 2 प्रतिशत के दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
41.	388 / 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त–11 इंदौर मेसर्स पेक बायो फन्गबेक्ट प्रा. लि. टिन– 23869068536 प्र.क्र. 652730 (प्र.क्र.)	2014–15 दिसंबर 2016	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	आर्गेनिक मेन्यूर एंड पैस्टीसाइडस / 26,52,839	1	26,528	कर नि.प्रा. ने 06 माहों के पश्चात अन्तर्राज्यीय क्रय वापसी पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
42.	380 / 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग– 1	2014–15 जनवरी 2017	मार्च 2018 अप्रैल 2018	ग्लास, एक्रेलिक बॉक्स आदि / 51,92,400	1	51,924 शास्ति 1,55,772 2,07,696	कर नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया, जबकि यह प्रविष्टि II/III/I के अन्तर्गत 2

		भोपाल मेसर्स युनाइटेड स्प्रिट लि. टिन– 23204001930 प्र.क्र. 126/15 (प्र.क्र.)						प्रतिशत के दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. ने बताया कि मेसर्स कामेश ट्रेडर्स वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (2012) 52 व्ही. एस.टी.– 180 के प्रकरण में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रशोई में उपयोगी सभी आईटम बर्तन में सम्मिलित हैं। आपत्ति में सभी माल बर्तन के रूप में मान्य हैं । कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर के आदेश के अनुसार केसरोल, बेग एवं एक्रेलिक बेग को 13 प्रतिशत से कर योग्य हैं।
43.	315/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– गुना मेसर्स अमित इण्टरप्राइजेज टिन– 23075003381 प्र.क्र. 99/15 (प्र. क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	धनिया/ 82,54,190	1	82,542 शास्ति 2,47,626 3,30,168	कर नि.प्रा. ने उक्त माल के कम क्रय मूल्य पर प्रवेश कर आरोपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि अन्तर्राज्यीय विक्रय पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं था। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपंजियत क्रय में से अन्तर्राज्यीय विक्रय एवं निर्यात विक्रय को घटाने के बाद जो आया उस पर प्रवेश कर लागू होगा।
44.	322/ 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–2 जबलपुर मेसर्स वर्धमान गलोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. टिन –	2014–15 दिसंबर 2016	नवंबर 2017 जनवरी 2018	फर्नेसआईल/ 42,12,698	9	3,79,143 शास्ति 11,37,429 15,16,572	कर नि.प्रा. ने फर्नेस आईल के क्रय पर 10 प्रतिशत दर के स्थान पर 1 प्रतिशत दर से प्रवेश कर आरोपित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि यह प्रोसेस्ड ईधन तेल एवं रिसाइकल्ड ईधन तेल फर्नेस आईल से अलग है। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है

		23056302901 प्र.क्र. 17/2015 (प्र.क्र.)						क्योंकि यह प्रथम दृष्या फर्नेसआईल से अलग था।
45.	393/ 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–1 छिंदवाड़ा मेसर्स सुपरशवा मार्केटिंग टिन – 23516804138 प्र.क्र. 40/2015 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	मैथी एवं इंस्टेण्ट मिक्स आईटम्स/ 1,04,23,618	1	1,04,235	कर नि.प्रा. ने इंस्टेण्ट मिक्स आईटम्स पर 1 प्रतिशत दर से प्रवेश कर आरोपित किया जबकि यह 2 प्रतिशत दर से कर योग्य था। मिठाई क्रय पर प्रवेश कर लगाया गया। कर नि. प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
46.	356/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–2 इंदौर मेसर्स ज्योती ऑटो इलेकट्रिकल्स एंड स्पेयर पार्टस टिन– 23850201452 प्र.क्र. 671264 (प्र. क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	ऑटो पार्टस एवं इलेकट्रिकल्स माल/ 1,38,05,583	1	1,38,056 शास्ति 4,14,168 5,52,224	कर नि.प्रा. ने उक्त माल पर 1 प्रतिशत दर से प्रवेश कर आरोपित किया जबकि प्रविष्टि II/III/I के अन्तर्गत 2 प्रतिशत दर से कर योग्य है। कर नि. प्रा. ने बताया कि डिलर ने ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर पार्टस 1 प्रतिशत दर से कर योग्य क्रय किया। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नही है क्योंकि वैट प्रकरण में ऑटो पार्टस एवं इलेकट्रिकल्स माल पर कर आरोपित किया गया है और लेखापरीक्षा को सामग्री का मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नही करवाया गया।
47.	407/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 छिंदवाड़ा मेसर्स टेक पेक टिन–23556601289 प्र.क्र. 648128 (प्र.क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	कोरगेटेड बॉक्स/ 98,32,274	1	98,322 शास्ति 2,94,966 3,93,288	कर नि.प्रा. ने हम्माली, ट्रांसपोट्रेशन और कोरगेटेड बॉक्स के अन्तर्राज्यीय विक्रय के क्रय मूल्य पर प्रवेश कर नहीं लगाया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

48.	406/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 छिंदवाड़ा मेसर्स टेक पेक टिन– 23556601289 प्र.क्र. 404425 (प्र. क्र.)	2013–14 जनवरी 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	कोरगेटेड बॉक्स/ 1,90,42,899	1	1,90,428 शास्ति 5,71,284 7,61,712	कर नि.प्रा. ने कोरगेटेड बॉक्स के अन्तर्राज्यीय विक्रय के क्रय मूल्य पर प्रवेश कर नहीं लगाया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
49.	409/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 छिंदवाड़ा मेसर्स अजय ट्रेडिगं कम्पनी टिन– 23116602598 प्र.क्र. 650817 (प्र. क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	सोयाबिन/ 1,05,57,106	1	1,05,571 शास्ति 3,16,713 4,22,284	कर नि.प्रा. ने उक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर आरोपित नही किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
50.	417/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 छिंदवाड़ा मेसर्स व्ही.एस.सी. प्रा.लि. टिन– 237690652418 प्र.क्र. 677312 (प्र. क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	रेत और मिट्टी/ 4,92,67,854	1	4,92,678	कर नि.प्रा. ने उक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर आरोपित नही किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
51.	424/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी शहडोल मेसर्स सतीश इंजिनिरिगं टिन– 23227202143 प्र.क्र.257/15 (प्र. क्र.)	2014–15 जनवरी 2017	मार्च 2018 मई 2018	लोहा/16,90,170	3	50,705 शास्ति 1,52,115 2,02,820	कर नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर अगस्त 2014 के पहले के क्रय पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेशकर आरोपित किया, जबकि यह प्रविष्टि II/II/4 के अन्तर्गत 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य था। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
52.	419/ 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी शहडोल मेसर्स	2014–15 जनवरी 2017	अप्रैल 2018 मई 2018	वाई.टी.रींग इंजिन एंड डी.जी. सेट/36,27,072	2	72,541 शास्ति 2,17,623 2,90,164	कर नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया और क्रय मूल्य

		किंगस्टन आईल फिल्ड सर्विस टिन– 23499129780 प्र.क्र.734631 (प्र. क्र.)			वाई.टी.रींग इंजिन एंड डी.जी. सेट / 2,95,64,853	1	2,95,648 शास्ति 8,86,944 11,82,592	भी कम निर्धारित किया। कर नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
योग							**कर 1,93,62,560 शास्ति 2,51,75,483 योग 4,45,38,043**	

परिशिष्ट VI

(कण्डिका 3.9 में संदर्भित)

कर की गलत दर लागू करना

(राशि ₹ में)

क्र. स.	पी.डी.पी. क्र./वर्ष	लेखापरीक्षित इकाई/व्यवसायी का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/प्रेषण का माह	वस्त/कर योग्य टर्नओवर जिस पर त्रुटिपूर्ण दर लगायी गयी	लागू कर का दर/ लगाया गया दर (%)	कम लगाये गये कर/भाास्ति की राशि	लेखापरीक्षा आपत्ति	विभाग का उत्तर
1.	30 2017–18	वाणिज्यिककर अधिकारी वृत्त–होशंगाबाद मेसर्स माँ कृपा ट्रैक्टर्स टिन–23054202463 प्र.क्र.468693 (वैट)	2013–14 नवंबर 2015	मई 2017 जून 2017	ट्रैक्टर्स एसेसरीज/ 7,43,436	13 5	59,475 शास्ति 1,78,425 2,37,896	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
		मेसर्स माँ कृपा ट्रैक्टर्स टिन – 23494200475 प्र.क्र.730515 (वैट)	2014–15 अक्टूबर 2016	मई 2017 जून 2017	ट्रैक्टर्स एसेसरीज/ 4,24,584	13 5	33,967 शास्ति 1,01,901 1,35,864	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
		मेसर्स माँ कृपा ट्रैक्टर्स टिन– 23748021018 प्र.क्र.465339 (वैट)	2013–14 जनवरी 2016	मई 2017 जून 2017	ट्रैक्टर्स एसेसरीज उपकरण/ 5,82,028	13 5	46,562 शास्ति 1,39,686 1,86,248	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
2.	13 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त–मुरैना मेसर्स पॉल फैक्ट्री टिन क्रमांक–23695504055 प्र.क्र. 343381 (वैट)	2012–13 अप्रैल 2015	मई 2017 जून 2017	सीमेंट पोल/ 68,60,000	13 5	5,48,800 शास्ति 16,46,400 21,95,200	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि. अ. ने बताया कि डीलर ने अनुसूची 2 की प्रविष्टि कं. 63–क के अर्न्तगत 5 प्रतिशत कर योग्य पी.सी.सी. पोल बनाया। नि.अ. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने सीमेंट पोल बनाने में स्टील तार का प्रयोग किया था जिससे प्रमाणित होता है कि यह आर.सी.सी. पोल था।

3.	06 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त– मुरैना मेसर्स बालफोर्स इण्डिया प्रा.लि. टिन क्रमांक– 23845504399 प्र.क्र. 319517 (वैट)	2012–13 अप्रैल 2015	मई 2017 जून 2017	स्नैक्स / 76,96,367	13 5	6,10,974 शास्ति 18,32,922 24,43,896	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
			2013–14 जनवरी 2016		स्नैक्स / 45,76,431	13 5	3,66,114 शास्ति 10,98,342 14,64,456		
			2014–15 जनवरी 2017		स्नैक्स / 62,30,722	13 5	4,98,458 शास्ति 14,95,374 19,93,832		
4.	77 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– 1 इंदौर मेसर्स श्याम मैन्यूफैक्चरीगं एंड मार्केटिगं टिन क्र.– 23679000558 प्र.क्र. 740535 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	जून 2017 जुलाई 2017	पेट प्रीफार्म 4,99,585	13 5	39,968 शास्ति 1,19,904 1,59,872	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
5.	82 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– 1 इंदौर मेसर्स डी लाईट 6612948 ऑटोमेक प्रा.लि. टिन क्र.– 23889032256 प्र.क्र. 794501 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	जून 2017 जुलाई 2017	ऑटो पार्टस 5,02,512	13 3	50,251	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री के क्रय पर 3 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 13 प्रतिशत के दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
6.	85 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त सीहोर मेसर्स न्यू टाईम कान्ट्रेक्टर एंड बिल्डिंग मटेरीयल टिन – 719026841 प्र.क्र. 371927 (वैट)	2012–13 अप्रैल	जून 2017 जुलाई 2017	कोटा स्टोन 62,84,033	13 दर ₹ 1 वर्ग फुट	5,66,941	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री के क्रय पर ₹ 1 वर्ग फुट के दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत के दर से कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

7.	86 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त सीहोर मेसर्स रीया कंस्ट्रक्शन टिन क्र– 23239024755 प्र.क्र. 313006 (वैट)	2012–13 अप्रैल	जुलाई 2017 अगस्त 2017	कोटा स्टोन 4,67,44,02	13 दर ₹ 1 वर्ग फुट	4,87,592	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री के क्रय पर ₹ 1 वर्ग फुट के दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत के दर से कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
8.	92 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–13 इंदौर मेसर्स पी. ट्रेडर्स टिन – 23899088023 प्र.क्र.688140 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	अप्रैल 2017 जून 2017	ल्यूब एंड आईल / 14,56,755	13 5	1,16,540	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री के क्रय पर 3 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि ट्रैक्टर पार्ट्स का 2013–14 का स्टॉक 2014–15 में बेचा गया था। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नही है क्योंकि आडिट रिपोर्ट के लेखे में प्रारम्भिक स्टॉक भिन्न पाया गया।
9.	146 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–2 भोपाल मेसर्स हॉकिन्स कूकर्स लि. टिन 23261103634 प्र.क्र. 793 / 2015 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	बर्तन / 2,82,07,323	5 4	2,82,073	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 4 प्रतिशत के दर से कर आरोपित किया जबकि यह 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
10.	148 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–5 भोपाल मेसर्स रेड मेडिकल टिन – 23474004546 प्र.क्र. 631127 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	एम्पलीफायर, मोटर ड्राईवर बोर्ड आदि / 32,02,591	13 5	2,56,207 शास्ति 7,68,621 10,24,828	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर उल्लेखित भिन्न अवधियों में 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
11.	150 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–5 भोपाल मेसर्स आर. एफ. नेटवर्क टिन – 23074004572 प्र.क्र. 631186 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	प्लांट एवं मशीनरी / 7,78,892	13 0	1,01,225 शास्ति 3,03,765 4,04,020	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 13 प्रतिशत दर से कर आरोपित नही किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

12.	117 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त–1 उज्जैन मेसर्स मंगलम ग्रेनाईट एंड मार्बल इण्डस्ट्रीज टिन क्र. 23232607296 प्र.क्र. 763858 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	जुलाई 2017 सितंबर 2017	कोटा स्टोन 17,64,310	13 दर ₹ 1 वर्ग फुट	1,35,367	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 1 रूपये वर्ग फुट की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
13.	176 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त–3 ग्वालियर मेसर्स गलैक्सी इण्टरनेशनल टिन – 23025303866 प्र.क्र. 11/2016 (सी.एस.टी.)	2014–15 अक्टूबर 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	कार्पेट/ 6,29,687	13 5	50,374	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री के क्रय पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
14.	197 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी (ए.एंड एल.) वृत्त – भोपाल मेसर्स होटल रेसीडेन्सी टिन – 23650001149 प्र.क्र. 10/2015 (वैट)	2014–15 –	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	बेवरीज आईटम/ 40,79,300	13 5	3,56,344 शास्ति 9,79,032 13,35,376	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
15.	198 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी (ए.एंड एल) वृत्त – भोपाल मेसर्स होटल निसर्ग प्रा. लि. टिन क्र.– 23314001239 प्र.क्र. 11/2015 (वैट)	2014–15 –	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	बेवरीज आईटम/ 35,16,342	13 5	2,81,307 शास्ति 8,43,922 11,25,229	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत के दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
16	199 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी (ए.एंड एल) वृत्त– भोपाल मेसर्स	2014–15 –	अक्टूबर 2017 नवंबर	बेवरीज आईटम/ 25,89,094	13 5	2,07,128 शास्ति 6,21,384 8,28,512	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

		राजतिलक प्रा. लि. टिन क्र.– 23374000668 प्र.क्र. 05/2015 (वैट)		2017				13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	
17.	203 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, नीमच मेसर्स चौधरी ऑटोमोबाईल्स टिन क्र.– 23049003531 प्र.क्र.90/2014–15 (वैट)	2014–15 –	अक्टूबर 2017 नवंबर 2017	ट्रैक्टर एसेसरीज/ 8,57,915 आईल/ 7,66,534	13 5 13 0	1,68,282 शास्ति 5,04,846 6,73,128	कर नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
18.	234 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–4 इंदौर मेसर्स रज्जाब अली स्माईल जी टिन क्र. 23540301775 प्र. क्र.661195 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	मई 2017 जून 2017	पेन्ट एंड प्यूरीफायर/ 42,20,380	13 5	3,37,630	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी ।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
19	238 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त– पीथमपुर धार मेसर्स पोलीमर पैकेजिंग टिन क्र.– 23441604637 प्र.क्र.784250 (सी.एस. टी.)	2015–16 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	एच.डी.पी.ई. स्क्रैप/ 5,93,845	14 5	53,446 शास्ति 1,60,338 2,13,784	कर नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
20.	236 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त– पिथमपुर धार मेसर्स श्री जी पोलीमर टिन क्र.– 23349013783 प्र.क्र.643071 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	एच.डी.पी.ई. स्क्रैप/ 24,45,103	13 5	1,95,608 शास्ति 5,86,824 7,82,432	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
21.	38 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त–2 ग्वालियर मैसर्स पटेल एंड संस टिन क्र.–	2014–15 जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	पेट्रोल/ 52,54,233	31 23	4,20,339 शास्ति 12,61,017 16,81,356	नि.प्रा. ने उक्त 31 प्रतिशत कर योग्य पेट्रोल की मूल्य राशि पर 23 प्रतिशत कर योग्य डीजल के विक्रय मूल्य को शामिल करते हुए	नि.प्रा. ने बताया कि सी.ए. ने कर दर श्रेणी को सत्यापित किया है और माल के अंतिम स्टॉक के कारण 27 प्रतिशत और 31 प्रतिशत

		23705206492 प्र.क्र. 660268 (वैट)						कर लगाया।	का अन्तर था। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि 31 प्रतिशत दर के पेट्रोल के अंतिम स्टॉक और न्यूनतम माँग को ध्यान में रखकर गणना की गई। जबकि यदि यह 27 प्रतिशत की दर के अंतिम स्टॉक को लेकर, गणना की जाए तो विक्रय राशि का अन्तर बढ़ेगा जो अतिरिक्त माँग दर्शायेगा।
22.	350 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–14–इंदौर मेसर्स मनीष फलैक्सीपैक टिन क्र.– 23359056559 प्र.क्र. 178/2015 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2017	पी.पी. स्क्रैप/ 18,39,212	13 5	1,47,136	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह प्रविष्टि II/IV/1 के अर्न्तगत 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
23.	245 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–2 इंदौर मेसर्स व्ही.ई. कामर्सियल वाहन लि. टिन क्र.– 23069059692 प्र.क्र. 06/2016 (वैट)	2015–16 सितंबर 2016	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	पैकिंग सामग्री स्क्रैप/ 36,22,796	13 5	2,89,824 शास्ति 8,69,472 11,59,296	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि अनुसूची– दो के भाग दो के प्रविष्टि क्रमांक 55 (209) के अन्तर्गत कार्टून बॉक्स कोरेगेटेड बॉक्स आदि पैकिगं के लिये प्रयोग किये जाते हैं 5 प्रतिशत दर से कर योग्य हैं। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि करदाता ने उत्पादन के दौरान पैकिंग सामग्री के उपयोग के बाद रद्दी पैकिंग सामग्री का विक्रय किया, और उत्तर में संदर्भित प्रविष्टि पैकिंग सामग्री के व्यापार में लागू थी।

24.	246 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–2 इंदौर मेसर्स पीरामल हैल्थकेयर टिन क्र.– 23571100893 प्र.क्र. 176/2015 (वैट)	2014–15 सितंबर 2016	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	पैकिगं सामग्री स्क्रैप/ 2,10,56,552	13 5	16,84,524	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह प्रविष्टि II/IV/I के अर्न्तगत 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि अनुसूची– दो के भाग दो के प्रविष्टि क्रमांक 55 (209, 205 और 208) के अन्तर्गत उपयोग किया गया तथा रद्दी पैकिंग सामग्री 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नही है क्योंकि उपयोग किया गया तथा रद्दी 13 प्रतिशत दर से कर योग्य है ।
25.	250 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–2 खंडवा मेसर्स कृष्णा एग्रो इण्डस्ट्रीज टिन क्र.– 23522005203 प्र.क्र. 75/2015 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	ट्रैक्टर एसेसरीज/ 15,16,296	13 5	1,21,304	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
					ट्रैक्टर ट्रॉली, हल आदि/ 21,11,500	5 0	1,05,575	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर कर आरोपित नही किया ।	
26.	284 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर टी.ए. डब्ल्यू. ग्वालियर मेसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीयल सेल्स टिन क्र.– 23199026408 प्र.क्र. डीम्ड योजना	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	पेन्टस, हार्डवेयर आदि/ 7,53,719	13 5	60,254 शास्ति 1,80,762 2,41,016	नि.प्रा. ने 5 प्रतिशत कर योग्य विक्रय किये माल में 13 प्रतिशत कर की दर से विक्रय माल को सम्मिलित करके कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
27.	346 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–14 इंदौर मेसर्स इन्वेन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. टिन क्र.– 23331401046 प्र.क्र. 137/2015 (वैट)	2014–15 दिसंबर	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	पी.पी. स्क्रैप/ 33,74,067	13 5	2,69,925	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि यह प्रविष्टि II/IV/1 के अन्तर्गत 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

28.	353 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–14 इंदौर मेसर्स एन्जेल इन्फ्राटेक प्रा.लि. टिन क्र.– 23269036295 प्र.क्र 1969/2015 (वैट)	2014–15 जुलाई 2016	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	प्लाट और फ्लैट/ 21,08,874	13 5	1,68,710	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि इस पर 13 प्रतिशत की दर से आगत कर छूट लिया गया है।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
29.	304 2017–18	वणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– गुना मेसर्स जे.बी. इन्डस्ट्रीज टिन क्र. 23835005776 प्र.क्र. 648882	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	धनिया दाल/ 67,61,134	13 5	5,40,890	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
30.	306 2017–18	वणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– गुना मेसर्स जे.बी. इन्डस्ट्रीज टिन क्र. 23835005776 प्र.क्र. 648882	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	धनिया दाल का अन्तर्राज्यीय विक्रय/ 38,05,908	13 5	3,04,472	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
31. .	309 2017–18	वणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– गुना मेसर्स मंगल फिलिगं स्टेशन टिन क्र. 23319068688 प्र.क्र. 648552	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 जनवरी 2018	पेट्रोल/ 38,63,456	31 27	1,54,538	नि.प्रा. ने क्रमशः 31 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की दर से विक्रय मूल्य में 31 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत कर योग्य को सम्मिलित कर क्रमशः 27 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की दर से पेट्रोल एवं डीजल पर कर आरोपित किया ।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
					डीजल/ 80,90,809	27 23	3,23,632		
32	327 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–2 ग्वालियर मेसर्स नाथूलाल	2014–15 दिसंबर 2016	नवंबर 2017 जनवरी 2018	डीजल 21,80,667	27 23	87,226 शास्ति 2,61,678 3,48,904	नि.प्रा. ने 27 प्रतिशत की दर से कर योग्य डीजल के स्थान पर 23 प्रतिशत दर से कर योग्य	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही किया जायेगा और सत्यापल के बाद शास्ति भी

		सोडानी टिन क्र.– 23475001512 प्र.क्र. 611662 (वैट)						डीजल के विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर 23 प्रतिशत की दर से आरोपित किया।	लगाया जायेगा।
33.	328 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–2 ग्वालियर मेसर्स कृष्णा सर्विस टिन क्र.– 23305002522 प्र.क्र. 10300005711455 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	नवंबर 2017 जनवरी 2018	पेट्रोल / 15,17,526	31 27	60,701 शास्ति 1,82,103 2,42,804	नि.प्रा. ने 31 प्रतिशत के दर से कर योग्य पेट्रोल के स्थान पर 27 प्रतिशत दर से कर योग्य पेट्रोल के विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर 27 प्रतिशत की दर से आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही किया जायेगा और सत्यापल के बाद शास्ति भी लगाया जायेगा।
34.	364 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– धार मेसर्स अभय ट्रैक्टर्स टिन क्र. 23659027914 प्र.क्र. 291070 (वैट)	2013–14 दिसंबर	जनवरी 2018 फरवरी 2018	ट्रैक्टर एसेसरीज / 17,037	13 5	1,363 शास्ति 4,089 5,452	नि.प्रा.उक्त सामग्री पर कुछ राशि को 5 प्रतिशत कर की दर में सम्मिलित कर आरोपित किया शेष राशि पर कर आरोपित नहीं किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
					ट्रैक्टर एसेसरीज / 6,82,034	13 0	88,664 शास्ति 2,65,992 3,54,656		
35.	366 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– धार मेसर्स गुलमर्ग बैटरी टिन क्र. 234317039225 प्र.क्र. 526083 (वैट)	2013–14 नवंबर 2015	जनवरी 2018 फरवरी 2018	बैटरी और इर्न्वटर / 6,12,468	13 5	48,997 शास्ति 1,46,991 1,95,998	नि.प्रा. ने 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि यह प्रविष्टि II/IV/I के अर्न्तगत 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
36.	370 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– धार मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स टिन क्र. 23631601865 प्र.क्र. 297062 (वैट)	2012–13 दिसंबर 2014	जनवरी 2018 फरवरी 2018	सीमेंट और हार्डवेयर / 6,05,623	13 5	48,450	नि.प्रा. ने 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
37.	371 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त– धार	2012–13 जनवरी 2015	जनवरी 2018 फरवरी 2018	प्लांट एंड मशीनरी /	13 0	13,650 शास्ति 40,950	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर कर आरोपित नही किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई

		मेसर्स पवन उद्योग टिन क्र. 23841604805 प्र.क्र. 526083 (वैट)			1,05,000		54,600		की जाएगी।
38.	372 2017–18	वाणिज्यिककर अधिकारी वृत्त– धार मेसर्स श्री एजेन्सीज टिन क्र. 23091702169 प्र.क्र. 295794 (वैट)	2012–13 दिसंबर 2014	जनवरी 2018 फरवरी 2018	आइसक्रीम, कुल्फी, आईस कैण्डी आदि / 20,92,100	13 5	1,67,368	नि.प्रा. ने 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि यह प्रविष्टि II/IV/I के अर्न्तगत 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
39.	285 2017–18	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर छिंदवाड़ा मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम टिन क्र.– 23356700242 प्र.क्र. 599418 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	जनवरी 2018 फरवरी 2018	डीजल / 2,26,95,917	27 23	9,07,836	कर नि.प्रा. ने क्रमशः 31 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत और 23 प्रतिशत के दर से विक्रय मूल्य में 31 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत कर योग्य को सम्मिलित कर क्रमशः 27 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की दर से पेट्रोल एवं डीजल पर कर आरोपित किया।	कर नि.प्रा. ने बताया कि कर का निरूपण प्रारम्भिक शेष, अंतिम शेष, क्रय और विक्रय के अनुरूप किया गया है और आपत्ति काल्पनिक है। कर नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि कर नि.प्रा. ने कर निर्धारण आदेश में डीजल/पेट्रोल पर कम दर लगाया है।
					पेट्रोल / 1,11,45,683	31 27	4,45,827		
40.	14 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त– मुरैना मेसर्स पुष्टी कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. टिन क्र. 23289024459 प्र. क्र. 519916 (वैट)	2013–2014 जनवरी 2016	मई 2017 जून 2017	फ्लैट एवं दुकान / 48,75,519	13 5	3,90,041 शास्ति 11,70,123 15,60,164	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर धारा 9 ख के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया जबकि यह धारा 9 के अन्तर्गत 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
41.	425 2017–18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सागर मेसर्स बालकृष्ण प्रेमनारायण टिन क्र. 23287700205 प्र.क्र. 643640 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	मार्च 2018 अप्रैल 2018	ट्रैक्टर एसेसरीज / 6,77,253	13 5	54,180 शास्ति 1,62,540 2,16,720	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि डीलर केवल पाटर्स को नहीं बेच सकता है इसलिए यह धारा II/II/90 के अन्तर्गत 5 प्रतिशत दर से कर योग्य है। कर नि.प्रा. का उत्तर

									मान्य योग्य नहीं क्योंकि अपीलेट बोर्ड के आदेश के अनुसार यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।
42.	418 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी शहडोल मेसर्स सूरज कुमार राधाकृष्ण टिन क्र. 23597205771 प्र.क्र. 696122 (वैट)	2014–15 दिसंबर 2016	अप्रैल 2018 मई 2018	ट्रैक्टर एसेसरीज / 8,98,623	13 5	71,889 शास्ति 2,15,667 2,87,556	नि.प्रा. ने उक्त सामग्री पर 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि वाणिज्यिक कर आयुक्त के आदेश 214 (25) 57 जे 253 दिनांक 5 मार्च 2014 के अनुसार यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
43.	135 2017–18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–बालाघाट मेसर्स प्रापर्टी गुरू टिन क्र–23339051808 प्र.क्र. 765062 (वैट)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	ठेका कार्य / 58,71,304	13 5	3,90,895 शास्ति 11,72,685 1,56,380	नि.प्रा. ने 13 प्रतिशत की दर का विक्रय 5 प्रतिशत दर के विक्रय में सम्मिलित कर दिया साथ ही अपेक्षाकृत बड़े मूल कर योग्य टर्नओवर के बजाय कर योग्य टर्नओवर का 5 प्रतिशत की दर से गणना किया। 5 प्रतिशत की दर के अतिरिक्त राशि ₹ 78,809 घटाने से यह कम राशि का कर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
योग							**कर 1,32,18,871 शास्ति 1,73,15,759 योग 3,05,34,630**		

परिशिष्ट VII

(कण्डिका 3.10 में संदर्भित)

केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित छूट मान्य किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. स.	पी.डी. पी. क्र. /वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाई/ विक्रेता का नाम का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/ नि.प्र. जारी होने का माह	"सी" फार्म के अनुसार घोषणा की राशि	टिन एक्सिस के अनुसार अन्य पार्टी को जारी किया गए "सी" फार्म की राशि	लागू दर (प्रतिशत) के अनुसार आरोपित कर के अनुसार देय "सी" फार्म की राशि	आरोपित कर की राशि एवं शास्ति	लेखापरीक्षा की आपत्ति/ विभाग का उत्तर
1	120 2017 –18	व.क.अ. वृत–2 सतना में. ध्रुव बीड़ी वर्क्स टिन 23729006373 प्रकरण क्रमांक 274/2015 (सीएसटी)	2014–15 – .	अगस्त 2017 सितंबर 2017	3,13,45,564	0	3,13,45,564 का 25 प्रतिशत	78,36,391	नि.प्रा. ने बताया कि सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय पर सी फार्म पर कटौती की अनुमति प्रकरण में संलग्न किए बिना दी थी। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
2	34 2017 –18	सहा.आयुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–1 इंदौर में. सेन्चुरी ऑटोमोबाईल, टिन 23561401550 प्रकरण क्रमांक 156/2015	2014–15 अप्रैल 2016	मई 2017 जून 2017	36,02,386	29,68,981	6,33,405 का 2 प्रतिशत	12,668 शास्ति 38,004 योग 50,672	नि.प्रा. ने ई–1 एवं सी फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री में कटौती की अनुमति दी जिसमें वर्ष 2013–14 में ई–1 बी समर्थित बिक्री भी थी। नि.प्रा. ने बताया कि जाँच उपरांत कार्यवाही की जावेगी।
3	63 2017 –18	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–2 ग्वालियर में. नेशनल फर्टिलाईजर लि. टिन 23435002504 प्रकरण क्रमांक 626545 (सी. एस. टी.)	2014–15/ जनवरी 2017	मई 2017 जून 2017	24,97,230	0	24,97,230 का 3 प्रतिशत (5–2)	74,917	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर बिना नि.प्रा. ने सी फार्म पर कटौती की अनुमति दी। नि.प्रा. ने कहा कि आपत्ति केवल हस्ताक्षर से संबंधित थी जो कि सही कि जाएगी। मेन्युअल सी फार्म

									को उस राज्य के कम्प्युटर सिस्टम में टिनएक्सेस के इन्द्रराज के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। कई राज्यों से सही मन्युअल सी फार्म अभी भी टिनएक्सेस के माध्यम से सत्यापित नहीं है। एवं मेन्युअल सी फार्म सत्यापन के लिये भेजा गया है संबंधित पत्र संलग्न है।
4	171, 172, 173 2017 –18	वा.क.अ. वृत–3 ग्वालियर में. शाह जी ट्रेडर्स टिन 23299108266 प्रकरण क्रमांक 660826 (सी एस टी)	2014–15 जनवरी 2017	सितंबर 2017 अक्टूबर 2017	12,59,45,632	8,56,44,289	95,74,065 का 11 प्रतिशत (13–2) (में. काशी ट्रेडर्स)	10,53,147	नि.प्रा. ने एक समान प्रकृति के सी फार्म समर्थित बिक्री पर कटौती की अनुमति दी। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
							2,75,79,303 का 11 प्रतिशत (13–2) (में. विनायक ट्रेडर्स)	30,33,723	नि.प्रा. ने बिना सी फार्म के या अस्वीकार्य प्रति सी फार्म के अर्न्तराज्यीय बिक्री में कटौती की अनुमति दी। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
							31,47,975 का 11 प्रतिशत (13–2) (में. सदगुरू ट्रेडस)	3,46,277	नि.प्रा. ने टिन एक्सेस पर सी फार्म सत्यापन बिना बिक्री में कटौती की अनुमति दी। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
5	267 2017 –18	व.क.अ. वृत–2 उज्जैन, में. सुशील ट्रेडर्स टिन– 23892702672 प्रकरण क्रमांक 134/2015 (सी एस टी)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	45,90,308	40,30,308	5,60,000 का 3 प्रतिशत (5–2)	16,800 शास्ति 50,400 योग 67,200	नि.प्रा. ने श्री सॉई गुरू उद्योग, अहमदाबाद के कोई भी सी फार्म संलग्न किये बिना सी फार्म पर अर्न्तराज्यीय बिक्री की अनुमति दी। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

6	242 2017 –18	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–2 इंदौर में. देवीदयाल हरिकिशन. टिन 23870501753 प्रकरण क्रमांक 107/2015 (सी एस टी)	2014–15 नवंबर 2016	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	1,36,53,273	0	1,36,53,273 का 3 प्रतिशत (5–2)	4,09,598	नि.प्रा. ने बिना सी–फार्म के आयरन एवं स्टील की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 2 प्रतिशत दर की अनुमति दी। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
7	222 2017 –18	व.क.अ. वृत–1 भोपाल, में. कृष्णा ट्रेडिंग कं.0 टिन– 23839019360 प्रकरण क्रमांक 397/15 (सी एस टी)	2014–15 जनवरी 2017	नवंबर 2017 दिसंबर 2017	29,54,676	4,97,102	24,57,574 का 5 प्रतिशत	1,22,878	नि.प्रा. ने सी फार्म और ई–1 फार्म के बिना अन्तर्राज्यीय बिक्री में कटौती की अनुमति दी। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
8	431 2017 –18	सहायक आयुक्त, वा. कर वृत– बैढ़न में. एम के ऐसोसियेट टिन– 23647300658 प्रकरण क्रमांक 19/2015 (सी एस टी)	2014–15 जनवरी 2017	अप्रैल 2018 मई 2018	2,39,947	0	2,39,947 का 3 प्रतिशत (5–2)	7,714	नि.प्रा. ने सी फार्म के बिना अन्तर्राज्यीय बिक्री में कटौती की अनुमति दी और लेखापरीक्षित सी फार्म पर माल ढुलाई और राशि पर कर नहीं लगाया। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
					2,82,40,333	0	2,82,40,333 का 3 प्रतिशत (5–2	8,47,210 शास्ति 25,41,630 योग 33,88,840	
9	251 2017 –18	सहायक आयुक्त, वा. कर खंडवा में. श्री राम ट्रेडर्स लिंक टिन– 23602006808 प्रकरण क्रमांक 96/2015 (सी एस टी)	2014–15 जनवरी 2017	दिसंबर 2017 जनवरी 2018	6,24,97,118	3,64,88,684	2,60,08,434 का 2 प्रतिशत	5,20,169	नि.प्रा. ने ई–1 फार्म के बिना बिक्री में कटौती की अनुमति दी। नि.प्रा. ने कहा की सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
10	240 2017 –18	व.क.अ. वृत–10 इंदौर, में. मल्टीप्लेक्सर टिन– 23951001453 प्रकरण क्रमांक 22/2014–15 (सी एस टी)	2014–15 जनवरी 2017	जूलाई 2017 अगस्त 2017	12,03,345	0	12,03,345 का 5 प्रतिशत	60,167	नि.प्रा. ने धारा 6 (2) के तहत गलत कटौती की अनुमति दी। नि.प्रा. ने बताया कि सी फार्म में बिक्री का उल्लेख 19 जनवरी 2015 में किया गया था जबकि 31 मार्च 15 में जारी किया गया था।

									नि.प्रा. का जबाब स्वीकार नहीं था क्योंकि सी फार्म पर बिक्री की तारीख सामग्री खरीदने की खरीद से पहले थी।
योग					**27,67,69,812**	**12,96,29,364**	**कर शास्ति योग**	**1,43,41,659 26,30,034 1,69,71,693**	

परिशिष्ट VIII

(कण्डिका 4.5.6.5 में संदर्भित)

पट्टेदारों द्वारा आवधिक विवरणियों की अप्रस्तुति दर्शाने वाला विवरण

जिला	पट्टों की संख्या	मासिक विवरणियाँ									वार्षिक विवरणियाँ								
		2015–16			2016–17			2017–18			2015–16			2016–17			2017–18		
		नियत	प्रस्तुत	कमी	नियत	प्रस्तुत	कमी	नियत	प्रस्तुत	कमी	नियत	प्रस्तुत	कमी	नियत	प्रस्तुत	कमी	नियत	प्रस्तुत	कमी
रीवा	10	–	–	–	120	96	24	120	108	12	–	–	–	10	0	10	10	0	10
सतना	6	–	–	–	72	15	57	72	0	72	–	–	–	6	0	6	6	0	6
बैतूल	7	84	72	12	84	72	12	84	72	12	7	0	7	7	0	7	7	0	7
छिंदवाड़ा	12	139	72	67	144	45	99	144	33	111	12	1	11	12	1	11	12	0	12
जबलपुर	7	84	77	7	84	47	37	84	0	84	7	3	4	7	3	4	7	0	7
अनूपपुर	33	396	0	396	396	0	396	396	0	396	33	0	33	33	0	33	33	0	33
धार	9	–	–	–	108	96	12	108	96	12	0	0	0	9	0	9	9	0	9
बालाघाट	72	864	480	384	864	480	384	864	480	384	72	18	54	72	18	54	72	18	54
दमोह	9	96	24	72	108	24	84	108	24	84	8	1	7	9	1	8	9	1	8
झाबुआ	8	108	60	48	96	48	48	96	48	48	9	5	4	8	4	4	8	4	4
कुल	**173**	**1,771**	**785**	**986**	**2,076**	**923**	**1,153**	**2,076**	**861**	**1,215**	**148**	**28**	**120**	**173**	**27**	**146**	**173**	**23**	**150**

विवरणियों का सारांश

वर्ष	मासिक विवरणियाँ			वार्षिक विवरणियाँ		
	नियत	प्रस्तुत	अप्रस्तुत	नियत	प्रस्तुत	अप्रस्तुत
2015–16	1,771	785	986	148	28	120
2016–17	2,076	923	1,153	173	27	146
2017–18	2,076	861	1,215	173	23	150
योग	**5,923**	**2,569**	**3,354**	**494**	**78**	**416**

परिशिष्ट IX

(कण्डिका 4.5.11 में संदर्भित)

रॉयल्टी का अनारोपण/कम अरोपण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	निर्धारण अवधि	देय रॉयल्टी	जमा रॉयल्टी	बकाया राशि
1	जिला खनिज अधिकारी रीवा	8	2013–14 से 2015–16	2,309.93	1,106.69	1,203.24
2	जिला खनिज अधिकारी सतना	2	2016–17 एवं 2017–18	707.75	667.79	39.96
3	जिला खनिज अधिकारी कटनी	3	2015–16 एवं 2016–17	471.61	443.12	28.49
4	जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा	2	2017–18	28.70	14.24	14.46
5	जिला खनिज अधिकारी अनूपपुर	11	2016–17 एवं 2017–18	2,163.31	2,082.89	80.42
6	जिला खनिज अधिकारी जबलपुर	6	2015–16 से 2017–18	34.79	14.49	20.30
7	जिला खनिज अधिकारी बालाघाट	4	2016–17 एवं 2017–18	403.22	277.78	125.44
8	हीरा अधिकारी पन्ना	1	2014–15 से 2017–18	2,201.50	2,172.64	28.86
9	जिला खनिज अधिकारी धार	1	2017–18	10.44	3.60	6.84
योग		**38**		**8,331.25**	**6,783.24**	**1,548.01**

परिशिष्ट X

(कण्डिका 4.5.12 में संदर्भित)

खनि पट्टों पर अनिवार्य किराये की अवसूली दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	अवधि	देय अनिवार्य किराया	जमा अनिवार्य किराया	बकाया राशि
1	जिला खनिज अधिकारी रीवा	10	2017 एवं 2018	1.75	0.00	1.75
2	जिला खनिज अधिकारी सतना	12	2017 एवं 2018	34.76	0.00	34.76
3	जिला खनिज अधिकारी कटनी	09	2015 से 2018	7.63	0.00	7.63
4	जिला खनिज अधिकारी बैतूल	01	2015 से 2018	2.16	0.00	2.16
5	जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा	51	2015 से 2018	386.72	0.00	386.72
6	जिला खनिज अधिकारी जबलपुर	12	2016 से 2018	9.09	0.00	9.09
7	जिला खनिज अधिकारी बालाघाट	07	2017 एवं 2018	5.16	0.00	5.16
8	जिला खनिज अधिकारी दमोह	09	2018	222.10	0.00	222.10
9	जिला खनिज अधिकारी धार	05	2014 से 2018	0.92	0.00	0.92
योग		**116**		**670.29**	**0.00**	**670.29**

परिशिष्ट XI

(कण्डिका 4.5.14 में संदर्भित)

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन.एम.ई.टी.) निधि की अवसूली/कम वसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	अवधि	जमा रॉयल्टी	जमा रॉयल्टी के 2 प्रतिशत की दर से देय एन.एम.ई.टी.	जमा एन.एम.ई.टी.	बकाया एन.एम.ई.टी.
1	जिला खनिज अधिकारी रीवा	8	2017–18	1,072.85	21.46	15.54	5.92
2	जिला खनिज अधिकारी सतना	6	2015–16 से 2017–18	18,509.65	370.19	294.99	75.20
3	जिला खनिज अधिकारी कटनी	2	2015–16 से 2016–17	278.55	5.57	2.20	3.37
4	जिला खनिज अधिकारी बैतूल	6	2015–16	4,944.53	98.89	6.43	92.46
5	जिला खनिज अधिकारी अनूपपुर	23	2015–16 से 2017–18	86,576.40	1,731.53	1,672.86	58.67
6	जिला खनिज अधिकारी जबलपुर	11	2015–16 से 2017–18	1,884.53	37.69	0.06	37.63
7	जिला खनिज अधिकारी बालाघाट	33	2015–16 से 2017–18	16,604.64	332.09	280.45	51.64
8	जिला खनिज अधिकारी झाबुआ	1	2017–18	5.32	0.11	0.00	0.11
योग		**90**		**1,29,876.47**	**2,597.53**	**2,272.53**	**325.00**

परिशिष्ट XII

(कण्डिका 4.5.15 में संदर्भित)

ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की अवसूली/कम वसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	लीज का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्ष जिसके लिए कर देय है	देय राशि	जमा राशि	बकाया राशि
1	जिला खनिज अधिकारी रीवा	10	87.14	2017–18	3.49	0.00	3.49
2	जिला खनिज अधिकारी सतना	07	1,107.12	2017–18	44.28	0.00	44.28
3	जिला खनिज अधिकारी कटनी	09	964.95	2014–15 से 2017–18	44.45	0.00	44.45
4	जिला खनिज अधिकारी बैतूल	01	8.93	2015–16 से 2017–18	1.07	0.00	1.07
5	जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा	51	9,336.10	2016–17 से 2017–18	375.02	0.00	375.02
6	जिला खनिज अधिकारी जबलपुर	10	91.72	2015–16 से 2017–18	11.01	0.00	11.01
7	जिला खनिज अधिकारी बालाघाट	06	78.54	2016–17 से 2017–18	4.76	0.00	4.76
8	जिला खनिज अधिकारी दमोह	07	89.14	2017–18	3.57	0.00	3.57
9	जिला खनिज अधिकारी धार	03	13.30	2017–18	0.53	0.00	0.53
10	हीरा अधिकारी पन्ना	01	113.33	जनवरी 2018 से मार्च 2018	36.94	0.00	36.94
11	जिला खनिज अधिकारी झाबुआ	04	22.27	2015–16 से 2017–18	2.67	0.11	2.56
योग		**109**	**11,912.54**		**527.79**	**0.11**	**527.68**

परिशिष्ट XIII

(कण्डिका 4.5.16 में संदर्भित)

खनि पट्टों के पूरक अनुबंध का निष्पादन न कराये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अवसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	पट्टेदार का नाम	अनुबंध अवधि	खनिज का नाम और रॉयल्टी की दर	संशोधित खनन योजना/ ईसी के अनुसार उत्पादन	कुल राशि जिस पर मुद्रांक शुल्क देय है	मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस			
							प्रभार्य 0.75 % 75 %	प्रभारित	कम प्रभारित	कुल वसूली योग्य राशि
1	खनिज अधिकारी कटनी	में. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. कुटेष्वर	10 जून 2001 से 09 जून 2021	चूना पत्थर	14,20,000 मी.टन. प्रतिवर्ष x ₹ 80 x ₹ 5 वर्ष = 56,80,00,000	5,680.00	42.60 31.95	0.00	42.60 31.95	74.55
2	खनिज अधिकारी जबलपुर	में.आनंद माईनिंग कार्पोरेशन, ग्राम अगरिया	08 फरवरी 1980 से 07 फरवरी 2030	लौह अयस्क	1,02,76,082 मी.टन (रिजर्व) x ₹ 95 = 97,62,27,790	9,762.28	73.21 54.91	6.15 4.61	67.06 50.30	117.36
3	खनिज अधिकारी सतना	में. के जे एस सीमेंट लि. (45.888 हेक्टेयर)	26 अक्टूबर 1991 से 25 अक्टूबर 2031	चूना पत्थर	4,57,801 मी.टन प्रतिवर्ष x ₹ 80 x 16 वर्ष = 58,59,85,280	5,859.85	43.95 32.96	0.00	43.95 32.96	76.91
योग		**03 प्रकरण**					**279.58**	**10.76**	**268.82**	**268.82**

परिशिष्ट XIV

(कण्डिका 4.5.16 में संदर्भित)

औसत विक्रय मूल्य के त्रुटिपूर्ण लागू किये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	पट्टेदार का नाम	अनुबंध अवधि	खनिज का नाम और रॉयल्टी की दर	आई बी एम दर के अनुसार रॉयल्टी	विभाग की गणना अनुसार रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस			
							प्रभार्य 0.75 % / 75 %	प्रभारित	कम प्रभारित	कुल वसूली योग्य राशि
1	खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा	में. कृष्णा पिंग अलॉय लि.	16 मई 2016 से 15 मई 2046 (30 वर्ष)	मैंगनीज (विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत)	84,000 X 518 X 30 वर्ष = 1,30,53,60,000	84,000 X 296 X 30 वर्ष = 74,59,20,000	97.90 / 73.43	55.94 / 41.96	41.95 / 31.47	73.43
योग		**01 प्रकरण**					**171.33**	**97.90**	**73.43**	**73.43**

परिशिष्ट XV

(कण्डिका 4.5.16 में संदर्भित)

रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	पट्टेदार का नाम	अनुबंध अवधि	खनिज का नाम और रॉयल्टी की दर	अनुबंध के अनुसार रॉयल्टी	खनन योजना की उत्पादन मात्रा के अनुसार वास्तविक रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस			
							प्रभार्य 0.75 % / 75 %	प्रभारित	कम प्रभारित	कुल वसूली योग्य राशि
1	खनिज अधिकारी जबलपुर	में. हुकुमचंद स्टोन माईनिंग कं. 16.188 हेक्टे.	21 मार्च 1985 से 20 मार्च 2035	पत्थर, बाक्साईट, लेटराईट आदि	1,72,62,540 (8,63,127 x 20)	63,20,99,040 (3,16,04,952 x 20)	47.40 / 35.55	1.42 / 0.97	45.98 / 34.58	80.56
		में. सुभाष अग्रवाल 12.27 हेक्टे.	19 मार्च 1997 से 18 मार्च 2047	लौह अयस्क, चूनापत्थर, मैंगनीज	18,08,08,260 (60,26,942 x 30)	24,50,72,910 (81,69,097 x 30)	18.38 / 13.79	13.90 / 10.17	4.48 / 3.62	8.10
योग		**02 प्रकरण**					**115.12**	**26.46**	**88.66**	**88.66**

परिशिष्ट XVI

(कण्डिका 4.6 में संदर्भित)

ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर एवं शास्ति की वसूली न होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	कर भुगतान करने योग्य	भास्ति	भुगतान की गई राशि	शेष राशि
1	जि.ख.अ. छिंदवाडा 04/16 से 03/17	70	46	3	79.85	239.55	0.00	319.40
2	जि.ख.अ. शहडोल 04/16 से 03/17	20	5	5	20.63	61.89	0.00	82.52
3	जि.ख.अ. दमोह 04/16 से 03/17	10	8	4	2.86	8.58	0.00	11.44
4	जि.ख.अ. सतना 04/16 से 03/17	63	63	3	4.95	14.85	0.00	19.80
योग		**163**	**122**	**15**	**108.29**	**324.87**	**0.00**	**433.16**

परिशिष्ट XVII

(कण्डिका 4.7 में संदर्भित)

व्यापारिक खदानों से संविदा राशि की अवसूली/कम वसूली होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	बिलंब की अवधि (दिनों में)	कर भुगतान करने योग्य	भुगतान की गई राशि	शेष राशि
1	जि.ख.अ. अनूपपुर 04/16 से 03/17	9	9	1	52–143	6.75	5.00	1.75
2	जि.ख.अ. गुना 04/15 से 03/17	4	4	1	218–226	10.50	3.50	7.00
3	जि.ख.अ. नरसिंहपुर 04/16 से 03/17	5	5	2	88–211	300.21	86.00	214.21
4	जि.ख.अ. इंदौर 04/15 से 03/17	4	4	2	0	4.53	0.00	4.53
योग		**22**	**22**	**6**		**321.99**	**94.50**	**227.49**

परिशिष्ट XVIII

(कण्डिका 4.8 में संदर्भित)

खनन पट्टों एवं उत्खनि पट्टों से अनिवार्य किराये की अवसूली/कम वसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	भुगतान करने योग्य कर	भुगतान की गई राशि	शेष राशि
1	जि.ख.अ. सिहोर 04/16 से 03/17	93	35	7	6.80	0.00	6.80
2	जि.ख.अ. उज्जैन 04/16 से 03/17	128	65	13	12.60	0.00	12.60
3	जि.ख.अ. होशगांबाद 04/15 से 03/17	18	13	3	2.10	0.00	2.10
4	जि.ख.अ. छिंदवाड़ा 04/16 से 03/17	100	60	16	8.70	0.00	8.70
5	जि.ख.अ. खंडवा 04/15 से 03/17	54	35	7	8.00	0.00	8.00
6	जि.ख.अ. भिंड 04/14 से 03/17	48	32	9	13.39	4.90	8.49
7	जि.ख.अ. सिवनी 04/16 से 03/17	87	75	4	4.00	0.00	4.00
8	जि.ख.अ. अनूपपुर 04/16 से 03/17	40	35	6	5.20	0.00	5.20
9	जि.ख.अ. टीकमगढ़ 04/16 से 03/17	176	80	5	6.00	0.00	6.00
10	जि.ख.अ. खरगौन 04/15 से 03/17	90	42	13	16.80	0.00	16.80
11	जि.ख.अ. सीधी 04/16 से 03/17	57	32	11	9.70	0.00	9.70
		8	8	2*	2.98	0.00	2.98
12	जि.ख.अ. बड़वानी 04/13 से 03/17	61	61	4	4.30	0.00	4.30

13	जि.ख.अ. गुना 04/15 से 03/17	29	29	10	11.50	0.00	11.50
14	जि.ख.अ. सागर 04/16 से 03/17	204	115	14	11.20	0.00	11.20
15	जि.ख.अ. पन्ना 04/16 से 03/17	62	45	4	2.48	0.00	2.48
16	जि.ख.अ. दमोह 04/16 से 03/17	9	9	5	1.75	0.00	1.75
17	जि.ख.अ. नरसिंहपुर 04/16 से 03/17	21	21	7	4.00	0.00	4.00
		4	4	1*	10.00	0.00	10.00
18	जि.ख.अ. इंदौर 04/15 से 03/17	196	120	4	5.00	0.00	5.00
19	जि.ख.अ. रीवा 04/16 से 03/17	135	75	4	2.80	0.00	2.80
20	जि.ख.अ. सतना 04/16 से 03/17	82	40	8	6.80	0.00	6.80
योग		**1,702**	**1,031**	**157**	**156.10**	**4.90**	**151.20**

* कुल 157 आपत्ति लिये गये प्रकरणों में से दो प्रकरण जि.ख.अ. सीधी और एक प्रकरण जि.ख.अ. नरसिंहपुर के हैं जो खनि पट्टों से संबंधित हैं।

परिशिष्ट XIX

(कण्डिका 4.9 में संदर्भित)

खनन पट्टों की विस्तारित अवधि के लिए अनुपूरक विलेख के निष्पादन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की वसूली न होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	आरोपणीय मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	आरोपित मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	शेष मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	कुल
1	जि.ख.अ. रीवा 04/16 से 03/17	20	20	6	13.01 9.76	0.00	13.01 9.76	22.77
2	जि.ख.अ. सतना 04/16 से 03/17	7	7	7	44.84 33.63	0.00	44.84 33.63	78.47
योग		**27**	**27**	**13**	**57.85** **43.39**	**0.00**	**57.85** **43.39**	**101.24**

परिशिष्ट XX

(कण्डिका 4.10 में संदर्भित)

खनन पट्टे पर रॉयल्टी की अवसूली/कम वसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	भुगतान योग्य रॉयल्टी	भुगतान किया गया रॉयल्टी	शेष रॉयल्टी
1	जि.ख.अ. नरसिहंपुर 04/16 से 03/17	12	4	2	28.99	18.35	10.64
2	जि.ख.अ. धार 04/16 से 03/17	22	9	3	36.11	19.39	16.72
3	जि.ख.अ. सागर 04/16 से 03/17	5	1	1	7.75	0	7.75
4	जि.ख.अ. रीवा 04/16 से 03/17	46	23	2	18.89	11.65	7.24
5	जि.ख.अ. कटनी 04/16 से 03/17	99	45	1	112.58	62.30	50.28
योग		**184**	**82**	**9**	**204.32**	**111.69**	**92.63**

परिशिष्ट XXI

(कण्डिका 4.11.1 में संदर्भित)

व्यापारिक खदानों पर ठेका राशि के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	विलंबित भुगतान की राशि	विलंब की अवधि	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि
1	जि.ख.अ. अनूपपुर 04/16 से 03/17	9	9	2	7.50	50–195	0.67	0.26	0.41
2	जि.ख.अ. नरसिहंपुर 04/16 से 03/17	5	5	3	874.58	28–209	55.69	2.96	52.73
योग		**14**	**14**	**5**	**882.08**		**56.36**	**3.22**	**53.14**

परिशिष्ट XXII

(कण्डिका 4.11.2 में संदर्भित)

अनिवार्य किराये के विलम्बित भुगतान में ब्याज की वसूली न होना/कम वसूली होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	अनिवार्य किराये की राशि	विलंब की अवधि	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	शेष
1	जि.ख.अ. होशंगाबाद 04/15 से 03/17	18	13	2	1.30	231–280	0.21	0.00	0.21
2	जि.ख.अ. छिंदवाड़ा 04/16 से 03/17	100	60	4	1.90	48–310	0.31	0.00	0.31
3	जि.ख.अ. भिंड 04/14 से 03/17	48	32	11	6.80	19–533	2.23	0.00	2.23
4	जि.ख.अ. सिवनी 04/16 से 03/17	87	75	4	2.80	47–313	0.28	0.00	0.28
5	जि.ख.अ.अनूपपुर 04/16 से 03/17	40	35	2	2.00	135–341	0.29	0.00	0.29
6	जि.ख.अ. टीकमगढ़ 04/16 से 03/17	176	80	3	4.00	57–183	0.29	0.00	0.29
7	जि.ख.अ. खरगौन 04/15 से 03/17	90	42	1	0.80	325	0.17	0.00	0.17
8	जि.ख.अ. बड़वानी 04/15 से 03/17	61	61	6	5.45	28–598	0.50	0.00	0.50
9	जि.ख.अ. गुना 04/15 से 03/17	29	29	2	4.80	69–306	0.53	0.00	0.53
10	जि.ख.अ. सागर 04/16 से 03/17	115	115	14	18.85	40–343	1.68	0.00	1.68
11	जि.ख.अ. भोपाल 04/16 से 03/17	180	62	13	22.81	41–475	3.55	0.00	3.55
12	जि.ख.अ. इंदौर 04/15 से 03/17	196	120	5	7.30	54–342	0.82	0.00	0.82
योग		**1,140**	**724**	**67**	**78.81**		**10.86**	**0.00**	**10.86**

परिशिष्ट XXIII

(कण्डिका 5.6 में संदर्भित)

उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में विलंब

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	लगायी जाने वाला मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	लगाये गये मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	अंतर	महीनों में देरी की अवधि
1	उप पंजीयक छिंदवाड़ा 04/16 से 03/17	15	15	14	7.65	0	7.65	02 से 13
2	उप पंजीयक अमरवाड़ा (छिंदवाड़ा) 04/11 से 03/17	113	70	43	51.30	0	51.30	23 से 73
3	उप पंजीयक अशोकनगर 04/14 से 03/17	18	18	18	10.05	0	10.05	23 से 104
4	उप पंजीयक हरदा 04/15 से 03/17	42	42	25	13.70	0	13.70	03 से 18
5	उप पंजीयक बंडा (सागर) 04/11 से 03/17	7	7	7	0.70	0	0.70	04 से 18
6	उप पंजीयक खंडवा 04/15 से 03/17	111	111	83	31.44	0	31.44	05 से 27
7	उप पंजीयक भोपाल–1 04/14 से 03/17	97	97	97	138.74	0	138.74	09 से 13
8	उप पंजीयक बैतूल 04/14 से 03/17	11	11	5	4.51	0	4.51	10 से 16
9	उप पंजीयक लवकुश नगर (छतरपुर) 04/12 से 03/17	15	15	15	39.30	0	39.30	38 से 62
10	उप पंजीयक जावरा (रतलाम) 04/15 से 03/17	12	12	12	26.36	0	26.36	04 से 11
11	उप पंजीयक सिवनी 08/15 से 03/17	29	29	9	9.59	0	9.59	09 से 14
योग		**470**	**427**	**328**	**333.34**	**0**	**333.34**	

- पंजीयन शुल्क क्र. सं. 2, 3 तथा 6 में सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट XXIV

(कंडिका 5.7 में संदर्भित)

पट्टा अभिलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	लगायी जाने वाली मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	लगाये गये मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	अंतर मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	योग
1	जिला खनि अधि. सिवनी 04 / 16 से 03 / 17	2	2	2	17,71,000 1,28,250	15,000 11,250	1,56,000 1,17,000	2,73,000
2	जिला खनि अधि. सीधी 04 / 16 से 03 / 17	4	4	4	1,44,00,000 1,08,00,000	5,63,199 4,22,401	1,38,36,801 1,03,77,599	2,42,14,400
3	जिला खनि अधि. गुना 04 / 15 से 03 / 17	29	29	4	2,38,025 1,78,519	87,893 65,921	1,50,132 1,12,598	2,62,730
4	जिला खनि अधि. पन्ना 04 / 16 से 03 / 17	62	45	4	6,25,710 4,69,283	2,36,007 1,81,006	3,89,703 2,88,277	6,77,980
5	जिला खनि अधि. नरसिंहपुर 04 / 16 से 03 / 17	21	21	1	64,125 48,094	3,000 2,250	61,125 45,844	1,06,969
योग		**118**	**101**	**15**	**1,54,98,860** **1,16,24,146**	**9,05,099** **6,82,828**	**1,45,93,761** **1,09,41,318**	**2,55,35,079**

परिशिष्ट XXV

(कंडिका 5.8 में संदर्भित)

खनन पट्टे पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम व लेखापरीक्षा अवधि	कुल प्रकरणों की संख्या	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	पंजीकृत बाजार मुल्य/ दिशा निर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य	लगाये जाने वाले मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	लगाये गये मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	अंतर मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	योग
1	उप पंजीयक छिंदवाडा 04/16 से 03/17	6,102	18	1	1,26,45,798 34,60,86,480	26,60,540 19,46,736	6,22,688 4,55,625	20,37,852 14,91,111	35,28,963
2	उप पंजीयक नरसिंहपुर 04/14 से 03/17	7,097	19	2	35,36,02,267 35,78,11,750	26,83,588 20,12,691	26,52,017 19,90,014	31,571 22,677	54,248
योग		**13,199**	**37**	**3**	**36,62,48,065** **70,38,98,230**	**53,44,128** **39,59,427**	**32,74,705** **24,45,639**	**20,69,423** **15,13,788**	**35,83,211**

परिशिष्ट XXVI

(कण्डिका 6.6 में संदर्भित)

भू–भाटक और प्रीमियम का अवनिर्धारण तथा शास्ति का अनारोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	अरोपणीय भू–भाटक / आरोपणीय प्रीमियम	आरोपित भू–भाटक / आरोपित प्रीमियम	न्यून आरोपित भू– भाटक	न्यून आरोपित प्रीमियम	शास्ति	योग
1	तहसीलदार आलोट (रतलाम)	10/15 से 09/16	12	02	14,688 73,440	9,888 49,440	4,800	24,000	0	28,800
2	तहसीलदार आष्टा (सीहोर)	10/15 से 09/16	07	01	37,746 1,88,730	13,637 68,184	24,109	1,20,546	0	1,44,655
			21	07	6,66,827 0	0	6,66,827	0	0	6,66,827
3	तहसीलदार हरदा (हरदा)	10/15 से 09/16	08	02	1,20,980 6,04,900	29,560 1,47,802	91,420	4,57,098	0	5,48,518
					23,618 1,18,091	21,412 1,07,061	2,206	11,030	0	13,236
		04/16 से 03/17	03	03	42,733 2,13,661	0	42,733	2,13,661	0	2,56,394
4	तहसीलदार इछावर (सीहोर)	10/15 से 09/16	40	01	24,697 1,23,485	17,264 86,320	7,433	37,165	0	44,598
5	तहसीलदार पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर)	10/15 से 09/16	05	05	13,240 66,200	492 2,452	12,748	63,748	0	76,496
6	तहसीलदार गाडरवारा (नरसिंहपुर)	10/15 से 09/16	360	34	4,86,548 24,37,301	1,19,801 5,98,998	3,66,747	18,38,303	39,940	22,44,990
7	तहसीलदार मण्डला (मण्डला)	10/15 से 09/16	10	10	85,869 4,29,344	33,628 1,68,140	52,241	2,61,204	1,16,000	4,29,445
8	तहसीलदार अलीराजपुर (अलीराजपुर)	10/15 से 09/17	01	01	47,040 2,35,207	46,176 2,30,880	864	4,327	0	7,787
			184	08	21,861 1,09,310	10,932 54,754	10,929	54,556	65,556	1,31,041

9	तहसीलदार मोमन बड़ोदिया (शाजापुर)	10/16 से 09/17	01	01	7,46 39,230	4,246 21,230	3,600	18,000	1,800	23,400
10	तहसीलदार देवास (देवास)	10/15 से 09/16	01	01	50,790 2,52,450	25,245 2,25,450	25,545	0	0	38,168
11	कलेक्टर (व्यपवर्तन) दमोह	10/15 से 03/17	25	06	16,479 82,295	984 4,920	15,495	77,375	7,748	1,00,618
12	कलेक्टर (व्यपवर्तन) रतलाम	10/15 से 09/16	05	05	2,74,872 13,74,376	1,33,296 6,66,472	1,41,576	7,07,904	0	8,49,480
13	कलेक्टर (व्यपवर्तन) डिण्डोरी	10/14 से 09/16	449	40	2,51,475 12,57,390	1,28,960 6,45,335	1,22,515	6,12,055	13,13,218	20,47,788
14	तहसीलदार कसरावद (खरगौन)	10/16 से 09/17	72	17	4,21,287 18,49,757	2,08,758 10,36,505	2,12,529	8,13,252	6,62,670	16,88,451
15	तहसीलदार मल्हारगढ़ (मन्दसौर)	10/16 से 09/17	355	16	53,430 2,78,071	29,805 1,48,856	23,625	1,29,215	1,82,046	3,34,886
16	कलेक्टर (व्यपवर्तन) विदिशा	10/12 से 09/16	09	09	95,060 4,75,305	73,415 3,67,977	21,645	1,07,328	3,93,134	5,22,107
17	कलेक्टर (व्यपवर्तन) अनूपपुर	10/16 से 09/17	06	06	15,938 79,694	1,803 9,045	14,135	70,649	0	84,784
18	कलेक्टर (व्यपवर्तन) उमरिया	10/16 से 09/17	02	02	65,434 3,27,170	3,810 19,000	61,624	3,08,170	0	3,69,794
19	तहसीलदार जावद (नीमच)	10/09 09/16	20	20	0	0	0	0	10,23,503	10,23,503
योग			**1,596**	**197**	**28,38,458 1,06,15,407**	**9,13,112 46,85,821**	**19,25,346**	**59,29,586**	**38,05,615**	**1,16,60,547**

परिशिष्ट XXVII

(कण्डिका 6.7 में संदर्भित)

अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्ज़ा करने पर शास्ति की वसूली न होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	जाँच किए गए प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिये गये प्रकरणों की संख्या	अधिरोपित शास्ति
1	तहसीलदार ग्वालियर	10/15 से 09/16	24	09	18.60
2	तहसीलदार बलदेवगढ़ (टीकमगढ़)	10/14 से 09/16	102	101	9.04
3	तहसीलदार गौरिहार (छतरपुर)	10/09 से 09/16	150	70	2.55
4	तहसीलदार सुवासरा (मंदसौर)	10/14 से 09/16	475	388	4.81
5	तहसीलदार पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर)	10/07 से 09/16	394	394	49.06
योग			**1,145**	**962**	**84.06**

परिशिष्ट XXVIII

(कण्डिका 7.7 में संदर्भित)

निजी सेवा वाहनों पर शैक्षणिक बसों की दर से कर का त्रुटिपूर्ण आरोपण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	अर्ध्द हाशिया क्रमांक/दिनांक	जाँच किए गए वाहनों की संख्या	आपत्ति लिये गये वाहनों की संख्या	कर	शास्ति	राशि
1	जि.प.अ. भिंड	04/14 से 03/17	46/16.05.17	105	49	75.28	62.79	138.07
2	जि.प.अ. शिवपुरी	04/16 से 03/17	47/31.05.17	105	15	5.88	2.17	8.05
3	क्षे.प.अ. सागर	04/16 से 03/17	54/22.01.18	334	143	64.33	41.74	106.07
4	जि.प.अ. बैतूल	04/16 से 03/17	54/04.12.17	47	1	0.18	0.11	0.29
योग				**591**	**208**	**145.67**	**106.81**	**252.48**

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली	
अ.आ.आ.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त
अ.भू.रा.	अधीक्षक भू–राजस्व
आई.टी.आर	आगत कर छूट (इनपुट टैक्स रिबेट)
आं.ले.प.शा.	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा
आं.ले.प्र.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ
आब.आयु.	आबकारी आयुक्त
आब.उ.आयु.	आबकारी उप आयुक्त
आ. एवं सं.अ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र (रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट)
उप. आयु.	उप आयुक्त
उ.पं.	उप पंजीयक
उ.म.नि.पं.	उप महानिरीक्षक पंजीयन
ए.वि.प्र.सू.प्र.	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली
एच.डी.पी.ई.	हाई डेंसिटी पोली ऐथिलीन
एम.एम.डी.आर. एक्ट	खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट)
एम.टी.	मेट्रिक टन
एन.एम.ई.टी.	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट)
औ.वि.मू.	औसत विक्रय मूल्य
का.प्र.	कार्यान्वयन प्रतिवेदन
के.मो.वा.नि.	केन्द्रीय मोटर वाहन नियम
के.वा.क.	केन्द्रीय विक्रय कर
क.प्रा.	कर प्राधिकारी
ख.नि.	खनिज निरीक्षक
ख.रि.एवं वि.नि.	खनिज रियायत एवं विकास नियम
ख.रि.नि.	खनिज रियायत नियम
ख.सू.प्र.	खनिज सूचना प्रणाली
ग्रा.अ.सं.वि	ग्रामीण अवसंरचना एवं सडक विकास
जि. आब. अ.	जिला आबकारी अधिकारी
जि.ख.अ	जिला खनिज अधिकारी
जि.ख.फा.	जिला खनिज फाउंडेशन (डिसट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन)
जि.प.	जिला पंजीयक
जि.प.अ.	जिला परिवहन अधिकारी
ना.को.लिमि.	नार्दन कोल लिमिटेड

नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
नि.प्रा	निरीक्षण प्राधिकारी
नि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा
प.अ.	पर्यावरण अनुमति
प.आ.	परिवहन आयुक्त
प्र.रा.आ.	प्रमुख राजस्व आयुक्त
प्र.क.	प्रवेश कर
भा.स.	भारत सरकार
भा.ख.ब्यू.	भारतीय खनिज ब्यूरो
मुं.शु.पं.फी.	मुंद्राक शुल्क तथा पंजीयन फीस
मो.वा.अ.	मोटर वाहन अधिनियम
म.प्र.ग्रा.अ.स.वि.अ.	मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम
म.प्र.पं.रा.अ.	मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम
म.प्र.प.नि.मं.	मध्यप्रदेश पर्यावरण नियंत्रण मंडल
म.प्र.भू.रा.सं.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता
म.प्र.रा.ख.नि.लि.	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
म.प्र.लो.(शो.रा.व.) अ.	मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम
म.प्र.वैट	मध्यप्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (मध्यप्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स)
म.प्र.शा.	मध्यप्रदेश शासन
महा. पंजी.	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प
रा.पु.प.	राजस्व पुस्तिका परिपत्र
रा.प्र.प्र.प्र.	राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली
ले.अ.	लेखा अधिकारी
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
व.जि.प.	वरिष्ठ जिला पंजीयक
वा.क.अ.	वाणिज्यिक कर अधिकारी
वा.क.अ.	वाणिज्यिक कर आयुक्त
वा.क.वि.	वाणिज्यिक कर विभाग
व.एवं से.क.	वस्तु एवं सेवा कर
वे.को.फी.लि.	वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड लिमिटेड
वैट	मूल्य सवंर्धित कर
सं.प.आ.	संयुक्त परिवहन आयुक्त
सं.महा.पंजी.	संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन
स.अ.भू.रा.	सहायक अधीक्षक भू–राजस्व
सहा. आब. आयु.	सहायक आबकारी आयुक्त

स.आ.ले.प.अ.	सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
स.आ.	सहायक आयुक्त
स.ख.अ.	सहायक खनिज अधिकारी
स.ले.अ.	सहायक लेखा अधिकारी
स.क्षे.प.अ.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
सिया	राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी)
सी.एस.एल.आर	आयुक्त बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख (कमिश्नर सैटलमैन्ट एंड लैंड रिकार्ड)
ही.अ.	हीरा अधिकारी
क्षे.प.अ.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in